



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2023–24 के लिए
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 3
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
वर्ष 2023-24 के लिए
राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन	..	v
कार्यकारी सारांश	..	vii
अध्याय I: विहंगावलोकन		
राज्य का पार्श्व दृश्य	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धित	1.1.1	1
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन	1.3	4
बजटीय प्रक्रियायें	1.4	7
वित्त का आशुचित्र	1.4.1	7
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र	1.4.2	8
राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धि	1.5	9
राज्य एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन	1.5.1	9
घाटे/आधिक्य की प्रवृत्तियाँ	1.5.2	11
राज्य वित्त आयोग	1.6	12
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.7	13
लेखापरीक्षा के बाद-घाटा/आधिक्य	1.7.1	13
लेखा परीक्षा के बाद-कुल ऋण/दायित्व	1.7.2	14
अध्याय II: राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	17
निधियों के स्रोत और उपयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि	2.3.2.1	20
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	22
केंद्र से निधियों का हस्तांतरण	2.3.2.3	27
पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ	2.3.3	30
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	31
संसाधनों का उपयोग	2.4	32
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	32
राजस्व व्यय	2.4.2	35
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	37
प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	38
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अन-उन्मोचित दायित्व	2.4.2.3	41
सब्सिडी	2.4.2.4	42
राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	43
पूँजीगत व्यय	2.4.3	43
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	44
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	45
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	48

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
उद्देश्य शीर्ष वार व्यय	2.4.5	49
लोक लेखा	2.5	50
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	50
आरक्षित निधि	2.5.2	52
संचित निक्षेप निधि	2.5.2.1	53
राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि	2.5.2.2	53
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.5.2.3	56
राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधियाँ	2.5.2.4	57
अन्य समर्पित निधियाँ	2.5.2.5	58
ऋण प्रबंधन	2.6	60
ऋण घटक का रूपरेखा	2.6.1	60
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना	2.6.2	63
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी	2.6.3	64
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	65
उधार ली गई निधि का उपयोग	2.7.1	68
प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएँ	2.7.2	69
रोकड़ शेष की प्रबंधन	2.7.3	69
निष्कर्ष	2.8	71
अनुशंसाएँ	2.9	72
अध्याय III: बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	73
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.2	73
वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा	3.3	74
परिणाम बजट	3.3.1	74
जेण्डर बजट	3.3.2	74
युवा बजट	3.3.3	75
कृषि बजट	3.3.4	76
चाइल्ड बजट	3.3.5	77
बजट लक्ष्य प्राप्ति	3.3.6	78
नई योजनाएँ/उप-शीर्षक	3.3.7	79
विनियोग लेखा	3.4	79
विनियोग लेखों का सारांश	3.4.1	79
बजटीय निधि का उपयोग	3.4.2	80
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ	3.5	81
राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.5.1	81
पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.5.2	83
अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान	3.5.3	83
अनावश्यक पुनिविर्नियोजन	3.5.4	84
योजना शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	3.5.5	84
बृहद निवल बचत	3.5.6	85
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण	3.5.7	86
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	3.5.8	87
निष्कर्ष	3.6	88

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
अनुशंसाएं	3.7	89
अध्याय IV: लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली		
प्रस्तावना	4.1	91
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता	4.2	91
लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	4.3	91
लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.4	92
उच्चत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष	4.5	93
व्यक्तिगत जमा खाते	4.6	94
लघु शीर्ष –800 में समायोजन	4.7	95
लघु शीर्ष – 800 – अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की बुकिंग	4.7.1	96
विभागीय आंकड़ों का बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा मिलान नहीं किया जाना	4.8	97
रोकड़ शेष का मिलान	4.9	97
भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.10	98
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	4.11	99
हानि तथा गबन आदि के मामले	4.12	99
ऑफ बजट उधार	4.13	100
सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ	4.14	101
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.15	102
निष्कर्ष	4.16	102
अनुशंसाएं	4.17	103

विषय सूची		
परिशिष्ट का नाम	परिशिष्ट क्र.	पृष्ठ क्र.
राज्य की रूपरेखा	1.1	105
घाटा और आधिक्य	1.2	106
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	107
वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है	3.1	109
वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है	3.2	110
नई उप-शीर्षों/योजनाओं का विवरण (प्रत्येक प्रकरणों में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ	3.3	111
प्रकरणों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (एक करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.4	112
योजना प्रमुखों का विवरण जहाँ संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक) अप्रयुक्त रह गए	3.5	113
वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ शुद्ध बचत हुई (बचत ₹10 करोड़ से अधिक)	3.6	115
उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखों में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	3.7	116
वर्ष 2000-01 से 2022-23 तक के लिए नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अतिरिक्त व्यय	3.8	118
वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य व्यय हुआ	3.9	119
31 मार्च 2024 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण	4.1	120
मार्च 2024 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया	4.2	120
चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हुई हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	4.3	121
शासन को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण (31 मार्च 2024 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)	4.4	122

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के अध्याय-I में प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएँ, छत्तीसगढ़ राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों का अनुपालन, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में प्रवृत्ति जैसे राजस्व आधिक्य/घाटा, राजकोषीय आधिक्य/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ शामिल हैं।

अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के क्रमशः वित्त तथा विनियोग लेखों की जाँच में उत्पन्न तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई है।

अध्याय-IV 'लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली' में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

रिपोर्ट के बारे में

भारत के सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से, राजकोषीय स्थिरता, बजट प्रयोजन के विरुद्ध प्रदर्शन, राजस्व और व्यय प्रक्षेपण, विविधताओं के कारण और उसका प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (प्रचलित भाव पर) 9.23 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2019-20 में ₹3,44,672 करोड़ से 2023-24 में ₹5,05,887 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियाँ 10.26 प्रतिशत की दर से बढ़ीं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022-23 में 20.21 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 20.46 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 18.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 17.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2022-23 में ₹98,691.19 करोड़ से 32.20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,30,471.85 हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2022-23 से 34.54 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022-23 में राजस्व आधिक्य ₹8,592.11 करोड़ के मुकाबले 2023-24 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा ₹11,232.76 करोड़ था, जबकि राजकोषीय घाटा 2022-23 में ₹4,691.21 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹26,933.03 करोड़ हो गया, जो 474.12 प्रतिशत की वृद्धि है।

प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, करेतर राजस्व, करों में राज्यों के हिस्से का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता और हस्तांतरण में अनुदान और गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ। राज्य शासन के व्यय में राजस्व खाते के साथ-साथ पूँजीगत व्यय (संपत्ति निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) पर व्यय शामिल है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक, राजस्व प्राप्तियाँ ₹63,868.70 करोड़ से 10.25 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर ₹1,03,508.20 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹261.61 करोड़ से घटकर ₹30.62 करोड़ हो गईं तथा ऋण प्राप्तियाँ ₹19,587.53 करोड़ से बढ़कर ₹54,049.72 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी 2019-20 में 21.31 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 10.72 प्रतिशत हो गई, जो भारत सरकार के समर्थन पर कम निर्भरता का संकेत है। राज्य शासन को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹8,217.62 करोड़ प्राप्त हुए।

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। 2019-20 और 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय ₹73,477.37 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का

21.32 प्रतिशत) से बढ़कर ₹1,14,740.96 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.68 प्रतिशत) हो गया।

इस अवधि के दौरान इसने लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (86.42 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) बनाया, जो 12.95 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2019-20 में ₹9,608.61 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.79 प्रतिशत) से बढ़कर चालू वर्ष में ₹11,232.76 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.22 प्रतिशत) हो गया।

राज्य शासन ने पूँजीगत खाते पर ₹15,418.93 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2023-24 में कुल व्यय का 11.82 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान, उधार ली गई धनराशि (₹67,412.52 करोड़) का 52 प्रतिशत का उपयोग पहले के उधार (₹34,929.59 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का केवल 48 प्रतिशत ही शेष रह गया।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में ₹17,969.38 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.21 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹26,933.03 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.32 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर व्यय शामिल होते हैं। वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 39-50 प्रतिशत था। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 में 44.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 38.62 प्रतिशत हो गया।

प्रतिबद्ध व्यय के अलावा, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय वर्ष 2019-20 में 3.06 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 10.81 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, अनम्य व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 35.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2022-23 में ₹8,306.28 करोड़ (राजस्व व्यय का 9.74 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹10,796.88 करोड़ (राजस्व व्यय का 9.41 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, ऊर्जा (55.88 प्रतिशत) और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (36.26 प्रतिशत) ने कुल सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा बनाया।

ऑफ-बजट उधार

राज्य शासन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पैरास्टैटल्स के माध्यम से, ऑफ-बजट उधार के रूप में ₹7,292.94 करोड़ (कुल बजट देनदारियों का 5.43 प्रतिशत) जुटाए, जो राज्य की समेकित निधि में प्रवाहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें बजट के माध्यम से पुनर्भुगतान और चुकाया जाना अपेक्षित है।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वर्ष 2023-24 के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि ₹31,662.88 करोड़ थी। जिसमें से 31 मार्च 2024 तक ₹21,890.52 करोड़ बकाया था।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, ऑफ-बजट उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी इत्यादि जैसे मैक्रो-राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय विसंगति का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय भी शामिल हैं जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधि में स्थानांतरण, स्थानीय निकायों को स्थानांतरण आदि के लिए प्रतिबद्धता से उत्पन्न होते हैं।

एफआरबीएम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम/एमटीएफपीएस कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिसके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए, और इसी तरह पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में गारंटी के लिए भी सीमाएं निर्धारित करता है। वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा 2.22 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 2.99 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 5.32 प्रतिशत था; समग्र देयता 23.81 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 24.93 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरता विश्लेषण के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 को छोड़कर, समग्र देनदारियों/ऋण में वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही और 2019-20 से 2023-24 तक इसमें तेजी से वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि राज्य को ऋण में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इसे नाममात्र वृद्धि के अनुरूप रखा जा सके। राज्य ने तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग औसतन सालाना 1.5 महीने के लिए किया, जो दर्शाता है कि राज्य तरलता के मुद्दों से जूझ रहा था। इसके अलावा, राज्य, वर्ष 2019-20 को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में वित्त आयोग द्वारा दिए गए सांकेतिक ऋण पथ के भीतर अपने ऋण-जीएसडीपी अनुपात को बनाए रखने में कामयाब रहा।

जैसा कि ऊपर की गई विश्लेषण और परिणामों के अनुसार, राज्य शासन ने अपने स्वयं के कर राजस्व को जुटाने में पन्द्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमानों की अपेक्षाओं को पार कर लिया, लेकिन अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित करेतर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। महामारी से प्रभावित वर्ष 2020-21 को छोड़कर, राज्य ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए विचार किए गए अधिकांश संकेतकों ने पिछले पांच वर्षों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि राज्य का ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अस्थिर रहा।

बजट प्रदर्शन

कुल बजट परिणाम

बजटीय मंशा और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन (-)12.12 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, पाँच अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन 48.36 प्रतिशत था। यह 24 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत

से ± 50 प्रतिशत के बीच, 21 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट निष्पादन इस बात को भी देखता है कि किस हद तक निष्पादन के दौरान पुनः आवंटन मुख्य बजट श्रेणियों कि व्यय संरचना के विचरण में योगदान दिया है। यह माप अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन $(-)$ 9.04 प्रतिशत था। यह 42 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 34.43 प्रतिशत था। यह 20 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 24 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 17 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि हालांकि विचलन वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच चार प्रतिशत से भी कम था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और अधिक विचलन था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि ऐसे अनुपूरक प्रावधान भी थे जहाँ व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया। एक विश्वसनीय बजट प्रणाली को इस तरह के विचलन से निपटने की आवश्यकता होनी चाहिए।

अनुदानों/विनियोगों से अधिकता का नियमितीकरण

राज्य सरकार के लिए संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1)(ख) के अनुसार यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए। यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 में एक अनुदान और दो विनियोगों के तहत ₹18,228.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से 2022-23 के प्रावधान से ₹21,066.99 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली में वित्तीय लेखों, लेन-देन और उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जो अनुपालन में कमी, कमजोर विनियमन और वास्तविक व्यय को साबित करने वाले लेखांकन विवरण या समायोजन विवरण के विलम्ब से मिलने से संबंधित समस्याओं को कवर करता है। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित समस्याओं जैसे देयताओं का कम या अधिक भुगतान, लेन-देन का गलत वर्गीकरण एवं सूचनाओं की कमी को भी उजागर करता है।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक

अग्रिम राशि निकासी के लिए उपयोग किये गए संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (एसी) के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक (डीसी) प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होने के बावजूद, दिसंबर 2024 की स्थिति में ₹3.44 करोड़ रुपये की राशि के 220 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुति के लिए लंबित थे। निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है, बल्कि अपव्यय/दुरुपयोग/दुराचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है।

मिलान

नियंत्रक अधिकारियों को अपने व्यय और प्राप्तियों का मिलान महालेखाकार की पुस्तकों में दर्ज व्यय के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान 99.38 प्रतिशत प्राप्तियों और 97.31 प्रतिशत संवितरणों का मिलान किया गया।

लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकरण

यह देखा गया कि 43 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹6,099.05 करोड़ रुपये (कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.89 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 26 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज ₹768.52 करोड़ रुपये (कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 0.59 प्रतिशत) के व्यय को 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अस्पष्ट बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि को प्रकट नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) का अनुपालन

भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आईजीएएस-1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी – प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, आईजीएएस-2: अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण करना और आईजीएएस-3: सरकार द्वारा किए गए ऋण और अग्रिम, का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा खातों का परिचालन

31 मार्च 2024 तक की स्थिति में 130 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,352.90 करोड़ रुपये था। व्यक्तिगत जमा खातों में मौजूद अप्रयुक्त शेष को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से वित्तीय स्थिति में स्थिरता, संभावित लाभ से वंचित होना, समय के साथ क्रय शक्ति में कमी, निधियों की न्यूनतम वृद्धि आदि का जोखिम होता है।

एकल नोडल एजेंसी में राशि

भारत सरकार और राज्य शासन ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य शासन का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक, राज्य शासन ने ₹8,514.85 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹8,609.09 करोड़ का राज्य हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,196.82 करोड़ रुपये बिना खर्च किए पड़े थे।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए होता है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न किया जाना; भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों का गैर-अनुपालन; एवं एकल नोडल खातों से व्यय की जानकारी की गैर-आपूर्ति से लेखाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अध्याय I

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राज्य का निर्माण नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित कर हुआ था। इसमें 33 जिले¹ हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा भारत और राज्यों के लिए 2011–2036 की जनसंख्या अनुमान के अनुसार इसकी जनसंख्या 3.05 करोड़ है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या 2014 में 2.68 करोड़ से बढ़कर 2024 में 3.05 करोड़ हो गई है, जो 14.06 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करती है। राज्य से संबंधित सामान्य और वित्तीय आंकड़े परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धित

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) आउटपुट के मूल्य में से उसके मध्यस्थ इनपुट को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
(₹ करोड़ में)					
भारत					
सकल घरेलू उत्पाद	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646	2,95,35,667
सकल मूल्य वर्धित	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	-0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
राज्य					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525 ^आ	4,64,399 ^ब	5,05,887 ^अ
सकल राज्य मूल्य वर्धित	3,24,975	3,36,030	3,90,198 ^आ	4,39,413 ^ब	4,76,423 ^अ
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.93	3.40	16.12	12.61	8.42
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,19,066	1,20,113	1,38,256 ^आ	1,54,609 ^ब	1,66,520 ^अ

(स्रोत: एमओएसपीआई प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2024 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)
अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

¹ 31 मार्च 2024 तक

वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹5,05,887 करोड़ था और वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी ₹2,95,35,667 करोड़ थी। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹1,66,520 थी, जबकि देश की ₹2,11,725 थी। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (39.86 प्रतिशत) उसी अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी (41.23 प्रतिशत) में वृद्धि से कम थी।


सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता रहा है। जीवीए को जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है क्योंकि क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है और की जाती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप जीडीपी में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। इसलिए नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए जीवीए और जीएसवीए आंकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2019-20 से 2020-21 की अवधि के दौरान जीएसवीए की दर में वृद्धि जीवीए से अधिक थी। जीवीए की तुलना में, जिसमें महामारी प्रभावित वर्ष 2020-21 में आर्थिक मंदी के कारण संकुचन देखा गया था, राज्य के जीएसवीए में 3.40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, हालांकि, यह 2023-24 में जीएसवीए के लिए देखी गई वृद्धि को पार कर गया।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए के प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 1.1: जीएसडीपी बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर (2019-20 से 2023-24)

(प्रतिशत में)




स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित

किया जाता है, जो कृषि, उद्योग² और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

चार्ट 1.2 जीएसडीपी की क्षेत्रीय वृद्धि दर को दर्शाता है जो 2019-24 की पांच साल की अवधि में तीनों क्षेत्रों की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उद्योग और सेवाओं की वृद्धि दर 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कम थी, जबकि कृषि में वृद्धि 2022-23 की तुलना में अधिक रही। उद्योग में धीमी वृद्धि के लिए खनन और उत्खनन तथा विनिर्माण की वृद्धि दर में कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जबकि सेवाओं में धीमी वृद्धि के लिए व्यापार, होटल और रेस्तरां तथा परिवहन, भंडारण और संचार सेवाओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कृषि की दर में वृद्धि के लिए पशुधन की उच्च वृद्धि दर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राज्य की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) सीएजी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत कोषागारों, कार्यालयों और ऐसे खातों को रखने के लिए जिम्मेदार विभागों से प्राप्त वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे सालाना तैयार करते हैं। इन लेखों की स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा ऑडिट की जाती है और सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस रिपोर्ट के मुख्य डेटा हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

² छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना का हिस्सा तय करते समय खनन और उत्खनन को उद्योग के भाग के रूप में गिना जाता है।

- राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालय से अन्य आंकड़ा (लेखाकंन साथ ही एम.आई.एस);
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के संदर्भ में किया गया है।

1.3 शासकीय लेखों की संरचना का विहगांवलोकन

शासकीय लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत राज्य शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (प्रभारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (मतदेय व्यय) के लिये मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज़

भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबन्ध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' बजट दस्तावेज़ का मुख्य घटक है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखों में किये गये व्यय को अन्य व्यय से अलग करता/दिखाता है।

राजस्व लेखा प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं के कर राजस्व तथा संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), करेत्तर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व लेखा व्यय में वे समस्त व्यय शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम-काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से सम्बन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से सम्बन्धित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि:

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल हैं।


शासकीय लेखों के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और आर्थिक दोनों हैं।

	कार्यक्रम विवरण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिए	योजना	उप-शीर्ष (दो अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप-क्षेत्र शामिल हैं। व्यय के लेन-देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षों में उप-वर्गीकृत किया गया है। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्ष साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्षों द्वारा प्रस्तुत कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए 'कार्यक्रम' की पहचान करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती हैं और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्षों के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्षों के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर मदवार नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.3 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.3: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण



स्रोत : वित्त लेखे

लोक ऋण और लोक लेखा दायित्व: इस रिपोर्ट में, 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, लोक लेखा के तहत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा करती है। भुगतान की गई राशि. सार्वजनिक खाते के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'सस्पेंस' से संबंधित लेन-देन में कोषागारों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन जैसे समायोजन प्रमुख शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में, 'लोक लेखा दायित्व' को 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा' के तहत लेनदेन के साथ-साथ प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

1.4 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, उपर्युक्त को अनुदानों/विनियोगों की मांग के रूप में राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। वित्त लेखे और विनियोग लेखे एसएफएआर की तैयारी के लिए मुख्य डेटा को शामिल करते हैं। ये लेखे वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2022-23 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	वर्ष 2022-23 (वास्तविक)	वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान)	वर्ष 2023-24 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक आंकड़े स.रा. घ.उ का प्रतिशत
1	कर राजस्व	65,480.57	72,800.73	77,268.10	106.14	15.27
(i)	स्वयं के कर राजस्व	33,122.31	38,000.00	38,786.22	102.07	7.67
(ii)	संघीय करों/शुल्कों के अंश	32,358.26	34,800.73	38,481.88	110.58	7.61
2	करेत्तर राजस्व	15,248.24	18,200.00	15,147.97	83.23	2.99
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	13,148.33	15,000.00	11,092.13	73.95	2.19
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	93,877.14	1,06,000.73	1,03,508.20	97.65	20.46
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	117.24	300.00	25.61	8.54	0.01
6	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.6	0.00	5.01	0.00	0.00
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ	10,638.74	15,200.00	54,049.72	283.85	10.68
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	10,761.58	15,500.00	54,080.34	279.60	10.69
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	1,04,638.72	1,21,500.73	1,57,588.54	125.72	31.15
10	राजस्व व्यय	85,285.03	1,02,500.70	1,14,740.96	111.94	22.68
11	ब्याज भुगतान	6,382.08	6,919.87	6,798.34	98.24	1.34
12	पूँजीगत व्यय	13,320.30	18,660.20	15,418.93	82.63	3.05
13	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	85.86	339.35	311.96	91.93	0.06
14	कुल व्यय (10+12+13)	98,691.19	1,21,500.25	1,30,471.85	107.38	25.79
15	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-10)	(+)8,592.11	(+)3,500.03	(-)11,232.76	(-)320.93	2.22
16	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}	(-)4,691.21	(-)15,199.52	(-)26,933.03	177.20	5.32
17	प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-) (16-11)	(+)1,690.87	(-)8,279.65	(-)20,134.69	243.18	3.98

18	ऋण-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	20.16	23.81	24.93	104.70	-
19	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.12	11.24	8.93	79.45	-

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2023-24

बजट 2023-24 में अनुमानित ₹3,500.03 करोड़ के राजस्व आधिक्य के मुकाबले राज्य को ₹11,232.76 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है, क्योंकि बजट में अनुमानित ₹1,02,500.70 करोड़ की तुलना में ₹1,14,740.96 करोड़ का राजस्व व्यय हुआ है। उच्च राजस्व व्यय का श्रेय 2023-24 के दौरान अनुपूरक बजट के दौरान शुरू की गई नई योजनाओं यानी कृषक उन्नति योजना (₹13,320.58 करोड़) और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (₹1,398.31 करोड़) के तहत किए गए व्यय को दिया जा सकता है। उच्च राजस्व घाटे के कारण राजकोषीय घाटा अनुमान से अधिक रहा।

1.4.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को दर्शाते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से लिए गए ऋण और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियां शामिल हैं, और परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दायित्वों				परिसंपत्तियाँ			
	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1	आंतरिक ऋण	68,754.84	95,140.17	(+)38.37	सकल पूंजीगत परिव्यय	1,25,727.20	1,41,142.72	(+)12.26
2	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	15,195.95	18,747.38 ³	(+)23.37	ऋण और अग्रिम	1,378.31	1,664.85	(+)20.79
3	आकस्मिकता निधि (कोर्पस)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	13.47	-
4	अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि	9,326.98	10,848.71	(+)16.31	अग्रिम	7.00	7.10	(+)1.42
5	जमा	6,146.92	6,405.35	(+)4.20	प्रेषण	298.66	351.50	(+)17.69
6	आरक्षित निधि	9,606.04	10,694.70	(+)11.33	उचंत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00
7	उचंत तथा विविध शेष	238.80	181.93	(-)23.81	रोकड़ शेष ⁴	8,047.97	13,797.24	(+)71.43
8	प्रेषण	0.00	0.00	0.00				
9	व्यय की तुलना में प्राप्तियों की संचयी अधिकता	26,089.61	14,858.64	(+)43.05	कुल	1,35,459.14	1,56,976.88	(+)15.89
कुल (1 से 9)		1,35,459.14	1,56,976.88	(+)15.89	कुल	1,35,459.14	1,56,976.88	(+)15.89

स्रोत : वित्त लेखे

³ इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण का भुगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से किया जाएगा।

⁴ निर्धारित निधि में निवेश सहित

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

घाटा सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। इसके अलावा, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और जुटाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वह इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति और परिमाण तथा इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके, तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (सीजीएफआरबीएम अधिनियम)/नियम/राजकोषीय नीति वक्तव्यों के तहत निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

1.5.1 राज्य एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, राज्य शासन ने राजस्व घाटे के प्रगतिशील उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचे (एमटीएफएफ) में राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता सुनिश्चित करने के लिए सीजीएफआरबीएम अधिनियम, 2005 (सितंबर 2011, 2016 और मार्च 2021 में संशोधित) को लागू किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाना था। 2023–24 के दौरान, राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्रमशः जीएसडीपी का 3.30 प्रतिशत और 2.99 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जैसा कि बजट 2023–24 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में बताया गया था। 2023–24 के दौरान जीएसडीपी के 5.32 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा बजट/एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

बजट के साथ प्रस्तुत राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय अवयव तथा 2019–24 के दौरान उनकी उपलब्धियां तालिका 1.4 में दी गई हैं।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2019–24⁵

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम /एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	(-)9,608.61	(-)6,856.66	(+)4,642.02	(+)8,592.11	(-)11,232.76
			✗	✗	✓	✓	✗
2	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत)	2019–20 के लिए 5.00%	(-)17,969.38 (5.21%)	(-)15,822.38 (4.49%)	(-)6,093.10 (1.48%)	(-)4,691.21 (1.01%)	(-)26,933.03 (5.32%)
		2020–21 के लिए 5.00%					
		2021–22 के लिए 4.56%					
		2022–23 के लिए 3.33%	✗	✓	✓	✓	✗
		2023–24 के लिए 2.99%					

⁵ जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्टों में दर्शाए गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देनदारी ⁶ का अनुपात (प्रतिशत में)	2019-20 के लिए	22.84%	25.42%	22.19%	20.16%	24.93%
		21.23%					
		2020-21 के लिए					
		21.59%					
		2021-22 के लिए					
28.34%							
2022-23 के लिए		✘	✘	✓	✓	✘	
26.41%							
2023-24 के लिए							
23.81%							

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य 2023-24 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। 2023-24 के दौरान, राज्य का राजस्व घाटा ₹11,232.76 करोड़ था, जबकि 2022-23 में राजस्व आधिक्य ₹8,592.11 करोड़ रुपये था। राजस्व घाटे में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों में ₹9,631.06 करोड़ (10.26 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद 2022-23 की तुलना में राजस्व व्यय में ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 15.64 प्रतिशत कम हुईं।

राज्य का राजकोषीय घाटा 2022-23 में ₹4,691.21 करोड़ से ₹22,241.82 करोड़ बढ़कर 2023-24 में ₹26,933.03 करोड़ हो गया, क्योंकि राज्य का राजस्व व्यय 2022-23 में ₹85,285.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में ₹1,14,740.96 करोड़ हो गया। हालांकि, आरक्षित निधि में गैर-योगदान/गलत वर्गीकरण आदि के समायोजन के बाद वास्तविक राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹13,595.54 करोड़ और ₹27,877.47 करोड़ रहा होगा, जैसा कि पैरा 1.7 में विस्तृत है। हालांकि 2019-20 और 2023-24 के अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान जीएसडीपी के लिए राजकोषीय घाटे का अनुपात एफआरबीएम/एमटीएफपीएस के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.32 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा बजट/एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसडीपी के लिए कुल बकाया देनदारियों का प्रतिशत (24.93 प्रतिशत) राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस (23.81 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, लेकिन 15 वे वित्त आयोग द्वारा अनुमानित जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सांकेतिक ऋण (30.8 प्रतिशत) के भीतर था। जीएसडीपी के लिए देनदारियों के प्रतिशत की गणना जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹8,074.15 करोड़ (वर्ष 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ और 2020-21 में ₹3,109 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर की गई है।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5(3) के तहत, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे राज्य के उधार के रूप में ऐसी देनदारी को ऐसे रूप में प्रतिबिंबित करना होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एफआरबीएम नियम निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और अनुदान की मांग के समय सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक खुलासे करेगी। राज्य शासन ने 2023-24 के बजट दस्तावेज के साथ आवश्यक फॉर्म डी-2 "राज्य शासन की समग्र बकाया देनदारियों" में ₹4,121.33 करोड़ की ऑफ-बजट देनदारियों (₹7,292.94


⁶ ऋण से जीएसडीपी अनुपात की गणना कुल बकाया ऋण से वर्ष 2020-21 के लिए ₹3,109 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण और वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए ₹8074.15 करोड़ को बाहर करने के बाद की गई है।

करोड़ की ऑफ-बजट देनदारियों में से)⁷ का खुलासा किया। हालाँकि, राज्य शासन ने 2024-25 के बजट दस्तावेज़ में वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ऑफ-बजट देनदारियों की स्थिति का खुलासा नहीं किया।

1.5.2 घाटा/ आधिक्य की प्रवृत्तियाँ


वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा (परिशिष्ट 1.2 में परिभाषित) ₹26,933.03 करोड़ था, जो जीएसडीपी (₹5,05,887 करोड़) का 5.32 प्रतिशत था और कुल व्यय (₹1,30,471.85 करोड़) का 20.64 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹11,232.76 करोड़ और ₹20,134.69 करोड़ था। 2019-20 से 2023-24 तक की पांच साल की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है और जीएसडीपी के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ



स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

चार्ट 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ



स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

⁷ ₹7,292.94 करोड़ के निवल ऑफ-बजट उधारी की गणना, कुल ऑफ-बजट उधार (₹8,927.03 करोड़) में से मूलधन राशि (₹1,634.09 करोड़) की पुर्नभुगतान को घटाने के बाद की गई है।

राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस के अंतर्गत निर्धारित राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त नहीं किए जा सके।

1.6 राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(झ) और 243(म) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को हर पांच साल के बाद नियुक्त किया जाता है, जो राज्य शासन से स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की अनुशंसा करता है, और स्थानीय निकायों के स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उपाय भी सुझाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने 2000 में राज्य गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों का विवरण नीचे तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.5: राज्य वित्त आयोग का गठन

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना है	वास्तव में गठित	अनुशंसा प्रस्तुत करने की तिथि	सरकार द्वारा स्वीकृति	पूर्ण अवधि	अनुशंसाओं की संख्या	
							एसएफसी द्वारा अनुशंसित	सरकार द्वारा स्वीकृत
1	प्रथम	2001-02	22.08.2003 / 14.07.2004	30.05.2007	जुलाई 2009	2007-12	81	41 ⁸
2	द्वितीय	2006-07	23.07.2011	31.03.2013	जुलाई 2013	2012-20	133	103
3	तृतीय	2011-12	20.01.2016	30.09.2018	अक्टूबर 2019	2020-25	58	37 ⁹
4	चतुर्थ	2016-17	29.07.2021	14.02.2024	—	2025-30	—	—

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरित करने में और देरी हुई।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश, स्वीकृत हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा 2019-20 से 2023-24 तक आवंटित और जारी किए गए वास्तविक बजट के संबंध में निधि प्रवाह का विवरण तालिका 1.6 में दिखाया गया है।

तालिका 1.6: 2019-24 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए हस्तांतरण और वास्तविक बजट/व्यय की तुलना में एसएफसी अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवधि	एसएफसी द्वारा अनुशंसित एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिशत हस्तांतरण			राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट [#]			राज्य शासन द्वारा वास्तविक रिलीज		
		पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग
1	2019-20	(6.15)	(1.85)	(8.00)	756	321	1077	750	321	1071
2	2020-21	(6.91)	(2.09)	(9.00)	865	444	1309	606	442	1048
3	2021-22	(6.91)	(2.09)	(9.00)	858	451	1309	651	451	1102
4	2022-23	(6.91)	(2.09)	(9.00)	1644	423	2067	1209	423	1632
5	2023-24	(6.91)	(2.09)	(9.00)	1169	973	2142	1367	973	2339

(# पंचायतों/स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता - एमएच 2217, 2515, 4217 और 4515 से नीचे एसएफसी की सिफारिश)

⁸ राज्य शासन ने 41 सिफारिशों में से 36 को स्वीकार कर लिया, जबकि 5 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया।

⁹ राज्य शासन ने 37 सिफारिशों में से 34 को स्वीकार कर लिया, जबकि 3 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया।

यूएलबी को जारी वास्तविक निधि 2019–24 के दौरान बजट आवंटन के अनुसार थी, सिवाय 2020–21 के, जहां मामूली गिरावट देखी गई। लेकिन पीआरआई को जारी वास्तविक निधि 2023–24 (₹1,169 करोड़ के आवंटित बजट के मुकाबले ₹1,366 करोड़ की वास्तविक रिलीज) को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित बजट से कम थी। 2023–24 के दौरान पीआरआई और यूएलबी को ₹2,142 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले राज्य सरकार ने ₹2,339 करोड़ जारी किए।

1.7 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करने के लिए, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए विभिन्न मुद्दों का विवरण नीचे दिया गया है, जिनका राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

1.7.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा/ आधिक्य

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा, कर्ज और गारंटी की अधिकतम सीमा आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए निर्धारित राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों जैसे राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने और बजट से इतर राजकोषीय परिचालनों के कारण प्रभावित होता है। इसके अलावा, अनुदान, उपकर और ब्याज वाली आरक्षित निधियों पर ब्याज देनदारियों आदि के केंद्रीय हिस्से को संबंधित निधि में हस्तांतरित न करने जैसे कुछ मुद्दे भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को क्रमशः ₹2,399.28 करोड़ और ₹38.03 करोड़ कम दिखाया गया और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को क्रमशः ₹38.03 करोड़ और ₹1,456.37 करोड़ अधिक दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए राजस्व प्राप्तियों को ₹1.53 करोड़ अधिक दर्शाया गया, जिसे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है तथा उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का आकलन तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7 : लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व प्राप्ति और व्यय पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	पैरा संदर्भ	राजस्व व्यय की अत्योक्ति	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति	पूंजीगत व्यय की अत्योक्ति	पूंजीगत व्यय की न्यूनोक्ति	राजस्व प्राप्ति की अत्योक्ति	राजस्व प्राप्ति की न्यूनोक्ति
1	राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण	3.5.1 और 4.10	38.03	1,456.37	1,456.37	38.03	---	---
2	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज देनदारियां	2.4.2.3	---	1.89	---	---	---	---
3	राज्य आपदा राहत निधि पर ब्याज देयताएं	2.5.2.2 (अ)	---	46.14	---	---	---	---
4	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज देयताएं	2.5.2.2 (ब)	---	28.53	---	---	---	---

5	वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा एकल नोडल एजेंसी को दी जाने वाली धनराशि के अव्ययित शेष के केंद्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज	2.3.2.3 (ब)	---	---	---	---	---	---
	2023-24		---	---	---	---	1.53	---
6	ट्रस्टी बैंक को सरकारी अंशदान का अल्पकालीन हस्तांतरण	2.4.2.3	---	1.32	---	---	---	---
7	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में केंद्रीय सहायता अनुदान का हिस्सा हस्तांतरित न किया जाना	2.5.2.2 (ब)	---	90.80	---	---	---	---
8	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में राज्य सहायता अनुदान का हिस्सा हस्तांतरित न किया जाना	2.5.2.2 (ब)	---	30.27	---	---	---	---
9	खनिज विकास निधि में कम अंतरण	2.5.2.5 (स)	---	247.07	---	---	---	---
10	छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि में कम अंशदान	2.5.2.5 (द)	---	111.07	---	---	---	---
11	केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अनुदान-सहायता का हस्तांतरण न होना	2.5.2.5 (य)	---	210.16	---	---	---	---
12	अवसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर का अल्प हस्तांतरण	2.5.2.5 (अ और ब)	---	175.66	---	---	---	---
योग			38.03	2,399.28	1,456.37	38.03	1.53	0.00

स्रोत : वित्त लेखे 2023-24

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विशेष	वित्त लेखा के अनुसार	अत्योक्ति (+)/ न्यूनोक्ति (-) द्वारा	वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा
1	राजस्व आधिक्य	11,232.76	2,362.78	13,595.54
2	राजकोषीय घाटा	26,933.03	944.44	27,877.47

स्रोत : वित्त लेखे 2023-24

1.7.2 लेखा परीक्षा के बाद-कुल ऋण/दायित्व

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2017-24 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने सात सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से ₹8,927.03 करोड़ रुपये के ऑफ-बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने राज्य बजट के माध्यम से इन ऑफ-बजट उधारों पर ब्याज की अदायगी के अलावा ₹1,634.09 करोड़ रुपये के मूलधन का पुनर्भुगतान किया है। इस मुद्दे पर रिपोर्ट के पैरा 4.13 में विस्तार

से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए, ऑफ-बजट उधार को कुल देनदारियों में जोड़ा गया है।

भारत सरकार ने राज्य को 2020-21 में ₹3,109 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ (कुल ₹8,074.15 करोड़) की राशि के बैंक-टू-बैंक ऋण जारी किए। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक शुद्ध उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण सेवा जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व पूरा नहीं किया जाएगा। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ-बजट उधार और बैंक-टू-बैंक ऋण के कारण, कुल ऋण/देनदारियों में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वृद्धि/कमी हुई है जैसा कि तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.सं.	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2024 को लेखों के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	1,34,179.36	26.52
2.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैंक टू बैंक एक ऋण (ब)	8,074.15	1.60
3.	बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर कुल देनदारियां (स) = (अ) - (ब)	1,26,105.21	24.93
4.	31.03.2024 को निवल ऑफ-बजट देनदारियां (₹8,927.03 - ₹1,634.09) (द)	7,292.94	1.44
कुल देयताएं (स)+(द)		1,33,398.15	26.37

स्रोत : वित्त लेखे 2023-24

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बैंक टू बैंक ऋण और ऑफ-बजट देनदारियों को समायोजित करने के बाद ऋण-जीएसडीपी अनुपात 26.52 प्रतिशत से घटकर 26.37 प्रतिशत हो गया।

अध्याय II

राज्य शासन के वित्त

राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण करता है, वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन-देनों का राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वर्ष 2022–23 के सापेक्ष में वर्ष 2023–24 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 17.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ करेत्तर राजस्व में 0.66 प्रतिशत की कमी हुई ↓ ➤ केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश में 18.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 15.64 प्रतिशत की कमी हुई ↓
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय में 34.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 23.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 62.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ सहायता अनुदान और योगदान पर व्यय में 13.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑
पूँजीगत प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत प्राप्तियों में 10.54 प्रतिशत की कमी हुई ↓
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय में 15.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 17.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 41.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 1.54 प्रतिशत की कमी हुई ↓
ऋणों तथा अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण तथा अग्रिमों के संवितरणों में 262.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों में 78.76 प्रतिशत की कमी हुई ↓
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 408.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ लोक ऋण अदायगी में 151.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 27.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑ ➤ लोक लेखा संवितरणों में 26.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश में 71.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई ↑

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती कड़िकाओं में किया गया है।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग


तालिका 2.2 में वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2022-23 के साथ की गई, जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2023-24 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)


	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	प्रारंभिक रोकड़ शेष ¹	9,921.62	8,047.97	(-), 1,873.65
	राजस्व प्राप्तियाँ	93,877.14	103,508.20	9,631.06
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	5.60	5.01	(-) 0.59
	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	117.52	24.96	(-) 92.56
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-) 0.28	0.65	0.93
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	1,038.02	29,936.76	28,898.74
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,779.54	2,759.01	979.47
	आकस्मिकता निधि	0.00	63.49	63.49
	योग	1,06,739.16	1,44,346.05	37,606.89
उपयोग	राजस्व व्यय	85,285.03	114,740.96	29,455.93
	पूँजीगत व्यय	13,320.30	15,418.93	2,098.63
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	85.96	311.50	225.54
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-) 0.10	0.46	0.56
	आकस्मिकता निधि	0.00	76.96	76.96
	अंतिम रोकड़ शेष	8,047.97	13,797.24	5,749.27
	योग	1,06,739.16	1,44,346.05	37,606.89

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23 एवं 2023-24

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत : वित्त लेखे 2023-24

नोट: ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ, अंतर्राज्यीय परिशोधन (निवल) अन्य में शामिल है।

¹ प्रारंभिक/अंतिम रोकड़ शेष में रोकड़ शेष, रोकड़ शेष और निर्धारित निधि का निवेश शामिल हैं।

2.3 राज्य के संसाधन

1. राजस्व लेखे प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।


2. पूँजीगत लेखे प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।

3. निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ : कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ के अलावा, लोक लेखे में उपलब्ध धन (इससे किये गये निवल संवितरण) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे 2023-24

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2019-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14	1,03,508.20
2	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-1.88)	(-1.08)	26.08	17.86	10.26
3	कर राजस्व	42,323.69	43,226.74	55,654.52	65,480.57	77,268.10
4	स्वयं के कर राजस्व	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	38,786.22
5	केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26	38,481.88
6	करेत्तर राजस्व	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24	15,147.97
7	भारत सरकार से सहायता अनुदान	13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.33	11,092.13
8	भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.84	(-5.87)	(-20.81)	29.59	(-15.64)
9	स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.22	3.49	18.33	22.30	17.10
10	स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व) (4) + (6)	30,051.62	30,026.15	40,934.94	48,370.55	53,934.19
11	स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.16	(-0.08)	36.33	18.16	11.50
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887
13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93
14	राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.53	17.93	19.40	20.21	20.46
उत्प्लावकता अनुपात²						
15	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता	0.60	1.57	1.11	1.70	1.91

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकड़े: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य

तालिका 2.3 से पता चलता है कि राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2019-20 में ₹63,868.70 करोड़ से ₹39,639.50 करोड़ बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹1,03,508.20 करोड़ हो गईं। वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹9,631.06 करोड़ (10.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण स्वयं के कर राजस्व की प्राप्तियों में ₹5,663.91 करोड़ (17.10 प्रतिशत) की वृद्धि और केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश में ₹6,123.62 करोड़ (18.92 प्रतिशत) की वृद्धि है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 53 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2023-24 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 52 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 48 प्रतिशत का योगदान दिया।

² उत्प्लावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है।


राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा, जो 2019-20 में 34.63 प्रतिशत था, पिछले वर्षों की तुलना में तेजी से बढ़कर 2022-23 में 35.28 प्रतिशत और 2023-24 में 37.47 प्रतिशत हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार से सहायता अनुदान में उतार-चढ़ाव आया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में 18.51 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में इसमें ₹2,056.20 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की कमी आई।

स्वयं का कर राजस्व उत्प्लावकता अर्थव्यवस्था (यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की वृद्धि के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रिया को मापता है। जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, स्वयं का कर राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2019-20 में 0.60 से सतत बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1.91 हो गया है, जो बताता है कि राज्य में करों के संग्रह की वृद्धि इसकी आर्थिक वृद्धि के सापेक्ष बेहतर हुई है।


सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रवृत्तियों और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट 2.4 और 2.5 में दी गई है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके अपने संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें उसके अपने कर और करेत्तर स्रोतों से राजस्व शामिल है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए स्वयं कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दी गई हैं।

तालिका 2.4: वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व/करेत्तर राजस्व का विकास

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	स्वयं के कर राजस्व	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	38,786.22
2	वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.22	3.49	18.33	22.30	17.10
3	करेत्तर राजस्व	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24	15,147.97
4	वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.00	(-10.04)	94.08	10.09	(-0.66)


स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- पिछले कुछ वर्षों में स्वयं कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें 2020-21 से 2021-22 तक 18.33 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि और फिर 2021-22 से 2022-23 तक (22.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। 2022-23 से 2023-24 तक (17.10 प्रतिशत) वृद्धि दर थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन अभी भी मजबूत बनी हुई है।
- पिछले कुछ वर्षों में करेत्तर राजस्व में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जिसमें 2020-21 से 2021-22 तक 94.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। करेत्तर राजस्व वृद्धि दर 2021-22 से 2022-23 तक काफी धीमी (10.09 प्रतिशत) हो गई है और 2022-23 से 2023-24 तक नकारात्मक (-0.66 प्रतिशत) भी हो गई है।

(अ) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भूमि राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। पांच साल की अवधि 2019-24 के दौरान राज्य शासन के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि चार्ट 2.6 में दी गई है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2019-24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019-24 तक पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक-वार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2019-24 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

क. सं.	शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 की तुलना में 2023-24 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.03	6,513.48	0.98
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,894.82	7,925.01	9,483.48	11,298.14	13,793.29	22.08
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	8,430.41	24.29
4	विद्युत कर तथा शुल्क	1,837.00	2,341.41	2,836.05	3,676.97	4,584.76	24.69
5	वाहनों पर कर	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	2,048.20	16.60
6	मुद्रांक तथा पंजीकरण शुल्क	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.64	2,494.18	11.91
7	भू-राजस्व	551.50	937.71	949.94	868.56	847.80	(-)-2.39
8	माल एवं यात्रियों पर कर	40.51	79.83	47.90	59.60	73.28	22.95
9	अन्य कर ³	0.81	0.39	0.78	1.05	0.82	(-)-21.90
	योग	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.31	38,786.22	17.10

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2019-20 में ₹22,117.85 करोड़ से ₹16,668.37 करोड़ (75.36 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹38,786.22 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं कर

³ अन्य करों में होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर अन्य कर शामिल हैं।

राजस्व में ₹5,663.91 करोड़ (17.10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹2,495.15 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹1,647.71 करोड़) और बिजली पर कर और शुल्क (₹907.79 करोड़) के तहत प्राप्तियों में वृद्धि है।

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी और आईजीएसटी (₹1,043.37 करोड़) के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग के तहत प्राप्ति में वृद्धि और आईजीएसटी के विभाजन-एसजीएसटी में कर घटक के हस्तांतरण (₹1,336.23 करोड़) के कारण थी। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण, शराब की दुकानों की संरचना में बदलाव और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड द्वारा शराब दुकानों का कुशल प्रबंधन के कारण हुई थी। इसके अलावा, विद्युत पर करों और शुल्कों में वृद्धि मुख्य रूप से उद्योगों से लंबित वसूली की संग्रहण और सभी श्रेणियों में विद्युत दरों में वृद्धि के कारण हुई।
- वर्ष 2023-24 में ₹38,786.22 करोड़ के कुल स्वयं के कर राजस्व में से, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का योगदान 36 प्रतिशत था, इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क का 22 प्रतिशत और बिक्री, व्यापार आदि पर कर का योगदान 17 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान अनुमानित एसजीएसटी ₹14,027.63 करोड़ था जिसके मुकाबले वास्तविक संग्रह ₹13,793.29 करोड़ था जो अनुमान से 1.67 प्रतिशत कम था।

(ब) करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2019-24 के दौरान एकत्र किए गए करेत्तर राजस्व का घटक-वार विवरण इस प्रकार है

तालिका 2.6: घटक वार करेत्तर राजस्व

क. सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में % वृद्धि (+)/ कमी (-)
1	ब्याज प्राप्तियाँ	232.41	89.77	137.96	200.75	175.16	(-)12.75
2	लाभांश और लाभ	2.39	2.29	3.64	6.20	3.84	(-)38.06
3	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	7,698.97	7,044.89	13,709.61	15,041.29	14,968.97	(-)0.48
i	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	6,195.73	5,538.49	12,305.39	12,941.33	12,795.34	(-)1.13
ii	वानिकी तथा वन्य जीव	249.37	277.09	346.90	856.04	811.28	(-)5.23
iii	वृहद् सिंचाई	437.04	445.91	418.17	412.88	448.80	8.70
iv	लघु सिंचाई	287.54	232.72	140.60	311.86	342.10	9.70
v	अन्य	529.29	550.68	498.55	519.18	571.45	10.07
	योग	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24	15,147.97	(-)0.66

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ 2019-20 में ₹7,933.77 करोड़ से बढ़कर ₹7,214.20 करोड़ (90.93 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹15,147.97 करोड़ हो गईं। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹100.27 करोड़ (0.66 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत प्राप्तियों में ₹145.99 करोड़ की कमी थी।

- अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों में कमी मुख्य रूप से लौह अयस्क के औसत बाजार मूल्य में गिरावट और गौण खनिज (रेत) की खदानों पर पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण थी।

(स) राजस्व के बकाया, विभाग द्वारा पकड़ी गई कर चोरी, रिफंड मामलों आदि का विश्लेषण

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया शासन को देय राजस्व की देरी से वसूली का संकेत देता है। 31 मार्च 2024 तक राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, जीएसटी और बिक्री, व्यापार आदि पर करों पर राजस्व का बकाया ₹10,279.39 करोड़ था, जिसमें से ₹2,727.65 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 2.7 में बताया गया है।

तालिका 2.7: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 तक कुल बकाया	31 मार्च 2024 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया	टिप्पणियाँ
1	राज्य उत्पाद शुल्क	56.39	56.39	इसमें आबकारी शुल्क अंतर, मनोरंजन कर बकाया, लाइसेंस शुल्क, खिसरा और पपिस्ट्रा (पोस्ट बीज) लाइसेंस शुल्क बकाया की राशि शामिल है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	वाहनों पर कर	354.21	287.33	वाहन स्वामियों द्वारा वाहन कर समय पर जमा नहीं किया गया है। वसूली हेतु समय-समय पर प्रवर्तन बलों के चेक पोस्टों/उड़नदस्तों द्वारा कार्यवाही की गई है। पंजीकृत पते पर वाहन स्वामी के न मिलने तथा वाहन के निर्धारित मार्ग पर न चलने के कारण वाहन का पता नहीं चल पा रहा है तथा बकाया राशि की वसूली नहीं हो पा रही है।
3	जीएसटी	6,196.37	18.78	विभाग ने बताया कि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुछ मामलों में पुनरीक्षण न्यायालय में अपील लंबित है। कुछ मामलों में मालिक की मृत्यु की स्थिति में बकाया राशि लंबित है। इसके अलावा कुछ व्यापारियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, तथा कुछ व्यापारियों की राशि समायोजित कर ली गई है।
4	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,672.42	2,365.15	विभाग द्वारा कारण नहीं बताया गया।
योग		10,279.39	2,727.65	

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

सितंबर 2024 में लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद विद्युत कर तथा शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, खनिज संसाधन और वन विभागों के द्वारा राजस्व का बकाया प्रदान नहीं किया गया है।

विभागों द्वारा कर चोरी के पकड़े गए मामले

विभागों द्वारा पकड़े गए कर चोरी के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और उठाई गई अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

निम्नलिखित विभागों द्वारा पकड़े गए कर चोरी के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और उठाए गए अतिरिक्त कर की मांग, जैसा कि इन विभागों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, तालिका 2.8 में दी गई है। उत्पाद शुल्क विभाग ने कर चोरी के शून्य मामले प्रस्तुत किये हैं।

तालिका 2.8: कर चोरी के मामले

क. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2023 तक लंबित राजस्व मामलों	2023-24 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	कुल मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन / जांच पूरी हो गई और शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2024 तक निपटान हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	वाहनों पर कर	877	152	1,029	1,029	7.30	0
2	जीएसटी	34	48	82	12	5.13	70
3	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3	0	3	3	320.19	0
योग		914	200	1,114	1,044	332.62	70

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी

जैसा कि देखा जा सकता है, मार्च 2024 के अंत में कुल मामलों में से 6.28 प्रतिशत मामले अंतिम रूप देने के लिए लंबित थे। अन्य विभागों जैसे ऊर्जा, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन, वन आदि ने सितंबर 2024 में लेखापरीक्षा द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद कर/राजस्व की चोरी के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

रिफंड मामलों का लंबित होना

रिफंड मामलों के निपटारे में तत्परता विभागों के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष की शुरुआत में लंबित रिफंड मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत रिफंड और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभागों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, तालिका 2.9 में दी गई है।

तालिका 2.9: रिफंड मामले

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	राज्य उत्पाद शुल्क		वाहनों पर कर		जीएसटी		बिक्री, व्यापार आदि पर कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे (1 अप्रैल 2023)	22	0.81	1	0.06	500	193.75	942	9.82
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे (2023-24)	5	0.33	15	0.64	1956	895.37	1,349	47.41
3	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड (2023-24)	12	0.71	0	0.00	1,425	627.47	1,256	46.24
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत रिफंड (2023-24)	0	0.00	15	0.64	503	250.41	8	0.11
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि (31 मार्च 2024)	15	0.43	1	0.06	528	211.24	1,027	10.88

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी


ऊर्जा (बिजली पर कर और शुल्क), वाणिज्यिक कर (पंजीकरण), खनिज संसाधन और वन विभागों ने मार्च 2024 के अंत में लंबित रिफंड मामलों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

2.3.2.3 केंद्र से निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार से निधि का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। राज्य को वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केंद्रीय करों और सहायता अनुदान (जीआईए) में अपने हिस्से के अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/अन्य अनुदानों के तहत जीआईए प्राप्त होता है। दस वर्ष की अवधि 2014-24 के दौरान इस संबंध में प्रवृत्ति चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

केंद्र से धन का हस्तांतरण 2015-16 के बाद से बढ़ गया है, क्योंकि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है, जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 से घटकर 41 प्रतिशत हो गई है। चालू वर्ष के दौरान, केंद्र से स्थानांतरण 2022-23 में ₹45,506 करोड़ से ₹4,068 करोड़ बढ़कर 2023-24 में ₹49,574 करोड़ हो गया।

(अ) केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

वर्ष 2019-24 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	5,733.71	6,068.90	8,628.50	9,142.17	11,678.76
2	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	निगम कर	6,889.42	6,117.65	7,699.82	10,851.70	11,550.56
4	निगम कर से भिन्न आय पर कर	5,398.34	6,269.51	8,887.95	10,589.64	13,339.34
5	सीमा शुल्क	1,280.78	1,097.20	2,017.68	1,271.87	1,348.55
6	संघ उत्पाद शुल्क	890.49	686.04	1,009.06	399.02	510.32
7	सेवा कर	0.00	84.52	296.68	50.61	7.18
8	अन्य कर	13.10	13.72	31.10	53.25	47.17
9	केन्द्रीय कर हस्तांतरण	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26	38,481.88
10	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	(-) 13.87	0.65	40.48	13.26	18.92
11	राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का प्रतिशत	31.64	32.19	35.87	34.47	37.18

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पांच साल की अवधि वर्ष 2019-24 में, केन्द्रीय कर हस्तांतरण वर्ष 2019-20 में ₹20,205.84 करोड़ से ₹18,276.04 करोड़ (90.45 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹38,481.88 करोड़ हो गया। केन्द्रीय कर हस्तांतरण की वृद्धि दर में 2019-24 के दौरान (-)13.87 प्रतिशत से 40.48 प्रतिशत उतार-चढ़ाव का प्रवृत्ति देखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹6,123.62 करोड़ (18.92 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (₹2,536.59 करोड़) और निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹2,749.70 करोड़) के तहत राज्य को सौंपी गई शुद्ध आय में वृद्धि के कारण हुई।

(ब) भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य शासन को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण नीचे तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिये अनुदान	7,808.24	6,975.55	6,170.60	8,712.52	8,217.62
2	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	2,044.75	2,289.50	2,379.80	1,772.80	1,770.90
3	अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान	3,758.25	3,547.44	1,595.90	2,663.01	1,103.61
योग		13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.33	11,092.13
4	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का प्रतिशत	8.84	(-) 5.87	(-) 20.81	29.59	(-) 15.64
5	राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14	1,03,508.20
6	राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	21.31	20.28	12.74	14.01	10.72

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 11 प्रतिशत था। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का योगदान 2019-20 में 21 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गया। राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

(₹8,217.62 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 74 प्रतिशत था। राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹1,770.90 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि के लिए प्रदान किया गया था और वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 16 प्रतिशत निर्धारित था।

वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,056.20 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के तहत वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के क्षतिपूर्ति की प्राप्ति में कमी है।

एकल नोडल एजेंसी:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या (13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत निधि जारी करने और राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से जारी निधि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के लिए, एसएनए को राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाना है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्य हिस्सेदारी को एसएनए खाते में स्थानांतरित कर देगी। एसएनए खाते में केंद्रीय हिस्सेदारी के हस्तांतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी पर राज्य शासन द्वारा 01.04.2023 से सात प्रतिशत वार्षिक दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

31 मार्च 2024 तक, राज्य शासन ने ₹8,514.85 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹8,609.09 करोड़ का राज्य हिस्सा एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। महालेखाकार कार्यालय को एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत व्हाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। पीएफएमएस पोर्टल की एसएनए रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹7,196.82 करोड़ रुपये बिना खर्च किए पड़े हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम दिनांक 30.06.2021 के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र के हिस्से की अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज भारत के समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए। वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्र के हिस्से की अव्ययित शेष राशि पर अर्जित ब्याज की ₹1.53 करोड़ की राशि को राज्य शासन/एसएनए द्वारा भारत के समेकित निधि में जमा करने के बजाय राज्य के समेकित निधि में जमा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष ₹1.53 करोड़ अधिक बताया गया। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान जमा की गई केंद्रीय हिस्सेदारी पर ब्याज की राशि ₹22.80 करोड़ में से, 2023-24 में केवल ₹5.45 करोड़ भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग को हस्तांतरित किए गए थे। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 को राज्य शासन का रोकड़ शेष ₹18.88 करोड़ (2022-23 का ₹17.35 करोड़ और 2023-24 का ₹1.53 करोड़) अधिक बताया गया।

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग और राज्यों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के तहत अनुदान प्रदान करती है। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य को इस संबंध में प्रदान किये गये अनुदान का विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा 2023-24 में जारी अनुदान
स्थानीय निकाय			
1	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,125.00	1,125.00
(अ)	मूल/संयुक्त अनुदान (40%)	450.00	450.00
(ब)	निष्पादन/बंधित अनुदान (60%)	675.00	675.00
2	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	580.00	373.50
(अ)	मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	178.00	107.50#
(ब)	नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	402.00	266.00#
3	स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान	356.00	0.00
4	स्थानीय निकायों का योग	2,061.00	1,498.50
5	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	476.00	272.40
(अ)	एसडीआरएमएफ (80%)	380.80	181.60#
(ब)	एसडीएमएफ (20%)	95.20	90.80#
6	कुल योग	2,537.00	1,770.90

स्रोत: वित्त लेखे 2023-24 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23 से संबंधित अनुदान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में जारी किये गये।

- मार्च 2024 तक, राज्य शासन को 2023-24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण अनुदान (मूल अनुदान ₹450.00 करोड़ और बंधित अनुदान ₹675.00 करोड़) प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2023-24 के लिए शहरी स्थानीय निकाय को ₹580.00 करोड़ के अनुदान के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2022-23 हेतु ₹373.50 करोड़ का अनुदान वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त हुआ। 2023-24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ₹356.00 करोड़ के स्वास्थ्य अनुदान के लिए भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- चालू वर्ष 2023-24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ₹476.00 करोड़ के एसडीआरएमएफ अनुदान के लिए भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। राज्य शासन को वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से वर्ष 2022-23 के लिए एसडीआरएमएफ की दूसरी किस्त ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुई। राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से वर्ष 2022-23 के लिए ₹90.80 करोड़ की एसडीआरएमएफ की पहली और दूसरी किस्त भी प्राप्त हुई।

2.3.3 पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तिर्थाँ

पूँजी अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तिर्थाँ में विविध पूँजी प्राप्तिर्थाँ शामिल होती हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तिर्थाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए पूँजीगत अनुभाग में प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना के प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.13: पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.70	4.85	4.89	5.60	5.01
2	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	256.78	104.80	88.06	117.52	24.96
3	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.13	(-)0.67	(-)0.04	(-)0.28	0.65
4	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ)	261.61	108.98	92.91	122.84	30.62
5	आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ	19,308.36	17,961.37	9,321.77	6,938.61	50,258.44
6	वृद्धि दर (प्रतिशत)	39.75	(-)6.98	(-)48.10	(-)25.57	624.33
7	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	279.17	3,620.31	5,776.51	3,700.13	3,791.28
8	वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)49.56	1,196.81	59.56	(-)35.95	2.46
9	लोक ऋण प्राप्तियाँ (ब)	19,587.53	21,581.68	15,098.28	10,638.74	54,049.72
10	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब)	19,849.14	21,690.66	15,191.19	10,761.58	54,080.34
11	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	55.59	(-)58.34	(-)14.75	32.21	(-)75.07
12	पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	36.31	10.18	(-)30.04	(-)29.54	408.05
13	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93
14	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	36.53	9.28	(-)29.96	(-)29.16	402.53

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पांच वर्षों में पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियों में ऋण का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, इसके बाद ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विविध पूँजी प्राप्तियाँ रहीं, जो मिलकर राज्यों की पूँजीगत प्राप्तियों में एक प्रतिशत से भी कम रहीं।

राज्य की पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियाँ वर्ष 2019–20 में ₹19,849.14 करोड़ से ₹34,231.20 करोड़ (172.46 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹54,080.34 करोड़ हो गईं। वर्ष 2023–24 के दौरान, पूँजीगत अनुभाग प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹43,318.76 करोड़ (402.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण में ₹43,319.83 करोड़ (624.33 प्रतिशत) की तेज वृद्धि थी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 में ऋण और अग्रिम में ₹92.56 करोड़ (78.76 प्रतिशत) की कमी आई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके अपने संसाधनों के आधार पर किया जाता है, जिसमें स्वयं-कर और करेत्तर स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आकलन और बजट अनुमान की तुलना में 2023–24 के लिए राज्य का वास्तविक स्वयं का कर और करेत्तर राजस्व तालिका 2.14 में दिया गया है।

तालिका 2.14: कर और करेतर प्राप्तियों के सापेक्ष अनुमान

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
					पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
1	स्वयं के कर राजस्व	29,195.00	38,000.00	38,786.22	32.85	2.07
2	करेतर राजस्व	10,536.00	18,200.00	15,147.97	43.77	(-)16.77
योग		39,731.00	56,200.00	53,934.19	35.75	(-)4.03

स्रोत: वित्त लेखे, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन ने अपना कर राजस्व जुटाने में पंद्रहवें वित्त आयोग और बजट अनुमानों की अपेक्षाओं को क्रमशः 32.85 प्रतिशत और 2.07 प्रतिशत से अधिक कर दिया। हालाँकि, यह अपने ही बजट अनुमान में निर्धारित करेतर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका और 16.77 प्रतिशत कम रहा। बजट अनुमान के अनुसार स्वयं के कर राजस्व (₹786.22 करोड़) में वृद्धि मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क में ₹1,730.42 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसी प्रकार, बजट अनुमान की तुलना में करेतर राजस्व में ₹3,052.03 करोड़ रुपये की कमी मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग के अंतर्गत ₹2,704.66 करोड़ रुपये तथा प्रमुख सिंचाई के अंतर्गत बजट अनुमान की तुलना में ₹373.57 करोड़ रुपये कम प्राप्तियों के कारण हुई।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के ढांचे के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

क. सं.	मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (वास्तविक)
1	कुल व्यय	82,099.86	79,107.54	85,838.04	98,691.19	1,21,500.25	1,30,471.85
2	राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,02,500.70	1,14,740.96
3	पूँजीगत व्यय	8,566.39	9,024.19	10,504.22	13,320.30	18,660.20	15,418.93
4	ऋण एवं अग्रिम ⁴	56.16	50.51	323.81	85.86	339.35	311.96
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,09,043	5,05,887
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में						
7	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.82	22.45	20.91	21.25	23.87	25.79

⁴ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम

8	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	21.32	19.88	18.27	18.36	20.14	22.68
9	पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.49	2.56	2.56	2.87	3.67	3.05
10	ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.01	0.08	0.02	0.07	0.06

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.15 से पता चलता है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2019-20 में ₹82,099.86 करोड़ से ₹48,371.99 करोड़ (58.92 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹130,471.85 करोड़ हो गया। हालाँकि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति है, जिसमें वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कमी और वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक वृद्धि हुई है।


चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में ₹31,780.66 करोड़ (32.20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व व्यय बजटीय अनुमान से 12 प्रतिशत अधिक हो गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिम पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान से कम था। पूँजीगत व्यय का बजट अनुमान से कम होना यह दर्शाता है कि पूँजीगत परियोजनाओं में योजनानुसार निवेश नहीं किया गया।

इसके अलावा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक गिरावट देखी गई है और उसके बाद यह 2022-23 से 2023-24 तक वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वर्ष 2022-23 (2.87 प्रतिशत) से 2023-24 (3.05 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रहा।

चार्ट 2.8 कुल व्यय में घटकों की हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 से पता चलता है कि 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख हिस्सा (86.41 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत) था। दूसरी ओर, पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 10.43 प्रतिशत से 13.50 प्रतिशत

के बीच था।

गतिविधियों के संदर्भ में, परिशिष्ट 2.1 में दिखाए गए कुल व्यय में ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय शामिल है। इन घटकों पर सापेक्ष व्यय तालिका 2.16 में दिखाया गया है।

तालिका 2.16: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	सामान्य सेवायें	19,289.82	20,095.21	21,727.03	23,579.86	27,124.25
2	सामाजिक सेवायें	28,610.12	28,001.32	31,382.55	36,842.83	46,702.08
3	आर्थिक सेवायें	33,079.55	29,885.69	31,615.95	37,126.03	55,347.49
4	अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और अंतर्राज्यीय परिशोधन)	1,120.37	1,125.32	1,112.51	1,142.47	1,298.03
कुल व्यय		82,099.86	79,107.54	85,838.04	98,691.19	1,30,471.85

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय 2022-23 में ₹23,579.86 करोड़ से ₹3,544.39 करोड़ (15.03 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में ₹27,124.25 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय में ₹1,450.36 करोड़, पुलिस पर ₹564.53 करोड़ और ब्याज भुगतान ₹416.26 करोड़ की वृद्धि है।
- चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं में व्यय में ₹9,859.25 करोड़ (26.76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा में ₹2,954.40 करोड़, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में ₹2,350.76 करोड़ और आवास में ₹2,105.87 करोड़ की वृद्धि है।
- पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में व्यय में ₹18,221.46 करोड़ (49.08 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण फसल पालन पर राजस्व व्यय में ₹15,528.69 करोड़ और बिजली पर ₹1,228.18 करोड़ की वृद्धि है।

चार्ट 2.9: गतिविधियों द्वारा कुल व्यय

(प्रतिशत में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 2.9 से देखा जा सकता है, कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है यानी वर्ष 2019–20 में 34.85 प्रतिशत से वर्ष 2022–23 में 37.33 प्रतिशत हो गई है, लेकिन वर्ष 2023–24 में थोड़ा कम होकर 35.79 प्रतिशत हो गई है। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2020–21 में 25.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 20.79 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 2019–20 से 2021–22 के दौरान घटी और फिर वर्ष 2021–22 (36.83 प्रतिशत) में बढ़कर 2023–24 (42.42 प्रतिशत) हो गई। वर्ष 2023–24 के दौरान कुल व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 78.21 प्रतिशत था। चार्ट 2.10 2023–24 के दौरान व्यय की संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: 2023–24 के दौरान कुल व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेख 2023–24

चार्ट 2.10 प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2023–24 के दौरान, आर्थिक सेवाओं के तहत राजस्व व्यय कुल व्यय का 36.63 प्रतिशत सबसे अधिक था, इसके बाद सामाजिक सेवाओं में 30.21 प्रतिशत और सामान्य सेवाओं में 20.11 प्रतिशत था। सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 0.67 प्रतिशत, सामाजिक सेवाओं पर 5.42 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं पर 5.72 प्रतिशत और वितरित ऋण और अग्रिम कुल व्यय का 0.24 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर और कुल व्यय का अनुपात तालिका 2.17 में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

क. सं.	मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल व्यय	82,099.86	79,107.54	85,838.04	98,691.19	1,30,471.85
2	राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96
3	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.08	(-)4.69	7.11	13.70	34.54
4	राजस्व व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	89.50	88.53	87.39	86.42	87.94
5	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	21.32	19.88	18.27	18.36	22.68
6	राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70	63,176.18	79,652.03	93,877.14	1,03,508.20
7	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)1.88	(-)1.08	26.08	17.86	10.26
8	राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	115.04	110.85	94.17	90.85	110.85
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93


स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त खाते

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय में ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से फसल पालन (₹15,551.65 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹2,251.39 करोड़) और सामान्य शिक्षा (₹2,098.85 करोड़) के तहत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

राजस्व व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: बजट अनुमान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, राजस्व व्यय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक बजट अनुमान के भीतर था, लेकिन वर्ष 2023-24 में, यह बजट अनुमान से ₹12,240.26 करोड़ अधिक हो गया। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 में 18.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 22.68 प्रतिशत हो गया है।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

राजस्व व्यय वर्ष 2022-23 में ₹85,285.03 करोड़ से ₹29,455.93 करोड़ (34.54 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹1,14,740.96 करोड़ हो गया। तालिका 2.18 में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण बदलावों का विवरण दिया गया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी (-)
1	2401-फसल कृषि कर्म	8,985.04	24,536.69	15,551.65
2	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,024.64	4,276.03	2,251.39
3	2202-सामान्य शिक्षा	17,369.52	19,468.37	2,098.85
4	2216-आवास	1,246.65	3,386.05	2,139.40
5	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,661.46	9,111.82	1,450.36
6	2801-विद्युत	5,262.19	6,490.37	1,228.18
7	2217-शहरी विकास	2,639.98	2,011.80	(-)628.18
8	2408-खाद्य भंडारण एवं भण्डागार	5,911.58	5,621.76	(-)289.82

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- 2401- फसल कृषि कर्म के तहत व्यय में ₹15,551.65 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से फसल क्षेत्र कवरेज, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि और फसलों की इनपुट लागत को कम करके और कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में बहाल करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नई योजना कृषक उन्नति योजना के तहत ₹13,320.58 करोड़ के व्यय के कारण हुई।

- 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के तहत व्यय में ₹2,251.39 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से नई योजना महतारी वंदन योजना (₹1,310.93 करोड़) की शुरुआत और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत व्यय में ₹166.98 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ₹167.32 करोड़, सुखद सहारा योजना में ₹35.45 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मुख्य शीर्ष 2202—सामान्य शिक्षा के तहत ₹2,098.85 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से समग्र शिक्षा (₹271.59 करोड़), उत्कृष्ट विद्यालय संचालन (₹369.02 करोड़), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (₹655.99 करोड़), न्यूनतम सेवाओं के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान (₹148.21 करोड़) और पीएम श्री (उभरते भारत के लिए स्कूल) (₹32.90 करोड़) योजना जैसी केंद्रीय और राज्य योजनाओं से संबंधित व्यय में वृद्धि के कारण हुई।।
- 2216—आवास के तहत व्यय में ₹2,139.40 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत व्यय में ₹1,820.79 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 2071—पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के तहत व्यय में ₹1,450.36 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते (₹944.84 करोड़), ग्रेच्युटी (₹116.32 करोड़) और परिवार पेंशन (₹165.99 करोड़) के तहत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- 2801—विद्युत के तहत ₹1,228.18 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति के लिए ₹1,069.58 करोड़ की सब्सिडी के कारण हुई।
- 2217—शहरी विकास के तहत ₹628.18 करोड़ की कमी मुख्य रूप से योजनाओं यानी अमृत मिशन के तहत व्यय में ₹301.80 करोड़ और रायपुर स्मार्ट सिटी के तहत ₹147.00 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 2408—खाद्य भंडार एवं भण्डारण के तहत ₹289.82 करोड़ की कमी मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में ₹313.37 करोड़ की कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान, और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा, अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं जा सकता है या पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत, वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है :

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूँजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/स्थानांतरण)।
- (ii) आरक्षित निधि में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं – समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ), आदि में योगदान।

(iii) आकस्मिकता निधि की वसूली – वर्ष के भीतर वसूल की गई राशि।

(iv) उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में स्थानांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है।

(v) प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का शेयर योगदान – राज्य के हिस्से की राशि एसएनए को हस्तांतरित की जाएगी।

प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है। प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय और उसके घटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	प्रतिबद्ध व्यय के घटक					
i	वेतन एवं मजदूरी	22,437.40	22,142.50	24,210.12	26,523.92	29,094.95
ii	पेंशन पर व्यय	6,637.98	7,136.00	7,472.22	7,661.46	9,111.82
iii	ब्याज भुगतान	4,970.36	5,633.11	6,144.24	6,382.08	6,798.34
	योग	34,045.74	34,911.61	37,826.58	40,567.46	45,005.11
2	अनम्य व्यय के घटक					
i	स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	1,120.32	1,125.31	1,112.76	1,142.57	1,297.57
ii	आरक्षित निधि में योगदान	637.00	748.32	1,118.86	1,110.81	1,696.20
iii	आकस्मिकता निधि की वसूली	13.87	13.39	2.00	106.06	63.49
iv	आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	478.95	308.80	345.70	370.80	733.79
v	प्राप्त केंद्रीय निधि के विरुद्ध सीएसएस का अंशदान	—	—	—	6,431.54	8,609.09
	योग	2,250.14	2,195.82	2,579.32	9,161.78	12,400.14
3	कुल (प्रतिबद्ध + अनम्य)	36,295.88	37,107.43	40,405.90	49,729.24	57,405.25
4	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
i	वेतन एवं मजदूरी	35.13	35.05	30.39	28.25	28.11
ii	पेंशन पर व्यय	10.39	11.30	9.38	8.16	8.80
iii	ब्याज भुगतान	7.78	8.92	7.71	6.80	6.57
	योग	53.30	55.27	47.48	43.21	43.48
5	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय					
	योग	3.52	3.48	3.24	9.76	11.98
6	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय					
i	वेतन एवं मजदूरी	30.54	31.62	32.28	31.10	25.36
ii	पेंशन पर व्यय	9.03	10.19	9.96	8.98	7.94
iii	ब्याज भुगतान	6.76	8.04	8.19	7.48	5.92
	योग	46.33	49.85	50.43	47.56	39.22
7	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय					
	योग	3.06	3.14	3.44	10.74	10.81
8	गैर-प्रतिबद्ध व्यय	39,431.57	35,121.23	37,183.43	44,717.57	69,735.85
9	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	53.67	50.15	49.57	52.43	60.78
10	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	48.03	44.40	43.32	45.31	53.45

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय राज्य को व्यय को प्राथमिकता देने और सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश को पूरा करने में प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है।

तालिका 2.19 से पता चलता है कि, प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति है और वर्ष 2019-20 में ₹34,045.74 करोड़ (राजस्व व्यय का 46.33 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹45,005.11 करोड़ (राजस्व व्यय का 39.22 प्रतिशत) हो गया है। चालू वर्ष के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय में ₹4,437.65 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण वेतन और मजदूरी पर ₹2,571.03 करोड़ और पेंशन पर ₹1,450.36 करोड़ की वृद्धि है।

(अ) वेतन और मजदूरी

वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन और मजदूरी पर व्यय पिछले वर्ष (₹26,523.92 करोड़) की तुलना में 9.69 प्रतिशत (₹29,094.95 करोड़) बढ़ गया और राजस्व व्यय का 25.36 प्रतिशत हो गया।

(ब) ब्याज भुगतान

वर्ष 2019-24 के दौरान लोक ऋण में वृद्धि के कारण, वर्ष 2023-24 में ब्याज भुगतान (₹6,798.34 करोड़) वर्ष 2019-20 (₹4,970.36 करोड़) की तुलना में 36.78 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, ब्याज भुगतान पर व्यय वर्ष 2019-20 में 7.78 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 6.57 प्रतिशत हो गया।

(स) पेंशन पर व्यय


वर्ष 2023-24 में पेंशन पर व्यय (₹9,111.82 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष (₹7,661.46 करोड़ रुपये) की तुलना में 18.93 प्रतिशत बढ़ा, जो मुख्य रूप से पारिवार पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ-साथ सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के कारण हुआ। वर्ष 2023-24 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.80 प्रतिशत और राज्य के राजस्व व्यय का 7.94 प्रतिशत था।

(द) अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक जिनमें स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान शामिल हैं, में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष (₹9,161.78 करोड़) की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान अनम्य व्यय (₹12,400.14 करोड़) में 35.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत **चार्ट 2.13** में दिया गया है:

चार्ट 2.13: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर चार्ट 2.13 से देखा जा सकता है, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 में 46.33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 39.22 प्रतिशत हो गया और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 में 53.67 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 60.78 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अन-उन्मोचित दायित्व

वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹9,111.82 करोड़ रुपये था, जिसमें से ₹52.29 करोड़ रुपये 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए खर्च किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने पत्र क्रमांक 282 दिनांक 11.05.2022 के माध्यम से 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में वापसी के लिए अधिसूचना जारी की है। एनपीएस के तहत कवर किए गए कुल कर्मचारियों में से 2,90,598 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना और 10,349 ने नई पेंशन योजना का विकल्प चुना है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है, राज्य शासन मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत योगदान करती है (01.04.2022 से), और पूरी राशि नेशनल सिविलियन डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है।

1 अप्रैल 2023 को लोक लेखें – मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा – (117) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत प्रारंभिक शेष राशि ₹20.55 करोड़ थी। इस मद के तहत 2023-24 के दौरान प्राप्तियां ₹40.08 करोड़ थीं। ₹40.08 करोड़ (कर्मचारी योगदान और प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का कर्मचारी और नियोक्ता योगदान) की प्राप्ति के खिलाफ, ₹39.06 करोड़ ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक, लोक लेखें में ₹21.57 करोड़ (2022-23 तक ₹20.55 करोड़ और 2023-24 का ₹1.02) का शेष बचा था, ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरण लंबित रहने के परिणामस्वरूप नकद शेष को बढ़ा-चढ़ाकर बताया

गया। ट्रस्टी बैंक को शेष निधि के लंबित हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹1.89 करोड़ की ब्याज देनदारी हुई। इसके अलावा, ₹1.89⁵ करोड़ की ब्याज देनदारी का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/घाटा कम बताया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल योगदान ₹92.37 करोड़ था (कर्मचारी का योगदान ₹38.29 करोड़, सरकार का योगदान ₹52.29 करोड़, प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों का कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान ₹1.79 करोड़)। ₹52.29 करोड़ का सरकारी योगदान मुख्य शीर्ष 2071 से सीधे ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया गया था और इसमें ₹1.32 करोड़⁶ की कमी थी। ₹1.32 करोड़ के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/घाटा कम बताया गया और रोकड़ शेष अधिक बताया गया।

2.4.2.4 सब्सिडी

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹10,796.88 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.20 में दिखाया गया है।

तालिका 2.20: वर्ष 2019-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	11,483.23	7,307.94	6,565.30	8,306.28	10,796.88
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	17.98	11.57	8.24	8.85	10.43
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	15.63	10.44	8.75	9.74	9.41

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2022-23 में ₹8,306.28 करोड़ से ₹2,490.60 करोड़ (29.98 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹10,796.88 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पांच हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति के लिए अनुदान के तहत सब्सिडी में वृद्धि है। वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सिडी का बड़ा हिस्सा वाले विभाग तालिका 2.21 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.21: वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सिडी के बड़े हिस्से वाले विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम	सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
1	ऊर्जा	6,033.02	55.88	मुख्य रूप से पांच हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए अनुदान (₹4,323.00 करोड़) और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत (₹1,196.74 करोड़) शामिल है।
2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	3,914.98	36.26	मुख्य रूप से खाद्यान्न की खरीद पर घाटे की पूर्ति के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को अनुदान (₹500 करोड़) और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (₹3,086.62 करोड़) के कारण।

स्रोत: वित्त लेखे 2023-24

⁵ 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में ₹20.55 करोड़ की शेष राशि पर ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार/ 7.1% की दर से सामान्य भविष्य निधि को देय पर की गयी।

⁶ आवश्यक शासकीय अंशदान = ((कर्मचारी का अंशदान ₹38.29 / 10% * 14%) = ₹53.61 करोड़

2.4.2.5 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 2.22 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	(अ) स्थानीय निकाय					
2	शहरी स्थानीय निकाय	3,138.94	3,554.17	3,904.13	4,296.67	4,412.18
3	पंचायती राज संस्थान	6,006.83	4,421.79	4,345.60	5,903.98	9,470.53
4	योग (अ)	9,145.77	7,975.96	8,249.73	10,200.65	13,882.71
5	(ब) अन्य					
6	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	273.67	204.97	254.57	262.59	1,056.21
7	विकास प्राधिकरण	235.06	229.93	393.08	661.14	517.28
8	सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	10,499.70	12,555.37	13,241.09	15,994.08	36,125.15
9	योग (ब)	11,008.43	12,990.27	13,888.74	16,917.81	37,698.64
10	योग (अ+ब)	20,154.20	20,966.23	22,138.47	27,118.46	51,581.35
11	वेतन के लिए सहायता अनुदान	673.48	140.35	192.34	253.37	226.95
12	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	1,960.40	1,821.78	1,940.38	2,632.10	2,851.14
13	अन्य के लिए सहायता अनुदान	17,520.32	19,004.10	20,005.75	24,232.99	48,503.26
14	राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	75,010.01	85,285.03	1,14,740.96
15	राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	27.43	29.94	29.51	31.80	44.95

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


वर्ष 2023-24 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹24,462.89 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की गई सहायता में ₹3,566.55 करोड़ और सहकारी और अन्य संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों को ₹20,131.07 करोड़ की वृद्धि थी। राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता 2019-20 में 27.43 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 44.95 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2023-24 के दौरान पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए दी गई वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.32 प्रतिशत और 100.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, पिछले पाँच वर्षों में वेतन, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता का हिस्सा क्रमशः 1.25 प्रतिशत, 8.48 प्रतिशत और 90.27 प्रतिशत की औसत दर से दिया गया था।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पाँच वर्ष की अवधि 2019-24 के दौरान बजट अनुमानों के विरुद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.14 में दिया गया है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूँजीगत व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2019-20 में ₹8,566.39 करोड़ से ₹6,852.54 (79.99 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹15,418.93 करोड़ हो गया। हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों में पूँजीगत व्यय के लिए बजट का उपयोग 65 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच रहा।

कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 में 10.43 प्रतिशत से वर्ष 2022-23 में 13.50 प्रतिशत के बीच रहा है। हालाँकि, वर्ष 2023-24 में यह घटकर 11.82 फीसदी हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 15.76 प्रतिशत (₹2,098.63 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण शहरी विकास (₹876.69 करोड़), शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹855.55 करोड़) और जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹585.82 करोड़) में व्यय में वृद्धि थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल पूँजीगत व्यय (₹15,418.93 करोड़) का 22 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹3,467.00 करोड़) पर खर्च किया गया, इसके बाद जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 20 प्रतिशत (₹3,107.05 करोड़) खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.23 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामले पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.23: वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/कमी(-)
1	4217-शहरी विकास	593.76	1,470.45	876.69
2	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	505.35	1,360.90	855.55
3	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,521.23	3,107.05	585.82
4	4801-विद्युत	130.80	623.43	492.63
5	5054-सड़क एवं पुल	4,299.30	3,467.00	(-)832.30
6	4225-एससी, एसटी और ओबीसी का कल्याण	491.78	331.69	(-)160.09

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2022-23 एवं 2023-24

- मद 4217—शहरी विकास के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से शहरी निकायों को प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के विकास अनुदान में ₹435.18 करोड़ की वृद्धि, नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के तहत व्यय में ₹269.50 करोड़ और नया रायपुर विकास प्राधिकरण के तहत ₹99.16 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 4202— शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा के तहत भवनों के रखरखाव के लिए लघु कार्यों और मरम्मत पर ₹921.15 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 4215—जल आपूर्ति और स्वच्छता के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन पर व्यय में ₹627.37 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 4801— विद्युत के तहत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से कृषि पंपों के लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए विद्युत लाइनों के विस्तार और ट्रांसफार्मर की स्थापना पर ₹484.61 करोड़ और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना पर ₹57.45 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- मद 5054—सड़क और पुल के तहत व्यय में कमी मुख्य रूप से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पर ₹957.30 करोड़ कम व्यय के कारण थी।
- एससी, एसटी और ओबीसी के 4225—कल्याण पर व्यय में कमी मुख्य रूप से विशेष केंद्रीय सहायता द्वारा वित्त पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रम पर ₹158.77 करोड़ के कम व्यय के कारण हुई।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2024 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों और सहकारी समितियों में किए गए निवेश और दिए गए ऋण जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। पीएसयू में निवेश की गई शेयर पूंजी में निवेश पर रिटर्न और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

(अ) निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखा 2023–24 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2024 तक राज्य में 10 वैधानिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 21 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी संस्थानों में ₹7,533.61 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने 2023–24 के दौरान इन निवेशों पर ₹3.84 करोड़ का लाभांश अर्जित किया। 2019–20 से 2023–24 की पांच साल की अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है।

तालिका 2.24: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत वर्ष के अंत में	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	87.88 (10)	88.34 (10)	89.69 (10)	89.89 (10)	90.29 (10)
2	सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,683.34 (28)	6,683.34 (28)	6,733.34 (28)	6,733.34 (28)	6,733.34 ⁷ (28)
3	संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	145.21 (22)	145.21 (22)	156.93 (22)	278.72 (21)	303.72 (21)
4	ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	25.15 (02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15 (02)	25.15 (02)
5	सहकारी संस्थाएं (ईकाइयों की संख्या)	324.21 (1460)	319.26 (1460)	315.08 (1460)	320.67 (1460)	331.51 (1460)
6	कुल निवेश	7,265.79	7,261.30	7,320.19	7,447.77	7,533.61
7	वर्ष के अन्त में निवेश	7,265.79	7,261.30	7,320.19	7,447.77	7,533.61
8	निवेश पर प्रतिफल	2.39	2.29	3.64	6.20	3.84
9	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.03	0.03	0.05	0.08	0.05
10	शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर ⁸ (प्रतिशत में)	7.37	7.05	7.18	7.19	6.30
11	निवेश पर प्रतिफल एवं ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में)	(-) ⁷ 3.34	(-) ⁷ 0.02	(-) ⁷ 1.13	(-) ⁷ 1.11	(-) ⁶ 2.25
12	किए गए निवेश पर प्रतिफल और शासकीय उधार की लागत के बीच अंतर	(-) ⁵ 33.31	(-) ⁵ 09.74	(-) ⁵ 21.93	(-) ⁵ 29.54	(-) ⁴ 70.85

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएसयू और अन्य कंपनियों में शासन द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल ₹3.84 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। हालाँकि, शासन ने इसी अवधि के दौरान अपनी उधारी पर औसतन 6.30 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया। जिन निवेशों में पर्याप्त वित्तीय रिटर्न नहीं है, वे एक अस्थिर वित्तीय स्थिति को जन्म देंगे।

(ब) राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। तालिका 2.25 31 मार्च 2024 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ-साथ ब्याज प्राप्तियों के विरुद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

⁷ इसमें छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जारी शेयर प्रमाण पत्र के 1.60 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकार के शेयर पूंजी निवेश के रूप में समायोजित किया गया है।

⁸ औसत ब्याज दर: {ऑफ-बजट उधार पर ब्याज भुगतान को छोड़कर ब्याज भुगतान / (गैर-ब्याज-असर देनदारियों, 2020-24 से बैंक-टू-बैंक ऋण और राज्यों को जारी ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर पिछले और चालू वित्तीय वर्ष की औसत बकाया देनदारी)}

तालिका 2.25: वर्ष 2019–24 के दौरान ऋणों और अग्रिमों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वितरित एवं वसूली ऋणों और अग्रिमों की प्रमात्रा	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,597.75	1,397.08	1,173.86 ⁹	1,409.86	1,378.31
2	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	56.11	50.50	324.06	85.96	311.49
3	वर्ष के दौरान वसूली राशि	256.78	104.8	88.06	117.51	24.96
4	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	1,397.08	1,342.78	1,409.86	1,378.31	1,664.84
5	निवल वृद्धि	(-)200.67	(-)54.30	236.00	(-)31.55	286.53
6	ब्याज प्राप्तियाँ	1.67	6.88	3.27	37.04	48.48
7	शासन द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर वापसी की दर (प्रतिशत में)	0.11	0.50	0.24	2.66	3.19
8	शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज की दर (प्रतिशत में)	7.37	7.05	7.18	7.19	6.30
9	ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत में)	(-)7.26	(-)6.55	(-)6.94	(-)4.53	(-)3.11

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹85.96 करोड़ के मुकाबले ₹311.49 करोड़ की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई थी। दिए गए ऋणों के विरुद्ध राज्य शासन को प्राप्त ब्याज ₹48.48 करोड़ था। मार्च 2024 के अंत में शासन का ₹1,664.84 करोड़ रुपये का ऋण और अग्रिम बकाया था, जिसमें से ₹364.44 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है, ₹163.01 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित है और ₹440.27 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित है।

राज्य शासन द्वारा दिया गया कुल बकाया ऋण और अग्रिम वर्ष 2022–23 में ₹1,378.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹1,664.84 करोड़ हो गया। 2022–23 की तुलना में 2023–24 में ऋणों की वसूली में ₹92.55 करोड़ (78.76 प्रतिशत) की कमी आई और ब्याज प्राप्तियों में ₹11.44 करोड़ (30.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त ब्याज बकाया ऋण और अग्रिम का केवल 3.19 प्रतिशत था।

ऋण की अदायगी बकाया होने के बावजूद सहकारी चीनी मिलों को नए ऋण का वितरण

सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता नियम 2014 के नियम 03 (02) में कहा गया है कि केवल उन्हीं चीनी मिलों को ऋण दिया जाना था जो सरकारी धन चुकाने की क्षमता रखते थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऋणों के पुनर्भुगतान बकाया होने के बावजूद, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित चार सहकारी चीनी मिलों को ₹50 करोड़ का नया ऋण दिया गया था जैसा कि तालिका 2.26 में दिया गया है।

⁹ पावर कंपनी के वित्त खाते और खाते के आंकड़ों के बीच ऋण शेष के मिलान के कारण राज्य सरकार के पत्र संख्या 523/आर-110/2020/13/2 दिनांक 23-02-2022 द्वारा ₹168.92 करोड़ कम किया गया। ₹168.92 करोड़ में वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की शेयर पूंजी के रूप में समायोजित ऋण का ₹136.78 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का ₹32.14 करोड़ ऋण की अदायगी के रूप में समायोजित शामिल है।

तालिका 2.26: वर्ष 2023-24 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	मार्च 2024 तक कुल संचित घाटा	1 अप्रैल 2023 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान वितरित ऋणों की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	31 मार्च 2024 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2024 तक बकाया ब्याज
1	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2016-17	224.54	115.00	13.00	8.00	120.00	49.68
2	भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2012-13	108.83	76.00	13.00	2.00	87.00	41.12
3	महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2008-09	129.45	95.67	17.00	11.89	100.78	85.46
4	दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड	2005-06	103.23	87.73	7.00	2.15	92.58	44.57
योग			566.05	374.40	50.00	24.04	400.36	220.83

स्रोत: वित्त लेखे 2023-24

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सभी चार चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही थीं, जो 31 मार्च 2024 तक ₹566.05 करोड़ थी। 31 मार्च 2024 तक उपरोक्त चीनी मिलों पर ब्याज सहित कुल बकाया ऋण ₹621.19 करोड़ था।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय के लिए एक श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी बेहतर मानी जाती है।

वर्ष 2019-20 और वर्ष 2023-24 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की वित्तीय प्राथमिकताएं नीचे तालिका 2.27 में दर्शाया गया हैं।

तालिका 2.27: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूंजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.		टीई /स.रा.घ.उ.	एसएसई /टीई	ईएसई /टीई	डीई /टीई	सीई /टीई	शिक्षा /टीई	स्वास्थ्य /टीई
1	औसत (अनुपात) 2019-20							
2	सामान्य श्रेणी राज्य *	15.88	37.04	29.54	66.58	12.72	15.79	5.25
3	छत्तीसगढ़	23.82	34.85	40.29	75.14	10.43	19.73	5.69
4	औसत (अनुपात) 2023-24							
5	सामान्य श्रेणी राज्य *	15.66	37.92	30.01	67.93	15.38	14.36	5.71
6	छत्तीसगढ़	25.79	35.79	42.42	78.22	11.82	16.12	5.29

टीई: कुल व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई-विकास व्यय, सीई: पूंजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
* पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य


स्रोत : आर्थिक सलाहकार से प्राप्त आंकड़े

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य शासन का कुल व्यय वर्ष 2019–20 में 23.82 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 25.79 प्रतिशत हो गया।
- छत्तीसगढ़ के कुल व्यय में विकास, विशेषकर शिक्षा पर व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक रहा है। स्वास्थ्य पर व्यय वर्ष 2019–20 में 5.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 5.29 प्रतिशत हो गया है और वर्ष 2023–24 में अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम है।
- राज्य शासन द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता उसी अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।
- कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2019–20 में 10.43 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 11.82 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, यह अनुपात इसी अवधि के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष-वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन दर्शाते हैं। उद्देश्य शीर्ष वार व्यय, व्यय के उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। वर्ष 2023–24 के लिए कुल व्यय के संबंध में प्रतिशत वार उद्देश्य शीर्ष व्यय नीचे दिए गए चार्ट 2.15 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.15: उद्देश्य शीर्ष वार व्यय



स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, वस्तु शीर्ष वेतन और भत्ते, सहायता अनुदान और ब्याज/ऋण पुनर्भुगतान के तहत व्यय राज्य के कुल व्यय ₹1,54,584.81 करोड़¹⁰ का 70 प्रतिशत था। इसके अलावा, वित्तीय सहायता और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ क्रमशः व्यय का सात प्रतिशत और छह प्रतिशत थे।

उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक ड्रिल डाउन व्यू नीचे तालिका 2.28 में दी गई है।

तालिका 2.28: बजट आवंटन के विरुद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है)
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
1	14-सहायता अनुदान	35,238.10	49,566.05	140.66
2	35-ब्याज/ऋण का पुनर्भुगतान	15,039.60	31,643.69	210.40
3	01-वेतन एवं भत्ते	30,071.15	27,324.90	90.87
4	13-वित्तीय सहायता	9,936.90	10,796.88	108.65
5	12-पेंशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	7,112.98	8,839.95	124.28
6	97-निर्माण कार्य	7,256.11	4,874.84	67.18
7	26-वृहद निर्माण कार्य	5,066.11	4,768.58	94.13
8	45-पूँजीगत परि-संपत्तियों का निर्माण	3,559.31	3,597.45	101.07
9	27-लघु निर्माण कार्य	3,124.96	2,630.25	84.17
10	25-सामग्री और पूर्तियाँ	2,609.72	2,342.00	89.74
11	02-मजदूरी	1,197.93	1,079.67	90.13
12	24- रखरखाव कार्य	1,227.98	1,080.98	88.03
	योग	1,21,440.85	1,48,545.24	122.32

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2023-24

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 12 वस्तु शीर्षों के तहत ₹1,21,440.85 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक व्यय ₹1,48,545.24 करोड़ (122.32 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन-देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक राज्य के लोक लेखा में घटक-वार शुद्ध शेष नीचे तालिका 2.29 में दर्शाए गए हैं।

¹⁰ कुल व्यय (₹1,30,471.85 करोड़) + लोक ऋण का पुनर्भुगतान (₹24,112.96 करोड़)

तालिका 2.29: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	ज्ञ-अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखे	(-)7,617.67	(-)8,021.40	(-)8,020.50	(-)9,326.98	(-)10,848.71
2	त्र-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	(-)1,101.77	(-)614.84	(-)769.36	(-)265.27	(-)697.48
		(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	(-)1,363.00	(-)1,384.75	(-)1,683.77	(-)2,006.47	(-)2,340.27
3	ट-जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	(-)37.29	(-)33.16	(-)28.27	(-)8.30	(-)1.16
		(ख) ब्याज रहित जमा	(-)5,446.01	(-)5,951.96	(-)5,758.23	(-)6,138.62	(-)6,404.18
		(ग) अग्रिमों	(+)1.84	(+)1.84	(+)7.35	(+)7.00	(+)7.10
4	ठ-उचंत तथा विविध	(क) उचंत	(-)29.66	(-)20.08	(-)84.64	(-)180.88	(-)124.65
		(ख) अन्य लेखे	(+)5,199.46	(+)3,344.86	(+)3,299.78	(+)440.13	(+)5,888.62
		(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ड-प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(+)204.48	(+)240.97	(+)245.09	(+)197.03	(+)261.15
		(ख) अंतः-सरकार समायोजन लेखे	(+)73.82	(+)88.41	(+)91.13	(+)101.63	(+)90.35
योग			(-)10,115.80	(-)12,350.11	(-)12,701.42	(-)17,180.73	(-)14,169.23

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: (-) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है; (+) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है

वर्ष 2023-24 में लोक लेखा में निवल क्रेडिट शेष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,011.50 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण उचंत एवं विविध-अन्य खातों के डेबिट शेष में ₹5,448.49 करोड़ की वृद्धि होना था, जिसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य खातों के क्रेडिट शेष में ₹1,521.73 करोड़, ब्याज वाली आरक्षित निधि में ₹432.21 करोड़ तथा ब्याज रहित आरक्षित निधि में ₹333.80 करोड़ की वृद्धि द्वारा संतुलित किया गया।

पिछले पांच साल की अवधि वर्ष 2019-24 में लोक लेखे में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.16: लोक लेखा राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाए गए वार्षिक परिवर्तनों में प्रमुख शीर्ष-8671 विभागीय शेष (₹0.02 करोड़), 8673- नकद शेष निवेश खाता (₹5,447.88 करोड़) और आरक्षित निधि निवेश खाते (₹322.66 करोड़) में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹1,521.73 करोड़) और आरक्षित निधि (₹1,088.67 करोड़) में प्रमुख वार्षिक परिवर्तन देखा गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, आरक्षित निधियों में उच्च परिवर्तन राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा) के तहत ₹5,791.70 करोड़ की प्राप्ति और कैम्पा निधियों के निवेश पर ₹81.25 करोड़ के ब्याज के कारण था।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि बनाई जाती है। ये धनराशि राज्य की संचित निधि के अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती है।

18 आरक्षित निधियाँ हैं (राज्य के गठन के बाद से 2000-2001 से राज्य में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 17 आरक्षित निधियाँ निर्धारित की गई हैं और एक आरक्षित निधि यानी गारंटी मोचन निधि 2022-23 के दौरान बनाई गई थी)। 31 मार्च 2024 तक, 18 में से 14 निधि सक्रिय थे और चार निधि¹¹ निष्क्रिय थे। 31 मार्च 2024 के अंत में इन निधियों में सकल शेष ₹10,694.70 करोड़ था, जिसमें से ₹7,656.95 करोड़ (71.60 प्रतिशत) भारत सरकार के प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल (₹7,356.24 करोड़) और संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेयर पूंजी में (₹300.71 करोड़) निवेश किया गया था।

¹¹ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि (8229-101), कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि (8229-103), ग्रामीण विकास निधि (8229-200-0023) और अन्य निधि (8235-200)

2.5.2.1 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के कारण देनदारियों आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए एक संचित निक्षेप निधि (सीएसएफ) बनाया है। इसके अलावा, राज्य शासन (वित्त विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देश (जून 2006) के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निधि में स्थानांतरित करना आवश्यक था। इसके अलावा, सरकार इस कोष में अपना योगदान भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेकर नहीं देगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2023 तक ₹86,500.48 करोड़ की बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण और लोक लेखा देनदारियों) का 0.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए ₹432.50 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले ₹415.00 करोड़ को संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित किया। 31 मार्च 2024 तक, निधि में ₹3,701.94 करोड़ पड़े थे, और पूरी राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रतिक्रिया के साथ-साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए एक निधि के निर्माण की सिफारिश की है, जिसे संयुक्त रूप से राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा जाएगा। एसडीआरएमएफ के लिए अनुशंसित कुल राशि में से एसडीआरएमएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का हिस्सा 20 प्रतिशत होगा।

एसडीआरएमएफ पर लगाए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.30 में दिया गया है:

तालिका 2.30: राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय
1	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
2	01- सूखा		
3	101	अनुग्रहिक राहत	0.07
4	282	लोक स्वास्थ्य	0.00
5	02- बाढ़ चक्रवात आदि		
6	101	अनुग्रहिक राहत	0.37
7	110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु सहायता	0.27
8	111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	9.27
9	112	जनसंख्या का निष्क्रमण	1.01
10	113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	7.97
11	114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	6.31
12	116	कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वेल एवं पम्प स्रोत की मरम्मत हेतु सहायता	0.00
13	117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	5.28
14	122	क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार	0.00
15	80-सामान्य		
16	101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	0.16
17	102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	77.71
18	800	अन्य व्यय	105.30
19	कुल राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत व्यय		213.72

20	05- राज्य आपदा राहत निधि		
21	901	घटाएं- राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि	(-) 204.44

स्रोत: वित्त लेखे 2023-24

(अ) राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ)

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) से बदल दिया। एसडीआरएफ दिशानिर्देश, 2022 के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। योगदान को मुख्य शीर्ष 2245 के तहत बजट प्रावधान करके लोक लेखा में मुख्य शीर्ष-8121 में स्थानांतरित किया जाना है। एसडीआरएफ को दिए जाने वाले राहत कार्यों पर किए गए व्यय को मुख्य शीर्ष-2245 के तहत कटौती प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा।

वित्त लेखा वर्ष 2023-24 के अनुसार, 01 अप्रैल 2023 तक एसडीआरएफ का प्रारंभिक शेष ₹208.34 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन को 2022-23 के केंद्र सरकार के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में ₹181.60 करोड़ प्राप्त हुए। हालाँकि, राज्य शासन ने 2023-24 में निधि में ₹484.00 करोड़ (वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र का हिस्सा ₹363.20 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹120.80 करोड़) हस्तांतरित किया। राज्य शासन ने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹2.03 करोड़ की राजकोषीय जमा राशि भी निधि में स्थानांतरित की। 2023-24 दौरान एसडीआरएफ से ₹204.44 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक, एसडीआरएफ में अंतिम शेष ₹489.93 करोड़ था।

एसडीआरएफ योगदान में विलंब

गृह मंत्रालय, एसडीआरएफ (2015 और 2022) पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार का हिस्सा प्राप्त होने पर तुरंत, राज्य शासन अपने मिलान वाले हिस्से के साथ राशि, यदि पहले से ही हस्तांतरित नहीं हुई है, तो इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष में हस्तांतरित कर देगी। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों की संख्या के लिए आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करने की आवश्यकता होगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन ने 2022-23 के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त (31 मार्च 2023 को प्राप्त) को राज्य के समतुल्य हिस्से के साथ नौ दिनों की देरी से 25 अप्रैल 2023 को लोक लेखा मद में स्थानांतरित कर दिया और 2022-23 के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त (10 जुलाई 2023 को प्राप्त) को राज्य के समतुल्य हिस्से के साथ आठ दिवस विलंब से 03 अगस्त 2023 को लोक लेखा शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया। दिशानिर्देशों के अनुसार 2023-24 के दौरान विलंबित हस्तांतरण के लिए राज्य शासन द्वारा ₹0.75 करोड़ (पहली किस्त - ₹0.39 करोड़ और दूसरी किस्त के लिए - ₹0.36 करोड़) का ब्याज देय था।

एसडीआरएफ से गैर-निवेश

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासन एसडीआरएफ निधि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों एक या अधिक उपकरणों जैसे नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियाँ और जमाराशियों के प्रमाण पत्र में निवेश करेगी। राज्य सरकार आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एसडीआरएफ में ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा।

हालाँकि, 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने न तो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण में एसडीआरएफ में शेष राशि का निवेश किया था, और एसडीआरएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए

निधि में पड़ी शेष राशि पर न ही अर्ध-वार्षिक ब्याज का भुगतान किया था। 31 मार्च 2024 तक ₹489.93 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि एसडीआरएफ में बिना निवेश के पड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज देनदारी बन गई।

अदत्त ब्याज (₹46.14 करोड़¹²) देनदारी के कारण 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम बताया गया।

(ब) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ)

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) का गठन एसडीआरएफ/एनडीआरएफ दिशानिर्देशों और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के तहत आने वाली आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाओं के उद्देश्य से किया गया था। भारत सरकार और राज्य सरकार को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है।

वित्त लेखा वर्ष 2023-24 के अनुसार, 01 अप्रैल 2023 तक एसडीएमएफ के पास ₹84.22 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन को वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का ₹90.80 करोड़ का हिस्सा प्राप्त हुआ। हालाँकि, राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 से संबंधित राशि ₹115.20 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹86.40 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹28.80 करोड़) 2023-24 में निधि में स्थानांतरित कर दिया। वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹90.80 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ ₹30.27 करोड़ के राज्य के हिस्से का हस्तांतरण न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम बताया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान एसडीएमएफ से कोई व्यय नहीं किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को, एसडीएमएफ में अंतिम शेष ₹199.42 करोड़ था।

एसडीएमएफ दिशानिर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासन को अपनी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर योगदान जारी करना आवश्यक था और देरी के मामले में राज्य शासन द्वारा आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज देय होगा। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि और 2021-23 से राज्य के मिलान हिस्से के साथ एसडीएमएफ¹³ को हस्तांतरण का विवरण नीचे तालिका 2.31 में दिया गया है।

तालिका 2.31: एसडीएमएफ निधि में योगदान का विवरण

वर्ष	किस्त	केंद्रीय हिस्सा		राज्य का हिस्सा		एसडीएमएफ खाते में केंद्र और राज्य का हिस्सा स्थानांतरित करने में लगने वाले दिनों की संख्या	अनुग्रह दिन	स्थानांतरण में देरी (दिन)	देरी के लिए भुगतान किया जाने वाला ब्याज (करोड़ में)
		राशि (करोड़ में)	भारत सरकार से रिलीज की तारीख	राशि (करोड़ में)	राज्य वित्त विभाग से केंद्र और राज्य के हिस्से की रिलीज की तारीख				
2021-22	पहली एवं दूसरी किस्त	86.40	29.03.2022	28.80	19.05.2023	416	15	401	7.49
2022-23	पहली एवं दूसरी किस्त	90.80	04.07.2023	30.26	31.03.2024 तक स्थानांतरित नहीं किया गया	—	15	255*	5.72

स्रोत: छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त डेटा

* 31.03.2024 तक विलंब

¹² गैर-निवेश के लिए ₹45.39 करोड़ और अंशदान के हस्तांतरण में देरी के लिए ₹0.75 करोड़।

¹³ पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, एसडीएमएफ फंड 2020-21 में बनाया गया था। हालाँकि, 2020-21 की अवधि के लिए नए एसडीएमएफ दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिए जाने तक, भारत सरकार (एमओएच) (अप्रैल 2020) ने 30 जुलाई 2015 के एसडीआरएफ के मौजूदा दिशानिर्देश की वैधता को एक वर्ष की अवधि के लिए या नए दिशानिर्देश/मानदंड तैयार होने तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2021-22 से संबंधित राज्य के हिस्से के साथ केंद्रीय हिस्से के हस्तांतरण में 401 दिनों की देरी हुई। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 से संबंधित धनराशि अभी भी लोक लेखा में स्थानांतरित नहीं की गई है। विलंब के लिए ₹13.21 करोड़ का ब्याज राज्य शासन द्वारा मार्च 2024 तक देय था।

एसडीएमएफ से गैर-निवेश

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (2022) के अनुसार, राज्य शासन एसडीएमएफ निधि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों एक या अधिक उपकरणों जैसे नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियाँ और जमाराशियों के प्रमाण पत्र में निवेश करेगी। राज्य शासन एसडीएमएफ से निवेश न की गई राशि के लिए आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एसडीएमएफ में ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर जमा किया जाएगा।

हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने न तो दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किसी भी उपकरण में एसडीएमएफ में शेष राशि का निवेश किया था, और एसडीएमएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निधि में पड़े बिना निवेशित शेष पर न ही अर्ध-वार्षिक ब्याज का भुगतान किया था। 31 मार्च 2024 तक ₹199.42 करोड़ की संपूर्ण शेष राशि एसडीएमएफ में बिना निवेश के पड़ी थी।

अदत्त ब्याज (₹28.53 करोड़¹⁴) के कारण वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम बताया गया और भविष्य के लिए ब्याज देनदारियों का संचय हुआ।

2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

छत्तीसगढ़ शासन ने जुलाई 2022 में ₹5 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ प्रत्याभूति मोचन निधि के गठन और प्रशासन की योजना को अधिसूचित किया है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ शासन ने मार्च 2023 में प्रत्याभूति मोचन निधि के लिए संशोधित योजना अधिसूचित की।

अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार, निधि की स्थापना पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटी के न्यूनतम एक प्रतिशत के प्रारंभिक योगदान और उसके बाद अगले पांच वर्षों में 3 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए हर साल न्यूनतम 0.5 प्रतिशत के योगदान के साथ की जाएगी। निधि को धीरे-धीरे पांच प्रतिशत के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। यदि गारंटी लागू कर दी गई है या लागू किए जाने की संभावना है, तो अतिरिक्त धनराशि (पांच प्रतिशत से अधिक) बनाए रखी जाएगी। इसके अलावा, शासन इस निधि में अपना योगदान भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेकर नहीं देगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने शीर्ष 8235-117 के तहत प्रत्याभूति मोचन निधि में ₹10.00 करोड़ हस्तांतरित किए। प्रत्याभूति मोचन निधि योजना की अधिसूचना के अनुसार, राज्य शासन को ₹221.00 करोड़ (पिछले वर्ष के अंत में ₹22,099.71 करोड़ की कुल बकाया गारंटी का एक प्रतिशत) का योगदान करना आवश्यक था, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2024 तक ₹15.00 करोड़ का योगदान किया गया था।

¹⁴ गैर-निवेश के लिए ₹15.32 करोड़ तथा अंशदान के हस्तांतरण में देरी के लिए ₹13.21 करोड़।

2.5.2.4 राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में अनुच्छेद 267 के अधीन प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल के माध्यम से उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम, और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि से एक समेकित निधि बनेगी जो "राज्य की समेकित निधि" की हकदार होगी। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखों में जमा किया जाएगा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सितम्बर 2008 में गठन किया गया। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है।

श्रम उपकर की प्राप्ति और उपयोग

1 अप्रैल 2023 तक बोर्ड के पास उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि ₹674.74 करोड़ थी। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ₹343.15 करोड़ (पंजीकरण शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ – ₹2.03 करोड़, श्रम उपकर – ₹306.77 करोड़ और ब्याज – ₹34.35 करोड़) प्राप्त हुए। इसके अलावा, श्रम उपकर के लिए प्राप्त 306.77 करोड़ में से, वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं से ₹250.49 करोड़ और निजी संस्थाओं से ₹56.28 करोड़ प्राप्त हुए। कल्याणकारी योजनाओं और स्थापना पर बोर्ड ने 2023-24 के दौरान कुल ₹370.43 करोड़ खर्च किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक बोर्ड के पास ₹647.46 करोड़ उपलब्ध थे।

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अन्य संस्थाओं द्वारा सीधे बोर्ड को धनराशि हस्तांतरित की गई थी और लोक लेखा के माध्यम से नहीं भेजी गई थी। और केवल चार¹⁵ विभागों के संबंध में, धनराशि लोक लेखा के माध्यम से भेजी जा रही थी।

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 के अनुसार एकत्रित उपकर राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत बोर्ड के लेखा शीर्ष में बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा। सरकारी खातों के माध्यम से उपकर के लेखांकन के अभाव में, एकत्रित और बोर्ड को हस्तांतरित उपकर की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। वित्त लेखे 2023-24 के अनुसार, मुख्य शीर्ष 8443-111/108 अन्य विभागीय/लोक निर्माण जमा के अंतर्गत वर्ष के दौरान श्रम उपकर के ₹59.99 करोड़ रुपये जमा किए गए। जिसमें से राज्य शासन ने बोर्ड को देय ₹63.19 करोड़ रुपये (₹59.99 करोड़ रुपये + पिछले वर्ष का ₹3.20 करोड़ रुपये का गैर-हस्तांतरित शेष) के मुकाबले केवल ₹58.01 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। ₹5.18 करोड़ रुपये का शेष गैर-हस्तांतरित रह गया है और इसे लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत रखा गया है।

¹⁵ लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

2.5.2.5 अन्य समर्पित निधियाँ

(अ) अधोसंरचना विकास निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005 के अनुसार, उन सभी भूमियों पर अधोसंरचना विकास उपकर (आईडी उपकर) लगाया और एकत्र किया जाएगा, जिन पर भू-राजस्व या किराया लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र किए गए आईडी उपकर को अधोसंरचना विकास निधि (आईडी फंड) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस निधि का उपयोग ऐसी अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए। अधोसंरचना विकास निधि का रखरखाव लोक लेखा (8229 विकास और कल्याण निधि-200-0026) में किया जाता है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य शासन ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹210.58 करोड़ और 2023-24 में ₹197.95 करोड़ का अधोसंरचना विकास उपकर एकत्र किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछले वर्ष के दौरान एकत्रित ₹210.58 करोड़ की राशि के मुकाबले वर्ष 2023-24 के दौरान ₹122.75 करोड़ की राशि निधि में हस्तांतरित की गई। ₹87.83 करोड़ रुपये के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा कम दर्शाया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान अधोसंरचना विकास निधि से ₹41.18 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 31 मार्च 2024 तक अधोसंरचना विकास निधि में अंतिम शेष ₹129.35 करोड़ रुपये था।

(ब) पर्यावरण निधि

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण कोष की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को राज्य में पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पर्यावरण कोष का रखरखाव लोक लेखा (8229-200-0021) में किया जाता है।

संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 में पर्यावरण उपकर के रूप में क्रमशः ₹210.58 करोड़ और ₹197.95 करोड़ एकत्र किए गए थे। पिछले वर्ष के दौरान एकत्र 210.58 करोड़ के मुकाबले छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान ₹122.75 करोड़ की राशि पर्यावरण निधि में स्थानांतरित की गई थी। ₹87.83 करोड़ का कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया। 31 मार्च 2024 तक पर्यावरण कोष में शेष राशि ₹289.88 करोड़ थी।

(स) खनिज विकास निधि

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रहित खनिज राजस्व के पांच प्रतिशत के बराबर राशि खनिज विकास निधि में निर्धारित और योगदान की जाएगी। खनिज विकास निधि का रखरखाव लोक लेखा (8229 विकास और कल्याण निधि-200-0089) में किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन को छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि में ₹647.07 करोड़ (पिछले वर्ष यानी 2022-23 के दौरान संग्रहित ₹12,941.33 करोड़ के खनिज राजस्व का पांच प्रतिशत) हस्तांतरित करना आवश्यक था, जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने केवल 400.00 करोड़ हस्तांतरित किए। ₹247.07 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय/राजस्व घाटा कम दिखाया गया। खनिज विकास निधि में 31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष ₹1,048.89 करोड़ था।

(द) पेंशन निधि

छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने 29 मार्च 2003 की अधिसूचना के तहत राज्य पेंशन निधि का प्रशासन शुरू किया था। छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि नियम, 2003 के नियम 6 में कहा गया है कि सरकार तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में पेंशन देयताओं के संबंध में मुख्य शीर्ष 2071 में कुल व्यय का कम से कम पांच प्रतिशत राशि निधि में स्थानांतरित करेगी, बशर्ते कि राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निधि में बड़ी राशि स्थानांतरित कर सके।

पेंशन निधि का निर्माण 8229-200 अन्य विकास निधि के नीचे उप-शीर्ष स्तर पर किया गया है। 01.04.2024 तक निधि का प्रारंभिक शेष ₹456.05 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹383.07 करोड़ के आवश्यक योगदान के विरुद्ध ₹272.00 करोड़ (अर्थात् ₹7,661.46 करोड़ का पांच प्रतिशत) की राशि निधि में स्थानांतरित की गई। ₹111.07 करोड़ रुपये के कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा उस सीमा तक कम दर्शाया गया। पेंशन फंड में 31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष ₹737.08 करोड़ था, जिसमें से ₹267.43 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश किए गए थे।

(य) केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि

केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों की सूची निर्धारित करती है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, इन राशियों में से, रिज़र्व के अलावा अन्य आवंटन, कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्रासंगिक योजना लघु शीर्ष को विपरीत डेबिट द्वारा मुख्य शीर्ष '8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में जमा किये जाते हैं।

वर्ष 2019-24 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त और राज्य शासन द्वारा लोक लेखा में 8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान में स्थानांतरित किए गए निधि का विवरण तालिका 2.32 में दिया गया है।

तालिका 2.32: 2019-24 के दौरान केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष (राज्य शासन द्वारा हस्तांतरण हेतु लंबित राशि)	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	राज्य सरकार द्वारा 8449-अन्य जमा-103 को हस्तांतरित की गई निधि	अंतिम शेष (राज्य शासन से हस्तांतरित नहीं की गई राशि)
1	2019-20	14.02	371.61	198.55	187.08
2	2020-21	187.08	234.92	296.54	125.46
3	2021-22	125.46	230.29	125.47	230.28
4	2022-23	230.28	86.92	160.65	156.55
5	2023-24	156.55	353.60	300.00	210.16

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़े


भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि के लिए राज्य शासन को ₹353.60 करोड़ जारी किए। राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 की अवधि से संबंधित ₹300.00 करोड़ (₹69.64 करोड़, ₹86.92 करोड़ और ₹143.44 करोड़) को लोक लेखा केन्द्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार, लोक लेखा में निधि में ₹210.16 करोड़ का हस्तांतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय/राजस्व घाटा ₹210.16 करोड़ कम दर्शाया गया।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के साथ राज्य की बकाया समग्र ऋण नीचे चार्ट 2.17 में दर्शायी गई है:

चार्ट 2.17: बकाया समग्र ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया समग्र ऋण में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़) शामिल है, जो राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले बिना किसी पुनर्भुगतान दायित्व के प्रदान किया गया है।

वर्ष 2020-23 के लिए बकाया समग्र ऋण-जीएसडीपी अनुपात की गणना बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

2.6.1 ऋण घटक की रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

पॉंच साल की अवधि वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य की घटक-वार देनदारी की प्रवृत्ति तालिका 2.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.33: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	बकाया समग्र ऋण	78,712.46	92,665.90	99,172.89	1,01,696.43	1,34,179.36
2	लोक ऋण	63,146.72	76,659.79	82,912.77	83,950.79	1,13,887.55
अ	आंतरिक ऋण	60,382.67	70,490.49	71,186.62	68,754.84	95,140.17
ब	भारत सरकार से ऋण	2,764.05	6,169.30	11,726.15	15,195.95	18,747.38
3	लोक लेखे की देयतायें	15,565.74	16,006.11	16,260.12	17,745.64	20,291.81
4	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.92	17.73	7.02	2.54	31.94
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93
7	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद ¹⁶ (प्रतिशत)	22.84	25.42	22.19	20.16	24.93
8	समग्र देयता पर ब्याज भुगतान	4,970.33	5,633.11	6,144.24	6,382.08	6,798.34
9	ऑफ बजट देयता पर ब्याज भुगतान	129.79	212.20	229.10	462.02	742.15
उधार और अन्य देनदारियाँ (वित्त खातों के विवरण 6 के अनुसार)						
10	वर्ष के दौरान कुल प्राप्त ऋण	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42	67,412.52
11	वर्ष के दौरान कुल ऋण का पुनर्भुगतान	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88	34,929.59
12	वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध ऋण#	6,992.59	8,320.33	362.75	निरंक	25,684.59
13	पुनर्भुगतान/प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	62.52	58.25	76.90	88.51	51.81

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन के पास उपलब्ध शुद्ध निधि की गणना ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर कुल ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

मार्च 2024 तक बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹1,26,105.21 करोड़ होगी। बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में 17.92 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 2.54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, वर्ष 2023-24 में यह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 31.94 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल ऋण प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹45,440.10 करोड़ (206.81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और कुल ऋण पुनर्भुगतान में भी ₹15,480.71 करोड़ (79.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से काफी अधिक थी, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर से अधिक थी। हालांकि, वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की तुलना में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई है, जो आगे संभावित राजकोषीय चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है।

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान लोक ऋण में ₹50,740.83 करोड़ (80.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें आंतरिक ऋण में ₹34,757.50 करोड़ (57.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और भारत सरकार से ऋण में


¹⁶ वर्ष 2020-24 के लिए ऋण-जीएसडीपी अनुपात की गणना बैंक-टू-बैंक ऋण ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़), जो राज्य सरकार को जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले ऋण प्राप्ति के रूप में बिना किसी पुनर्भुगतान वायित्व के प्रदान किया गया है, की राशि को छोड़कर बकाया समग्र ऋण पर की गई है।

₹15,983.33 करोड़ (578.26 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान लोक लेखा देयताओं में ₹4,726.07 करोड़ (30.36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2024 तक राज्य शासन के पास ₹1,34,179.36 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति ₹7,292.94 करोड़ की शुद्ध बकाया ऑफ-बजट देनदारियां/उधार हैं।

समग्र देनदारियों का घटक-वार विवरण नीचे चार्ट 2.18 में दिखाया गया है:

चार्ट 2.18: वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण




स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2023-24

आंतरिक ऋण (₹95,140.17 करोड़ रुपए), जो मुख्य रूप से राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से बाजार उधार है, कुल बकाया ऋण का 71 प्रतिशत है।

चार्ट 2.19 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.19: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

आंतरिक ऋण प्राप्तियों में गिरावट का रुख दिखा और यह वर्ष 2019–20 में ₹19,308.36 करोड़ से घटकर वर्ष 2022–23 में ₹6,938.61 करोड़ हो गई तथा फिर वर्ष 2023–24 में तेजी से बढ़कर ₹50,258.44 करोड़ हो गई। वर्ष 2023–24 के दौरान आंतरिक ऋण के तहत पुनर्भुगतान (₹23,873.11 करोड़) आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹50,258.44 करोड़) का 48 प्रतिशत था।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) की राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (अधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना तालिका 2.34 में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	(-)9,608.61	(-)6,856.66	(+)4,642.02	(+)8,592.11	(-)11,232.76
2	शुद्ध पूँजीगत व्यय	(-)8,561.69	(-)9,019.34	(-)10,499.33	(-)13,314.70	(-)15,413.92
3	शुद्ध ऋण तथा अग्रिम ¹⁷	200.75	53.62	(-)235.79	31.38	(-)286.35
	योग	(-)17,969.55	(-)15,822.38	(-)6,093.10	(-)4,691.21	(-)26,933.03
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बाजार से लिए गए ऋण	10,980.00	10,500.00	999.99	(-)2,200.00	26,300.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0	0	(-)87.01	(-)87.01	(-)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	304.72	112.02	239.03	311.11	628.21
4	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(-)455.88	(-)455.88	(-)455.88	(-)455.88	(-)455.87
5	भारत सरकार से ऋण	63.66	3,405.25	5,556.85	3,469.80	3,551.43
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	785.26	403.73	(-)0.90	1,306.48	1,521.73
7	आरक्षित निधियाँ	814.16	(-)465.18	453.53	(-)181.39	766.01
8	जमा तथा अग्रिम	(-)524.14	501.82	(-)204.13	360.77	258.33
9	उचंत तथा विविध	4,505.27	1,845.02	109.64	2,955.88	(-)5,504.71
10	प्रेषण	80.79	(-)51.08	(-)6.83	37.56	(-)52.85
11	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)13.47
12	कुल घाटा	16,553.84	15,795.70	6,604.29	5,517.32	26,911.80
13	रोकड़ शेष में (-)वृद्धि/(+)कमी	(+)1,415.71	(+)26.68	(-)511.19	(-)826.11	(+)21.23
14	सकल राजकोषीय घाटा	17,969.55	15,822.38	6,093.10	4,691.21	26,933.03

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन द्वारा जुटाए गए निवल बाजार ऋण (₹26,300.00 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करने में योगदान दिया और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 98 प्रतिशत थी।

¹⁷ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित निवल ऋण और अग्रिम

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण तालिका 2.35 में दिखाया गया है।

तालिका 2.35: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए ऋण	32,000.00	5,700.00	26,300.00
2	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	87.01	(-)87.01
3	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,587.43	959.22	628.21
4	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	455.87	(-)455.87
5	भारत सरकार से ऋण	3,791.28	239.85	3,551.43
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,222.13	1,700.40	1,521.73
7	जमा तथा अग्रिम	3,560.30	3,301.97	258.33
8	उचत तथा विविध	2,00,606.38	2,06,111.09	(-)5,504.71
9	प्रेषण	5,309.36	5,362.21	(-)52.85
10	आरक्षित निधियाँ	7,292.47	6,526.46	766.01
11	आकस्मिकता निधि	63.49	76.96	(-)13.47
12	कुल घाटा	2,57,432.84	2,30,521.04	26,911.80
13	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी			21.23
14	सकल राजकोषीय घाटा	2,57,432.84	2,30,521.04	26,933.03

स्रोत: वित्त लेखे 2023-24

2.6.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई तालिका 2.36 राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.36: लोक ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
1	0 से 1	9,045.96	425.64	9,471.60	8.32
2	1 से 3	21,784.48	535.64	22,320.12	19.60
3	3 से 5	22,556.86	532.36	23,089.22	20.28
4	5 से 7	20,101.37	465.71	20,567.08	18.05
5	7 और उससे अधिक	21,480.46	8,712.45	30,192.91	26.51
6	अन्य ¹⁸	171.04	8,075.58	8,246.62	7.24
	योग	95,140.17	18,747.38	1,13,887.55	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2023-24

31 मार्च 2024 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 66.25 प्रतिशत भुगतान करना है।

¹⁸ परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है। अन्य में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में 2020-21 (₹3,109.00 करोड़) और 2021-22 (₹4,965.15 करोड़) के दौरान प्रदान किया गया बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है, जिसकी कोई पुनर्भुगतान देयता राज्य के लिए नहीं है।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता को राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण को चुकाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करने वाले विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना और राज्य की अपने ऋण दायित्वों को चुकाने की क्षमता को इंगित करना महत्वपूर्ण है। यह खंड विभिन्न स्थिरता संकेतकों और डोमर मानदंडों के संदर्भ में सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। तालिका 2.37 ऋण स्थिरता संकेतकों के अनुसार 2019–20 से 2023–24 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.37: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

Sl. No	ऋण स्थिरता संकेतक	Y ₁ (2019-20)	Y ₂ (2020-21)	Y ₃ (2021-22)	Y ₄ (2022-23)	Y ₅ (2023-24)
1	बकाया समग्र ऋण	78,712.46	92,665.90*	99,172.89*	1,01,696.43*	1,34,179.36*
2	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.92	17.73	7.02	2.54	31.94
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.37	2.22	16.52	13.12	8.93
5	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद & (प्रतिशत)	22.84	25.42	22.19	20.16	24.93
6	लोक ऋण की रूपरेखा (प्रतिशत)					
6a	0 से 2 वर्ष	13.97	14.56	18.09	22.32	19.67
6b	2 से 5 वर्ष	31.76	37.28	40.98	45.29	32.28
6c	5 से 10 वर्ष	51.81	46.37	38.28	25.74	39.27
6d	10 वर्ष से अधिक	2.47	1.80	2.65	6.64	8.78
7	पुनर्भुगतान / सकल उधारी (प्रतिशत)	62.52	58.25	76.90	88.51	51.81
8	सकल उधारी के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध शुद्ध उधारी	37.48	41.75	23.10	11.49	48.19
9	समग्र बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान ¹⁹	4,970.33	5,633.11	6,144.24	6,382.08	6,798.34
10	समग्र बकाया ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	7.37	7.05	7.18	7.19	6.30
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	7.78	8.92	7.71	6.80	6.57
12	राजस्व घाटा/अधिशेष	-9,608.61	-6,856.66	4,642.02	8,592.11	-11,232.76
13	प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	-4,638.28	-1,223.55	10,786.26	14,974.19	-4,434.42
14	प्राथमिक शेष	-12,999.19	-10,189.27	51.14	1,690.87	-20,134.69
15	प्राथमिक शेष / जीएसडीपी (प्रतिशत)	-3.77	-2.89	0.01	0.36	-3.98
16	निवेश पर प्रतिफल ²⁰ और समग्र बकाया ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर	-7.26	-6.55	-6.94	-4.53	-3.11
17	तरलता प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन उपकरणों का उपयोग) (दिनों की संख्या)	36	30	38	15	99
18	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रैड + प्राथमिक शेष)	-14,437.29	-14,146.69	7,798.46	6,543.16	-17,232.63
19	डोमर मानदंड					
a	जीएसडीपी (स्थिर भाव में)	2,51,549	2,51,192	2,80,609	3,02,119	3,21,945
b	वास्तविक विकास (स्थिर भाव में)	2.85	-0.14	11.71	7.67	6.56
c	सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	2.48	7.43	4.83	4.69	3.43
d	प्रभावी ब्याज दर	7.37	7.05	7.18	7.19	6.30

¹⁹ समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान में ₹129.79 करोड़ (2019–20), ₹212.20 करोड़ (2020–21), ₹229.10 करोड़ (2021–22), ₹462.02 करोड़ (2022–23), ₹742.15 करोड़ (2023–24) की ऑफ बजट ऋणों पर ब्याज भुगतान शामिल हैं।

²⁰ निवेश पर प्रतिफल = ब्याज प्राप्तियाँ/पिछले और चालू वित्तीय वर्ष के बकाया ऋण और अग्रिम वितरित का औसत * 100

e	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	4.89	-0.38	2.35	2.50	2.87
f	विकास ब्याज अंतर (वास्तविक विकास-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-2.04	-0.24	9.36	5.17	3.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया समग्र ऋण में राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में 2020-21 (₹3,109.00 करोड़) और 2021-22 (₹4,965.15 करोड़) के दौरान प्रदान किए गए ₹8,074.15 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल हैं, जिनकी कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

& वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए ऋण-जीएसडीपी अनुपात की गणना ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण की राशि को छोड़कर बकाया ऋण पर की गई है।

पीआरबी: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान के बाद शुद्ध), जहां (-) पीआरबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।
पीबी: कुल प्राप्तियां (उधार के बाद शुद्ध) - कुल व्यय (ब्याज भुगतान के बाद शुद्ध), जहां (-) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

प्रभावी ब्याज दर: (ओबीबी पर ब्याज भुगतान को छोड़कर ब्याज भुगतान / (गैर-ब्याज-असर वाली देनदारियों, बैंक-टू-बैंक ऋण और राज्यों को जारी ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर पिछले और चालू वित्तीय वर्ष की औसत बकाया देनदारी))

तरलता प्रबंधन: विशेष आहरण सुविधा, अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के विरुद्ध प्राप्त राशि।

क्वांटम स्प्रेड: (ब्याज स्प्रेड * समय देयता) जहां ब्याज स्प्रेड = (जीएसडीपी विकास दर - समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर)। क्वांटम स्प्रेड की गणना के लिए, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को जारी किए गए बैंक-टू-बैंक ऋण, गैर-ब्याज वहन देयताएं और ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर समग्र ऋण ली गई है; आरओआई: निवेश पर प्रतिफल

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ के ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष), विकास ब्याज अंतर (जी-आर), प्राथमिक शेष और ऋण-जीएसडीपी अनुपात के प्रभाव के बारे में संक्षिप्त चर्चा नीचे दी गई है।


- जैसा कि तालिका 2.37 से देखा जा सकता है, महामारी से प्रभावित वर्ष 2020-21 को छोड़कर, राज्य ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए विचार किए गए अधिकांश संकेतकों ने पिछले पाँच वर्षों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित की, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात अस्थिर रहा। यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 को छोड़कर, समग्र देनदारियों/ऋण में वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही। इससे पता चलता है कि राज्य को ऋण में वृद्धि को रोकने के लिए मितव्ययिता उपाय करने की आवश्यकता है ताकि इसे नाममात्र वृद्धि के अनुरूप रखा जा सके।
- औसतन, 50 प्रतिशत से अधिक बकाया ऋण की शेष परिपक्वता अवधि पांच वर्ष तक थी, जो दर्शाता है कि 2020-21 से 2023-24 तक रोल-ओवर जोखिम उच्च बना रहा। पांच वर्ष तक के बकाया ऋण की शेष परिपक्वता अवधि 2019-20 में 45.73 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 67.61 प्रतिशत हो गई और 2023-24 में घटकर 51.95 प्रतिशत हो गई। अल्पकालिक और मध्यम अवधि की परिपक्वता वाले बकाया ऋण के अनुपात में वृद्धि के साथ, 2022-23 तक रोल-ओवर जोखिम बढ़ गया और 2023-24 में कम हो गया। इसलिए, राज्य को ऋण स्थिरता की भेद्यता को कम करने के लिए भविष्य की उधार आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालिक ऋण पर स्विच करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2019-20 को छोड़कर, ऋण-जीएसडीपी अनुपात द्वारा मापा गया राज्य का ऋण भार, हालांकि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ²¹ के साथ बना रहा, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई।

²¹ ऋण स्थिरता विश्लेषण के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं; ऋण स्थिरता संकेतक (विकास ब्याज अंतर और प्राथमिक शेष का संयोजन) और लक्ष्य सीमा से वास्तविक ऋण/जीएसडीपी अनुपात के विचलन में ऋण की स्थिरता का अनुमान लगाना। चूंकि यह इंगित करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है कि एक स्थायी ऋण सीमा क्या है, इसलिए ऋण के लक्ष्य मूल्य का चुनाव मनमाना है। इसलिए, वित्त आयोग द्वारा दिए गए राज्य के सांकेतिक ऋण पथ को ऋण/जीएसडीपी अनुपात की सीमा के रूप में माना जाता है।

- उपरोक्त तालिका में सकल उधारी के पुनर्भुगतान में ब्याज भुगतान शामिल नहीं है और यदि इसे ध्यान में रखा जाए तो यह 52 प्रतिशत से बढ़कर 62 प्रतिशत हो जाएगा और राजकोषीय नियोजन में सरकार के लचीलेपन को कम करेगा और गुणवत्ता व्यय पर खर्च में और कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, उत्पादक उद्देश्यों और विकास को बढ़ावा देने वाले निवेश के लिए उपलब्ध शुद्ध उधार ने न तो लगातार ऊपर की ओर रुझान दिखाया है और न ही इतना स्थिर रहा है कि व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके।
- इसके अलावा, तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग पिछले पांच वर्षों में 2022–23 में सबसे कम 15 दिन और 2023–24 में सबसे अधिक 99 दिन रहा। राज्य ने तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का उपयोग सालाना औसतन 1.5 महीने तक किया, जो दर्शाता है कि राज्य तरलता के मुद्दों से जूझ रहा था।
- राज्य जीआईडी (विकास ब्याज अंतर), जो पांच में से तीन वर्षों में सहायक रहा और 2021–22 और 2022–23 में प्राथमिक अधिशेष रहा, की मदद से पांच में से चार वर्षों में अपने ऋण-जीएसडीपी अनुपात को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक सीमा से नीचे रखने में कामयाब रहा।
- जीआईडी (विकास ब्याज अंतर) और प्राथमिक शेष दोनों जो नकारात्मक क्षेत्र में रहे, 2019–20 और 2020–21 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि में योगदान दिया। जीआईडी और प्राथमिक शेष 2021–22 में सकारात्मक हो गए और अगले वर्ष में और बेहतर हुए, जिससे 2021–22 और 2022–23 में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार हुआ। हालांकि, जीआईडी और प्राथमिक अधिशेष में गिरावट के साथ-साथ ऋण में वृद्धि जो कि नाममात्र वृद्धि से काफी अधिक थी, ने ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 2022–23 में 20.16 प्रतिशत से 4.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज कर 2023–24 में 24.93 प्रतिशत हो गयी। राज्य, वर्ष 2019–20 को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में वित्त आयोग द्वारा दिए गए सांकेतिक ऋण पथ के भीतर अपने ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को बनाए रखने में कामयाब रहा।
- डोमर मानदंड से पता चलता है कि महामारी से प्रभावित वर्ष (2020–21) को छोड़कर नाममात्र वृद्धि मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक वृद्धि से प्रेरित थी। जबकि सीपीआई (संयुक्त) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति ने 2019–20 और 2020–21 को छोड़कर वास्तविक ब्याज दरों को सकारात्मक जीआईडी के अनुकूल बनाए रखा। औसतन, राज्य ने आरबीआई द्वारा निर्धारित 2–6 प्रतिशत बैंडविड्थ के भीतर सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया है।

नीचे चार्ट 2.20 ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में राज्य शासन के ऋण की स्थिरता को दर्शाता है।

चार्ट 2.20: ऋण स्थिरता संकेतकों के प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लिए समग्र ऋण की गणना ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण की राशि को छोड़ने के बाद बकाया समग्र ऋण पर की गई है।

2.7.1 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना धारणीय/स्थिर नहीं है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान उधार ली गई राशि के उपयोग का विवरण और प्रवृत्ति तालिका 2.38 में दिया गया है।

तालिका 2.38: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल उधारियाँ ²²	31,921.72	33,423.87	28,164.36	21,972.42	67,412.52
2	पूर्व उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	19,958.77	19,470.43	21,657.37	19,448.88	34,929.59
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	11,962.95	13,953.44	6,506.99	2,523.54	32,482.93
4	निवल पूंजीगत व्यय	(-)8,561.69	(-)9,019.34	(-)10,499.33	(-)13,314.70	(-)15,413.92
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	200.75	53.62	(-)235.79	31.38	(-)286.35
6	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	3,602.01	4,987.72	निरंक	निरंक	11,232.76
7	रोकड़ शेष में अधिशेष उधार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	5,549.90

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

²² लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

कुल उधारी में वर्ष 2019–20 में ₹31,921.72 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹67,412.52 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की प्रवृत्ति है, जिसमें 2023–24 में उल्लेखनीय उछाल है। वर्ष 2023–24 के दौरान, उधार ली गई धनराशि का 52 प्रतिशत (₹67,412.52 करोड़ रुपये) पहले के उधार (₹34,929.59 करोड़ रुपये) के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया, जिससे विकास गतिविधियों के लिए उधार ली गई निधि का केवल 48 प्रतिशत ही बचा।

उधार पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष राशि ₹32,482.93 करोड़ में से, पूंजी खाते पर ₹15,413.92 करोड़ और ऋण और अग्रिम पर ₹286.35 करोड़ खर्च किए गए। शेष ₹16,782.66 करोड़ की उधारी में से ₹11,232.76 करोड़ राजस्व व्यय के हिस्से के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किए गए और ₹5,549.90 करोड़ रोकड़ शेष के रूप में उपलब्ध थे।

वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल उधारी 2022–23 में ₹21,972.42 करोड़ से ₹45,440.10 करोड़ (₹206.81 प्रतिशत) बढ़कर 2023–24 में ₹67,412.52 करोड़ हो गई। इसी तरह, पिछले वर्ष की तुलना में 2023–24 में पहले के उधारों की अदायगी में ₹15,480.71 करोड़ (79.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.7.2 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां हैं जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में दी गई कुल सरकारी गारंटी पिछले वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकतम सीमा राशि, बकाया गारंटी और गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि का विवरण तालिका 2.39 में दिया गया है।

तालिका 2.39: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	गारंटी	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	गारंटियों की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा*	20,391.20	30,051.62	30,026.15	40,934.94	48,370.55
2	गारंटी की बकाया राशि	18,459.36	19,836.13	19,499.89	22,099.71	21,890.52
3	गारंटी के लिए दी गई अधिकतम राशि	27,994.79	26,694.79	29,947.50	30,022.50	31,662.88

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटियां नियमावली, 2003 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में गारंटियों की कुल बकाया राशि गत वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से इस सीमा को बढ़ाकर (जुलाई 2020) शत प्रतिशत कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि लागू सीमा के भीतर थी, हालांकि वर्ष 2019–20 के दौरान यह सीमा से अधिक हो गई। 31 मार्च 2024 तक ₹31,662.88 करोड़ की अधिकतम गारंटी, वर्ष 2022–23 के राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (₹48,370.55 करोड़) का 65.46 प्रतिशत है और लागू सीमाओं के भीतर है। वर्ष 2023–24 के दौरान, 76.08 करोड़ की प्राप्य गारंटी फीस के विरुद्ध कोई गारंटी फीस प्राप्त नहीं हुई।

2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष रोकड़ शेष को अल्प एवं दीर्घ अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करता है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है।

तालिका 2.40 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.40: रोकड़ शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	01 अप्रैल 2023 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2024 की स्थिति में अंतिम शेष
1	(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
2	कोषालय में रोकड़	0.00	0
3	रिजर्व बैंक में जमा	215.63	194.40
4	"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	485.61	5,933.48
5	योग (अ)	701.24	6,127.88
6	(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
7	विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.09	12.07
8	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.34	0.34
9	विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,334.30	7,656.95
10	योग (ब)	7,346.73	7,669.36
11	योग (अ) तथा (ब)	8,047.97	13,797.24
12	अर्जित ब्याज	41.70	26.41

स्रोत : वित्त लेखे 2023-24

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का सामान्य रोकड़ शेष वर्ष 2022-23 में ₹701.24 करोड़ से ₹5,426.64 करोड़ बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹6,127.88 करोड़ हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत, छत्तीसगढ़ शासन को आरबीआई के पास 0.72 करोड़ रुपये का आवश्यक न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम शेष राशि से कम हो जाती है, तो साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य शासन 267 दिनों के लिए 0.72 करोड़ रुपये का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में सक्षम थी और उसे 99 दिनों के लिए विशेष आहरण सुविधा लेकर न्यूनतम शेष बनाया गया। राज्य शासन को वर्ष 2023-24 के दौरान एसडीएफ पर ब्याज के रूप में 22.11 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश नीचे तालिका 2.41 में दिया गया है।

तालिका 2.41: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	रोकड़ शेष निवेश			
		प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज
1	2019-20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10
2	2020-21	5,246.81	3,389.68	(-)1,857.13	29.66
3	2021-22	3,389.68	3,345.39	(-)44.29	28.23
4	2022-23	3,345.39	485.61	(-)2,859.78	41.70
5	2023-24	485.61	5,933.48	5,447.87	26.41

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अंतिम शेष की स्थिति वर्ष 2019-20 में ₹5,246.81 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹5,933.48 करोड़ हो गई, जो अधिशेष रोकड़ शेष को दर्शाता है।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व प्राप्तियों में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कर राजस्व में 18.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि करेतर राजस्व में 0.66 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2022-23 में ₹8,592.11 करोड़ का राजस्व अधिशेष वर्ष 2023-24 के दौरान ₹11,232.76 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया।

राज्य शासन ने अपने स्वयं के कर राजस्व जुटाने में 15वां वित्त आयोग और बजट अनुमानों की अपेक्षाओं को क्रमशः 32.85 प्रतिशत और 2.07 प्रतिशत तक पार कर लिया। हालांकि, यह अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित करेतर राजस्व लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका और 16.77 प्रतिशत कम रहा।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 87.94 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 34.54 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में इसका हिस्सा मात्र 11.82 प्रतिशत था। जबकि राजस्व व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 22.68 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी का 3.05 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान पूँजी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम था। पूँजीगत व्यय का बजट अनुमानों से कम होना दर्शाता है कि पूँजीगत परियोजनाओं में नियोजित निवेश नहीं किया गया।

राजस्व व्यय के प्रति प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 में 46.33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 39.22 प्रतिशत हो गया।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2024 तक सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹7,533.61 करोड़) पर मात्र 0.05 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया।

राज्य शासन ने राज्य आपदा राहत निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को लोक लेखों में स्थानांतरित करने में देरी की। परिणामस्वरूप, समय पर धन हस्तांतरण न के लिए राज्य आपदा राहत निधि के लिए ₹0.75 करोड़ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए ₹13.21 करोड़ का ब्याज भुगतान देय था। साथ ही, राज्य शासन ने दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से राज्य आपदा राहत निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अ-निवेशित शेष पर वर्ष 2023-24 के लिए ₹45.39 करोड़ और ₹15.32 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था।

31 मार्च 2024 तक लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 66.25 प्रतिशत चुकाना है।

कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर 2019-20 में 17.92 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.54 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 31.94 प्रतिशत हो गई।

राज्य शासन पर 31 मार्च 2024 तक ₹1,34,179.36 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति ₹7,292.94 करोड़ की शुद्ध बकाया ऑफ-बजट देनदारियां/उधार भी हैं।

ऋण स्थिरता विश्लेषण के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 को छोड़कर, समग्र देनदारियों/ऋण में वृद्धि नाममात्र वृद्धि से अधिक रही। ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 2022-23 में

20.16 प्रतिशत से 2023-24 में 24.93 प्रतिशत तक 4.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। डोमर मानदंड के अनुसार, औसतन, राज्य ने आरबीआई द्वारा निर्धारित 2-6 प्रतिशत बैंडविड्थ के भीतर सीपीआई मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया है। इसके अलावा, राज्य ने तरलता प्रबंधन के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय सुविधा का सालाना औसतन 1.5 महीने तक उपयोग किया, जो दर्शाता है कि राज्य तरलता के मुद्दों से जूझ रहा था।

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का सामान्य रोकड़ शेष वर्ष 2022-23 में ₹701.24 करोड़ से ₹5,426.64 करोड़ बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹6,127.88 करोड़ हो गया।

2.9 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन बजट अनुमानों की तुलना में पूंजीगत व्यय में कमी के कारणों की समीक्षा कर सकता है, ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।
- ii. राज्य शासन को वैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं से निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करना चाहिए और उपचारात्मक उपायों की तलाश करनी चाहिए।
- iii. राज्य शासन को भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय हिस्से को राज्य के हिस्से के साथ-साथ राज्य आपदा राहत निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में समय पर स्थानांतरित करना सुनिश्चित करना चाहिए और दिशानिर्देशों के अनुसार इस फंड के तहत शेष राशि का निवेश करना चाहिए।

अध्याय III

बजटीय प्रबंधन

बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की अखंडता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है और यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को निधियों के विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक शीर्ष-पाद दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है—

➤ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर उचित विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और जो किसी भी हाल के घटनाक्रम संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

➤ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।


➤ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेंडर शामिल होता है। इसके साथ जेण्डर, चाइल्ड, कृषि और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण शामिल किये गये हैं।

➤ इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के विभिन्न अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी तैयार किया जाता है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को निर्धारित प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिनमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/ विनियोग की मांगों को भी प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/ विनियोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोग की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनः आवंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य के 2023-24 के बजट के विश्लेषण से केन्द्रीय बजट के विभिन्न प्रमुख घटकों के साथ मजबूत संरेखण को प्रकट करता है, जैसे कि चाइल्ड बजट, जेण्डर बजट, परिणाम बजट, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। छत्तीसगढ़ राज्य भी अलग-अलग बजट दस्तावेज़ प्रकाशित करता है, जैसे कि युवा बजट और कृषि बजट। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए कोई अलग बजट दस्तावेज़ नहीं है क्योंकि अनुदान संख्या 41 और अनुदान संख्या 64 में किए गए प्रावधान इनको आच्छादन करते हैं।

3.3.1 परिणाम बजट

राज्य सरकार ने 2007-2008 में मुख्य बजट के साथ परिणाम बजट को अपनाया और प्रकाशित किया ताकि सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। छत्तीसगढ़ का परिणाम बजट, जबकि वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार के उद्देश्य से है, कई कमियों का सामना कर चुका है।

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाए गए परिणाम बजट प्रारूप में, कुछ विभागों ने कार्य की प्रकृति का उल्लेख किया था बजाय कि उन मापनीय परिणामों और संकेतकों के जो आवंटित धन के परिणाम का आकलन करने के लिए आवश्यक थे। उदाहरण के लिए, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 42 योजनाओं में से 18 में मापनीय परिणामों का उल्लेख नहीं किया (42.86 प्रतिशत)।

3.3.2 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे जेण्डर दृष्टिकोण से तैयार या विश्लेषित किया जाता है ताकि लिंग समानता और महिलाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है – (1) महिला-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

तालिका 3.1 पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान राज्य शासन द्वारा जेण्डर बजट के तहत किए गए आवंटनों के विवरण को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 3.2** उसी अवधि के दौरान कुल बजट और जीएसडीपी के सापेक्ष जेण्डर बजट का प्रतिशत उजागर करता है।


तालिका 3.1: 2019–24 के दौरान जेंडर बजट के तहत आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
जेंडर बजट	15,926	10,646	13,828	14,249	22,968
कुल बजट	1,06,913	1,09,950	1,10,299	1,24,049	1,64,882
जीएसडीपी	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़, संबंधित वर्षों की विनियोग लेखा और जेंडर बजट पुस्तकें

चार्ट 3.2: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जेंडर बजट



जैसा कि देखा जा सकता है, जेंडर बजट के तहत आवंटन 2019–20 में ₹15,925.78 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹22,968.29 करोड़ हो गया। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में, जेंडर बजट का हिस्सा 2019–20 में 14.90 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 13.93 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, जीएसडीपी में इसका हिस्सा भी 2019–20 में 4.62 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 4.54 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य शासन ने 37 योजनाओं के लिए ₹3,426.58 करोड़ (मूल बजट ₹1,652.55 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹1,774.03 करोड़) प्रावधानित किया जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं के लिए है। कुल बजट ₹3,426.58 करोड़ में से, केवल ₹3,334.15 करोड़ (97.30 प्रतिशत) का व्यय किया गया और शेष ₹92.43 करोड़ (2.70 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिखाया गया है जिनमें से चार प्रकरणों में कोई व्यय नहीं हुआ तथा चार प्रकरणों में व्यय बजटीय आवंटन से अधिक था।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य शासन ने 107 योजनाओं के लिए ₹19,541.71 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था। महिला केन्द्रित योजनाओं पर वास्तविक व्यय की गई राशि का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण लेखापरीक्षा में व्यय सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.3 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) युवा-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

तालिका 3.2 पिछले पांच वर्षों (2019–24) के दौरान राज्य शासन द्वारा युवा बजट के तहत किए गए आवंटनों के विवरण को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 3.3** उसी अवधि के दौरान कुल बजट और जीएसडीपी के सापेक्ष युवा बजट के प्रतिशत को उजागर करता है।


तालिका 3.2: 2019-24 के दौरान युवा बजट के तहत आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
युवा बजट	6,757	6,179	4,331	3,515	6,237
कुल बजट	1,06,913	1,09,950	1,10,299	1,24,049	1,64,882
जीएसडीपी	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़, संबंधित वर्षों की विनियोग लेखा और युवा बजट पुस्तकें

चार्ट 3.3: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में युवा बजट



जैसा कि देखा जा सकता है, युवा बजट के तहत आवंटन 2019-20 में ₹6,757.32 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹6,236.97 करोड़ हो गया। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में, युवा बजट का हिस्सा 2019-20 में 6.32 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.78 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, इसका हिस्सा जीएसडीपी में भी 2019-20 में 1.96 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 1.23 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य शासन ने 50 योजनाओं के लिए ₹2,766.45 करोड़ (मूल बजट ₹2,454.83 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹311.62 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹2,766.45 करोड़ के कुल बजट में से केवल ₹2,159.31 करोड़ (78.05 प्रतिशत) का व्यय किया गया और ₹607.14 करोड़ (21.95 प्रतिशत) का व्यय नहीं किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिखाया गया है इनमें से पांच प्रकरणों में कोई व्यय नहीं हुआ और दो प्रकरणों में व्यय बजटीय आबंटन से अधिक था।

कुल 56 योजनाओं के लिए ₹3,470.52 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2023-24 के दौरान व्यय किया जाना था। युवा-केन्द्रित योजनाओं पर वास्तविक व्यय की गई राशि का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण लेखापरीक्षा में व्यय सत्यापित नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, युवा बजट के तहत कुल 11 योजनाएँ जेंडर बजट के साथ अतिछादन करती हैं, जो कि ₹1,085.81 करोड़ रुपये हैं।

3.3.4 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

तालिका 3.3 में पिछले पांच वर्षों (2019-24) के दौरान राज्य शासन द्वारा कृषि बजट के तहत किए गए आवंटनों के विवरण को दर्शाया गया है, जबकि **चार्ट 3.4** उसी अवधि के दौरान कुल बजट और जीएसडीपी के सापेक्ष कृषि बजट के प्रतिशत को उजागर करता है।


तालिका 3.3: 2019–24 के दौरान कृषि बजट के तहत आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
कृषि बजट	24,575	17,976	19,314	23,132	37,476
कुल बजट	1,06,913	1,09,950	1,10,299	1,24,049	1,64,882
जीएसडीपी	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, छत्तीसगढ़, संबंधित वर्षों की विनियोग लेखा और जेंडर बजट पुस्तकें

चार्ट 3.4: कुल बजट और जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि बजट



जैसा कि देखा जा सकता है, कृषि बजट के तहत आवंटन 2019–20 में ₹24,574.78 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹37,475.88 करोड़ हो गया। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में, कृषि बजट का हिस्सा 2019–20 में 22.99 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 22.73 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, इसका हिस्सा जीएसडीपी में 2019–20 में 7.13 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 7.41 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य शासन ने 12 विभागों¹ के अंतर्गत 250 कृषि योजनाओं के लिए ₹37,475.88 करोड़ (मूल बजट ₹23,214.78 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹14,261.10 करोड़) का बजट प्रावधान किया। इस कुल बजट में से ₹33,467.77 करोड़ (89.30 प्रतिशत) का व्यय और शेष ₹4,008.11 करोड़ (10.70 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

3.3.5 चाइल्ड बजट

इस बजट का उद्देश्य 0–18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का सामाजिक विकास, संरक्षण, ज्ञान प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य शासन ने आठ विभागों² के तहत 61 योजनाओं के लिए बजट में ₹13,303.50 करोड़ प्रदान किया। इसमें से ₹6,641.68 करोड़ का बजट 50 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल-केंद्रित हैं। ₹5,557.75 करोड़ (83.68 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹1,083.93 करोड़ (16.32 प्रतिशत) व्यय नहीं किया गया।

¹ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

² खेल और युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग

3.3.6 बजट लक्ष्य प्राप्ति

कुल बजट परिणाम

सकल बजट परिव्यय उस सीमा को मापता है जिस तक कुल बजट व्यय परिणाम वास्तविक व्यय मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है, अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक के संदर्भ में।

तालिका 3.4: समग्र बजट परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल बजट	वास्तविक व्यय ³	मूल बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर
राजस्व व्यय	1,04,856.49	1,17,567.38	(-)12,710.89
पूँजीगत व्यय	27,513.68	40,820.48	(-)13,306.80
कुल	1,32,370.17	1,58,387.86	(-)26,017.69

स्रोत : बजट 2023-24 और विनियोग लेखे वर्ष 2023-24

राजस्व व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन (-)12.12 प्रतिशत था। यह 39 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, पाँच अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत व्यय खंड में, मूल बजट की तुलना में परिणाम में विचलन 48.36 प्रतिशत था। यह 24 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 20 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच, 21 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

व्यय संरचना परिणाम इस बात को मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुर्न आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

तालिका 3.5: व्यय संरचना परिणाम

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुमोदित	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अंतर मूल अनुमोदित और संशोधित अनुमान के बीच	अंतर वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच
राजस्व व्यय	1,04,856.49	1,29,247.80	1,17,567.38	24,391.31	(-) 11,680.42
पूँजीगत व्यय	27,513.68	30,365.82	40,820.48	2,852.14	10,454.66
कुल	1,32,370.17	1,59,613.62	1,58,387.86	27,243.45	(-) 1,225.76

स्रोत : विनियोग लेखे 2023-24 और बजट पुस्तकें 2023-25

राजस्व व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में विचलन (-)9.04 प्रतिशत था। यह 42 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, चार अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। राजस्व अनुभाग के छह अनुदानों

³ इसमें व्यय के कटौती में समायोजित वसूली शामिल नहीं हैं।

(अनुदान संख्या 42, 57, 68, 75, 76 और एक विनियोग— लोक ऋण) में कोई राजस्व प्रावधान नहीं किया गया था।

पूँजीगत व्यय खंड में, संशोधित अनुमान की तुलना में परिणाम में विचलन 34.43 प्रतिशत था। यह 20 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के बीच, 24 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत, 17 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और पाँच अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के बीच विचलन के कारण था। हालांकि, पूँजी अनुभाग के पाँच अनुदानों (अनुदान संख्या 22, 35, 49, 50 और एक विनियोग—ब्याज भुगतान) के संबंध में कोई पूँजी प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3.7 नई योजनाएँ/उप-शीर्षक

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अपना बजट प्रस्तुत करते समय राज्य शासन ने ₹14,564.69 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 67 नई योजनाएँ/उप-शीर्षक की घोषणा की, हालांकि तीन योजनाओं (7029—उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, 7032— मातृ सम्मान योजना और 7033— शहरी निकायों में स्थित औद्योगिक इकाइयों से संपत्ति कर में छूट) में न तो बजट प्रावधान किया गया और न ही व्यय किया गया। कुल 67 योजनाएँ/उप-शीर्षक में से, विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए 19 योजनाएँ/उप-शीर्षक (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹717.75 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसका विवरण *परिशिष्ट 3.3* में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया है जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और जो व्यय संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक हो वह व्यय भारित किया गया है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यय जिस प्रकार किया गया है वह व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2023–24 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति *तालिका 3.6* दर्शायी गई है।

तालिका 3.6: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत (-)	आधिक्य (+)	मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दत्तमत	राजस्व	97,511.50	27,469.72	1,24,981.22	1,10,456.05	-16,180.63 (12.95)	1,655.45 (1.32)	14,723.97 (91.00)
	पूँजीगत	19,505.32	4,784.05	24,289.37	16,139.55	-8,149.82 (33.55)	0.00	7,308.59 (89.68)
	ऋण तथा अग्रिमों	452.05	153.00	605.05	539.33	-65.72 (10.86)	0.00	64.60 (98.30)
	कुल दत्तमत	1,17,468.87	32,406.77	1,49,875.64	1,27,134.93	-24,396.17 (16.28)	1,655.45 (1.10)	22,097.16 (90.58)

भारत	राजस्व	7,344.99	80.11	7,425.10	7,111.33	-315.48 (4.25)	1.72 (0.02)	454.52 (114.07)
	पूँजीगत	14.39	24.63	39.02	28.64	-10.37 (26.58)	0.00	18.12 (174.73)
	लोक ऋण	7,541.92	0.00	7,541.92	24,112.96	0.00	16,571.04 (219.72)	89.91
	कुल भारत	14,901.30	104.74	15,006.04	32,252.93	-325.85 (2.17)	16,572.76 (110.44)	562.55 (172.64)
कुल योग	1,32,370.17	32,511.51	1,64,881.68	1,58,387.86	-24,722.02 (14.99)	18,228.21 (11.06)	22,659.71 (91.66)	


स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2023-24

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कुल बचत ₹24,722.02 करोड़ (कुल अनुदान/ विनियोग का 14.99 प्रतिशत) थी, जिसमें से ₹22,659.71 करोड़ मार्च 2024 के महीने में समर्पित किए गए।

3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे दर्शायी गई है।

चार्ट 3.5: वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट के उपयोग का प्रतिशत 2019-20 में 86.30 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 96.06 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, 2022-23 में 89.01 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में कुल बजटीय प्रावधान का 96.06 प्रतिशत हो गया, जो सार्वजनिक ऋण, वेतन, सब्सिडी आदि के व्यय में वृद्धि के कारण हुई थी।

तालिका 3.7: 2019-24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय


विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	95,899.45	1,02,907.42	1,05,212.73	1,12,603.40	1,32,370.17
अनुपूरक बजट	11,013.99	7,042.84	5,086.56	11,445.78	32,511.51
कुल बजट (क)	1,06,913.44	1,09,950.26	1,10,299.29	1,24,049.19	1,64,881.68
संशोधित अनुमान (ख)	1,02,579.99	98,842.36	1,07,239.96	1,21,842.07	1,59,613.62
वास्तविक व्यय (ग)	92,261.33	89,299.70	96,368.41	1,10,413.01	1,58,387.86

निवल बचत (क-ग)	14,652.11	20,650.56	13,930.88	13,636.17	6,493.82
मूल प्रावधान के अनुपूरक का प्रतिशत	11.48	6.84	4.83	10.16	24.56
समग्र प्रावधान में समग्र बचत/अधिकता का प्रतिशत	13.70	18.78	12.63	10.99	3.94
क-ख	4,333.45	11,107.90	3,059.33	2,207.11	5,268.06
ख-ग	10,318.66	9,542.66	10,871.55	11,429.06	1,225.76
(क-ख) कुल बजट के % के रूप में	4.05	10.10	2.77	1.78	3.19
(ख-ग) संशोधित अनुमान के % के रूप में	10.06	9.65	10.14	9.38	0.77

स्रोत विनियोग लेखे 2023-24 और बजट पुस्तकें 2020-25

उपरोक्त तालिका दिखाती है कि 2023-24 के दौरान ₹32,511.51 करोड़ की अतिरिक्त प्रावधान ने मूल प्रावधान का 24.56 प्रतिशत बनाया, जबकि पिछले वर्ष में यह 10.16 प्रतिशत था और यह आवश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय ने मूल बजट प्रावधानों को पार कर लिया था।

चार्ट 3.6: 2019-24 के दौरान कुल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दिखाने की प्रवृत्ति



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक के वर्षों में, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय हमेशा राज्य के कुल बजट से कम था तथा संशोधित अनुमान और कुल बजट के बीच अनुमान त्रुटि को दर्शाते हुए ₹5,195.17 करोड़ का औसत अंतर था।

प्रतिशत के संदर्भ में, संशोधित अनुमान वर्ष 2019-20 में कुल बजट की तुलना में 4.05 प्रतिशत कम था जो 2023-24 में घटकर 3.19 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, पांच साल की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय भी पूरे समय में संशोधित अनुमान से कम था और 2023-24 में इनके बीच का अंतर प्रतिशत 10.14 प्रतिशत से घटकर 0.77 प्रतिशत हो गया।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

3.5.1 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत शासन लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिन उद्देश्यों के लिये

धन का वितरण किया गया हो। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रकरणों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत खंड में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर एक भौतिक और स्थायी चरित्र की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को संपत्ति बनाने के उद्देश्य से सहायता अनुदान पर व्यय, जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा, को आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने स्थानीय निकायों को पूँजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान के तहत जारी किए गए ₹1,391.84 करोड़ के अनुदान (जीआईए) को उद्देश्य शीर्ष-45 के तहत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया। उद्देश्य शीर्ष 45 के तहत बुक किए गए जीआईए की गलत वर्गीकरण के अलावा, पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान (₹5.40 करोड़), रखरखाव कार्य (₹4.38 करोड़), स्थानीय निकायों को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए दिया गया अनुदान (₹44.75 करोड़) और उद्देश्य शीर्ष 28- मशीनरी और उपकरणों की खरीद और 14- अनुदान (₹10 करोड़) के तहत भी पूँजीगत व्यय के रूप में बुक किया गया। 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार तालिका 3.8 में दिखाया गया है।


तालिका 3.8: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	1,939.61	1,865.85	2,227.04	2,883.76	1,446.59
कुल पूँजीगत व्यय	8,566.39	9,024.19	10,504.22	13,320.30	15,418.93
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश (%)	22.64	20.68	21.20	21.65	9.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 3.7: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का गलत वर्गीकरण



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

3.5.2 पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूँजी खंड के बजाय राजस्व खंड के तहत ₹38.03 करोड़ का व्यय गलत तरीके से बुक किया, जबकि व्यय मशीनरी और उपकरण तथा मोटर वाहनों की खरीद पर किया गया था। आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटर और वाहनों की खरीद पर ₹11.14 करोड़ और ₹26.89 करोड़ का व्यय क्रमशः उद्देश्य शीर्ष 28- मशीनरी और उपकरण तथा 34- मोटर वाहन के तहत राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये खर्च पूँजी प्रकृति के हैं और इन्हें पूँजी शीर्ष में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

3.5.3 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹32,511.51 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी।

इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 34 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 45 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹4,095.72 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त 34 अनुदानों/विनियोगों आवंटनों में से, कुल 16 अनुदानों और एक विनियोग में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की उल्लेखनीय बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: ऐसे प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान से ₹100 करोड़ और अधिक बचत थी फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	
						राशि	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)							
1	3	पुलिस	6,152.11	172.95	5,384.31	-767.80	-12.48
2	10	वन	2,670.90	33.12	2,243.40	-427.50	-16.01
3	11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	439.91	70.60	293.50	-146.41	-33.28
4	19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,103.19	596.63	2,924.12	-179.07	-5.77
5	20	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	340.91	6.00	223.41	-117.50	-34.47
6	23	जल संसाधन विभाग	663.93	3.00	511.47	-152.46	-22.96
7	27	स्कूल शिक्षा	6,759.51	7.14	5,938.98	-820.53	-12.14
8	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,024.55	93.33	2,655.86	-368.69	-12.19
9	44	उच्च शिक्षा	915.19	17.27	806.32	-108.87	-11.90
10	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	498.60	176.24	397.96	-100.64	-20.18
11	67	लोक निर्माण - भवन	752.75	34.00	643.59	-109.17	-14.50
12	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	1,239.39	1.00	905.83	-333.56	-26.91
13	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2,057.59	162.61	1,873.95	-183.64	-8.92
कुल राजस्व दत्तमत			28,618.52	1,373.89	24,802.70	-3,815.83	-13.33
राजस्व (भारित)							
14	CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,684.36	78.07	6,471.18	-213.18	-3.19
पूँजीगत (दत्तमत)							

15	23	जल संसाधन विभाग	590.10	5.00	412.65	-177.44	-30.07
16	24	लोक निर्माण-सड़क और पुल	2,153.85	60.00	1,673.26	-480.59	-22.31
17	27	स्कूल शिक्षा	579.47	166.00	334.65	-244.82	-42.25
18	41	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,788.68	1,271.05	3,250.83	-537.85	-14.20
19	42	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना सड़कों और पुलों से संबंधित सार्वजनिक कार्य	1,247.70	33.00	858.39	-389.31	-31.20
20	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,053.68	250.00	918.82	-134.86	-12.80
कुल पूँजीगत दत्तमत			9,413.48	1,785.05	7,448.60	-1,964.88	-20.87
कुल योग			44,716.36	3,237.01	38,722.48	-5,993.88	-13.40

स्रोत : विनियोग लेखे 2023-24

इसके अतिरिक्त, 48 उप-शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹806.61 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि योजना स्तर पर धन की आवश्यकता का यथार्थवादी आकलन किए बिना ₹806.61 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान किया गया।

3.5.4 अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुदान में एक इकाई (राजस्व-दत्त, राजस्व-भारित, पूँजी-दत्त, पूँजी-भारित) जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वहाँ धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान चार प्रकरणों में मूल प्रावधानों के विरुद्ध बचत के बावजूद भी पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि बढ़ाई गई, जिसका विवरण तालिका 3.10 में विस्तृत है। यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के बिना भी पुनर्विनियोजन किया गया।

तालिका 3.10: अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुन- विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	समापक अधिक्य (+) /कमी (-)
27- 2202- 2-109- 704- 7979- समग्र शिक्षा	76.00	0.00	4.57	80.57	66.98	-13.59
41- 2202- 2- 796- 109- 705- 7979- समग्र शिक्षा	57.76	0.00	3.48	61.24	50.90	-10.33
64- 2202- 2- 789- 109- 706- 7979- समग्र शिक्षा	18.24	0.00	1.10	19.34	16.07	-3.26
67- 2059- 80-1- 101- 2418- निष्पादन	402.23	18.00	0.30	420.53	346.06	-74.47
कुल	554.23	18.00	9.45	581.68	480.01	-100.95

स्रोत : विनियोग लेखे 2023-24

3.5.5 योजना शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

₹100 करोड़ और उससे अधिक के अप्रयुक्त बजट प्रावधान के उल्लेखनीय प्रकरण का विवरण नीचे तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	पुनः विनियोजित
11- 2852- 80- 102- 101- 6475- छत्तीसगढ़ औद्योगिक योजना के तहत प्रतिपूर्ति अनुदान	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
13- 2401- 800- 1201- 6353- चिराग योजना	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

19- 2210- 6- 200- 801- 6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00
27- 4202- 1- 201- 1201- 6684- विश्व बैंक परियोजना-चाक	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
27- 4202- 1- 202- 1201- 6684- विश्व बैंक परियोजना-चाक	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00
41- 2210- 6- 796- 200- 802- 6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान	135.28	0.00	135.28	0.00	135.28
41- 5054- 4- 796- 337- 702- 7064- पीएम जन मैन सड़कों का निर्माण	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00
66- 2202- 2- 109- 701- 8050- छात्रवृत्ति	220.34	0.00	220.34	0.00	220.34
66- 2202- 2- 109- 704- 8050- छात्रवृत्ति	147.90	0.00	147.90	0.00	147.90
69- 2217- 80- 193- 701- 7706- अमृत मिशन	112.70	0.00	112.70	0.00	112.70
69- 4217- 60- 51- 701- 7706- अमृत मिशन	22.39	144.19	166.58	0.00	166.58
CH2- 2049- 1- 101- 2199- नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00
कुल	1,736.61	264.19	2,000.80	0.00	2,000.80

स्रोत : विनियोग लेखे 2023-24

3.5.6 बृहद निवल बचत

कुल निवल बचत ₹6,493.82 करोड़ के मुकाबले, आठ अनुदानों/विनियोगों के तहत ₹465.12 करोड़ की राशि में 10 करोड़ से अधिक की निवल बचत हुई, जो वर्ष के दौरान कुल निवल बचत का 7.16 प्रतिशत है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में विस्तृत किया गया है।

कुल 71 अनुदानों/विनियोगों में से छह अनुदानों/विनियोगों में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2023-24 में बृहद बचत हुई। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक की पाँच वर्ष की अवधि में इन आठ अनुदानों/विनियोजनों में बजटीय आवंटन का उपयोग **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं.	अनुदान का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	वर्षों की संख्या	बजट 2023-24	कुल बजट (पाँच वर्ष)
		बजट का उपयोग (प्रतिशत)							
1	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	58	24	37	30	35	4	29.25	115.79
2	46- विज्ञान और प्रौद्योगिकी	34	34	36	39	44	5	26.69	128.42
3	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	—	00	00	00	12	4	76.20	185.20
4	68- जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता से संबंधित लोक कार्य - भवन	40	36	60	42	28	4	133.62	655.72
5	71- सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	77	37	63	33	36	3	156.65	1,150.46
6	75- नाबार्ड ने जल संसाधन विभाग से संबंधित परियोजनाओं को सहायता प्रदान की	29	25	23	24	33	5	614.71	3,401.29

*50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट का कम उपयोग बढ़े हुए बजटीय प्रावधानों का संकेत है। बढ़े हुए बजट, संसाधन आवंटन, परियोजना नियोजन और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। इसमें शासन द्वारा गहन समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि शीघ्र सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें। अनुदान 46 और 75 में बार-बार कम उपयोग के कारणों की जांच शासन द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंटन से वंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.7 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन प्रकरणों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल तथा अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। विनियोग लेखाओं में उप-शीर्ष/उप-उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस प्रकार के अंतर को किस सीमा से परे स्पष्ट किया जाना है, यह लोक-लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक-लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए लोक-लेखा समिति द्वारा निम्नलिखित मापदंड (अतिरिक्त/बचत) निर्धारित किए गए हैं—

1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी है:

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।

2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।


3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी है:

- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।

4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखों के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 33.15 प्रतिशत प्रकरणों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 3,935 उप-शीर्षों में से 1,490 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 494 उप-शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखों में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, **चार्ट 3.8** में दिए गए हैं।

चार्ट 3.8: विनियोग खाते में व्यय में भिन्नता के स्पष्टीकरण का सारांश



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.5.8 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ख) के अनुसार, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए अनुदत्त रकम से अधिक कोई धन व्यय किया गया है और उस वर्ष के लिए राज्यपाल उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शाते हुए या राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कार्रवाई को दर्शाते हुए एक अन्य विवरण रखवाएगा इस तरह की अधिकता के लिए। इसलिए, राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय को विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित करवाए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹18,228.21 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। यह मुख्य रूप से योजना शीर्ष CH1-6003-112-6471- विशेष निकासी सुविधा के तहत राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान से अधिक की गई विशेष निकासी सुविधा के तहत ₹16,661.01 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के कारण था, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को दिए गए अस्थायी ऋण की भरपाई के लिए विशेष आहरण सुविधा के तहत ट्रेजरी बिलों में निवेश के खिलाफ संपार्श्विक अग्रिम के रूप में था। विवरण नीचे तालिका 3.13 में दिया गया।

तालिका 3.13: वर्ष 2023-24 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत						
1	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	7,578.60	9,234.05	1,655.45
राजस्व भारित						
2	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2.20	3.92	1.72
पूँजीगत भारित						
3	-	CH1	लोक ऋण	7,541.92	24,112.96	16,571.04
कुल				15,122.72	33,350.93	18,228.21

स्रोत : विनियोग लेख 2023-24

वर्ष में प्रावधान से अधिक व्यय न ही केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब नियोजन का भी संकेत है, जिसे उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000-01 से 2022-23 के लिए प्रावधान की तुलना में ₹21,066.99 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को अभी नियमित नहीं किया गया है, जिसे **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 के बाद से अनुदान संख्या 6 (राजस्व मतदान) में लगातार अतिरिक्त व्यय भी देखा गया है। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। राज्य शासन अतिरिक्त व्यय को नियमित न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है। वर्ष 2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण **तालिका 3.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: वर्ष 2000-01 से 2022-23 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

क्र.सं.	वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
1	2000-01	11	2	10.21
2	2001-02	14	2	115.90
3	2002-03	8	2	114.59
4	2003-04	4	2	591.12
5	2004-05	4	5	133.36
6	2005-06	4	2	23.27
7	2006-07	4	1	5.13
8	2007-08	3	3	15.99
9	2008-09	9	1	115.26
10	2009-10	10	5	216.77
11	2010-11	22	6	293.78
12	2011-12	24	1	498.09
13	2012-13	2	2	0.96
14	2013-14	3	3	178.96
15	2014-15	4	2	833.54
16	2015-16	3	2	98.24
17	2016-17	2	3	12.38
18	2017-18	3	3	2.61
19	2018-19	2	4	1.67
20	2019-20	3	4	6,682.69
21	2020-21	2	2	3,432.11
22	2021-22	2	3	4,059.76
23	2022-23	1	2	3,630.60
कुल		144	62	21,066.99

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

विनियोग लेखाओ की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2023-24 के दौरान 13 मुख्य शीर्षों में 11 अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹18,442.01 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिखाया गया है।

3.6 निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में राज्य शासन के बजटीय अनुमानों में सुधार हुआ है। बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत (96.06 प्रतिशत) पिछले वर्ष (89.01 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़ा है।

₹24,722.02 करोड़ की कुल बचत में से ₹22,659.71 करोड़ की बचत केवल मार्च माह में समर्पित कर दी गई।

वर्ष 2023-24 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोग से संबंधित ₹18,228.21 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से 2022-23 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹21,066.99 करोड़ लंबित हैं।

आबंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दिए गए स्पष्टीकरण अपर्याप्त थे और उनमें कोई सार नहीं था। इसके अलावा, विभागों को न तो निरंतर बचत के प्रति आगाह किया गया था; न ही उनके बजट आवंटन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

3.7 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित बचत को समर्पित करना चाहिए ताकि धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- ii. विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर अधिक व्यय विधायिका की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए, वर्ष 2000-01 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।
- iii. राज्य शासन को चाहिए कि वह स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान को सरकारी लेखा नियमों के अनुसार पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत करे।
- iv. विभाग को आबंटनों से किसी भी विचलन के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ताकि स्पष्टीकरण अधिक विशेष्य, पारदर्शी और विश्वसनीय हो सकें।

अध्याय IV
लेखाओं की गुणवत्ता
तथा वित्तीय
प्रतिवेदन प्रणाली

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली

4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण में लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 182 में प्रावधान है कि जहाँ सहायता अनुदान (जीआईए) वार्षिक अथवा अनावर्ती हो एवं केवल एक वर्ष के लिए दिया गया है, वह विभागीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल आहरित किया गया है, इसे अगले वर्ष, जिससे अनुदान संबंधित है, के 30 सितम्बर को या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

मार्च 2023 तक जारी किए गए ₹2,167.29 करोड़ के सहायता अनुदान वाले सभी 275 उपयोगिता प्रमाण पत्र और सितंबर 2023 से मौजूदा प्रावधान के अनुसार मार्च 2024 तक जमा किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान वितरित सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र इस वर्ष देय नहीं थे। इसलिए, 31 मार्च 2024 तक शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति शून्य है।

4.3 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (स.आ.दे.) के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक देयकों (वि.आ.दे.) (अंतिम व्यय के समर्थन में व्हाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देना है।

दिसंबर 2024 तक, छत्तीसगढ़ शासन के तीन विभागों ने 220 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध ₹3.44 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयक जमा नहीं किए हैं। वर्ष 2023-24 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष-वार जानकारी तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका: 4.1 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंतः शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2021-22 तक	04	0.04	265	2,573.81	246	2,573.51	23	0.34
2	2022-23	23	0.34	531	3,492.42	476	3,490.12	78	2.65
3	2023-24	78	2.65	411	6,298.31	269	6,297.52	220	3.44

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आकड़ें

दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए लंबित ₹3.44 करोड़ के 220 वि.आ.दे. में से, चार वि.आ.दे. (₹0.04 करोड़)¹, 19 वि.आ.दे. (₹0.30 करोड़)², 55 वि.आ.दे. (₹2.31 करोड़)³ और 142 वि.आ.दे. (₹0.79 करोड़)⁴ वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 क्रमशः से संबंधित हैं।

लंबित 220 वि.आ.दे. में से, ₹0.10 करोड़ का एक वि.आ.दे., ₹2.00 करोड़ का एक वि.आ.दे. और ₹1.34 करोड़ के 218 वि.आ.दे. क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, मानव शक्ति नियोजन विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित हैं जैसा *परिशिष्ट 4.1* में दिया गया है।।

निर्धारित समय सीमा के भीतर वि.आ.दे. को प्रस्तुत न करना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि बर्बादी/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना को भी बढ़ाता है और इसलिए, वि.आ.दे. की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डीडीओ द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वि.आ.दे. के गैर-प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है।

4.4 लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के खातों को अंततः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 34 जिला कोषागारों, 55 वन मंडलों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवाओं और 157 अन्य संभागों⁵ द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक संकलित खातों से संकलित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मासिक लेखा प्रस्तुत करने में 19 जिला कोषागारों द्वारा एक से नौ दिन, 29 लोक निर्माण संभागों द्वारा एक से 11 दिन, 22 जल संसाधन संभागों द्वारा एक से 14 दिन, 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों द्वारा एक से 12 दिन, 53 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों द्वारा एक से 12 दिन और दो वन मंडलों द्वारा एक से तीन दिन की देरी हुई।

राज्य शासन को अपने स्वयं के बजट को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बारीकी से निगरानी करने और सभी खाता प्रदान करने वाले अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समय पर खातों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

¹ राजस्व विभाग

² सामान्य प्रशासन (₹10 लाख) और राजस्व विभाग (₹20.15 लाख)

³ मानव शक्ति नियोजन (₹2 करोड़) और राजस्व विभाग (₹30.55 लाख)

⁴ राजस्व विभाग

⁵ 58 भवन एवं सड़क कार्य संभाग, 62 सिंचाई संभाग (जल संसाधन विभाग), 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग.

4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष

शासकीय खातों में उचंत शीर्षों का संचालन उन लेनदेनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी कारण या किसी अन्य कारण से उनके अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जब राशि को उसके अंतिम लेखा शीर्ष पर ले जाया जाता है, तो इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर दिया जाता है। यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है।

प्रेषण में उन सभी लेन-देनों को शामिल किया जाता है, जो समायोजित लेखा शीर्ष हैं, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिटों को उसी लेखा वृत्त अथवा अन्य में उसके संबंधित डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शुद्ध शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों में बकाया डेबिट एवं बकाया क्रेडिट को अलग-अलग समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मदों का निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकड़ों की स्थिति लघु शीर्ष वार तालिका 4.2 में दी गयी है।

तालिका 4.2: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8658—उचंत लघु शीर्ष	2021—22		2022—23		2023—24	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101—वेतन एवं लेखा कार्यालय—उचंत	68.32	14.46	67.19	36.13	77.11	20.21
निवल	नामे 53.86		नामे 31.06		नामे 56.90	
102—उचंत लेखा—सिविल	0.64	0.17	0.00	5.93	0.00	7.98
निवल	नामे 0.47		जमा 5.93		जमा 7.98	
109—रिजर्व बैंक उचन्त—मुख्यालय	-1.02	-0.18	-1.13	-0.08	-1.83	-0.16
निवल	जमा 0.84		जमा 1.05		जमा 1.67	
110—रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	8.35	0.01	4.44	0.00	2.90	0.00
निवल	नामे 8.34		नामे 4.44		नामे 2.90	
112—स्रोत पर कर कटौती	0.00	84.53	0.00	140.14	0.00	94.74
निवल	जमा 84.53		जमा 140.14		जमा 94.74	
113—भविष्य निधि उचंत	20.03	0.00	12.86	0.00	1.88	0.00
निवल	नामे 20.03		नामे 12.86		नामे 1.88	
123—अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00	0.31	0.00	0.46	0.00	0.28
निवल	जमा 0.31		जमा 0.46		जमा 0.28	
129—सामग्री क्रय भुगतान उचंत लेखा	0.00	81.67	0.00	81.67	0.00	81.67
निवल	जमा 81.67		जमा 81.67		जमा 81.67	
मुख्य शीर्ष 8782—नगद प्रेषण						
102—लोक निर्माण प्रेषण	86.37	15.88	53.75	14.83	62.76	9.12
निवल	नामे 70.49		नामे 38.92		नामे 53.64	
103—वन प्रेषण	39.86	6.45	44.53	5.24	45.81	5.59
निवल	नामे 33.41		नामे 39.29		नामे 40.22	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यदि इन उचंत शीर्षों के तहत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति होती है। इसके अलावा, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का गैर-निस्तारण राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की सटीकता को प्रभावित करता है।

4.6 व्यक्तिगत जमा खाते

विशिष्ट परिस्थितियों में, शासन द्वारा नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते हैं। कोषालय संहिता भाग-एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, संचित निधि को ऋणात्मक डेबिट कर व्यक्तिगत जमा खाता खोला जाता है, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में संचित निधि के सम्बंधित सेवा मुख्य शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट कर बंद किया जाना चाहिए।

पंचवर्षीय अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी निधियों की स्थिति तालिका 4.3 प्रदान करता है।

तालिका 4.3: वर्ष 2019-24 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियों/प्राप्तियों		वर्ष के दौरान संवृतियों/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2019-20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26
2	2020-21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95
3	2021-22	208	1,560.95	02	287.56	71	444.13	139	1,404.38
4	2022-23	139	1,404.38	02	250.56	10	290.74	131	1,364.20
5	2023-24	131	1,364.20	02	149.09	03	160.39	130	1,352.90

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संबन्धित वर्षों के संकलित आकड़ें

तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 09 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये थे एवं 110 खातों को बंद किया गया। 31 मार्च 2024 तक 130 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,352.90 करोड़ था।

पिछले तीन वर्षों में, सात व्यक्तिगत जमा खाते 31 मार्च 2024 तक निष्क्रिय थे, जिनमें से दो व्यक्तिगत जमा खाते अगस्त/सितंबर 2024 में बंद कर दिए गए थे।

व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से स्थिर वित्तीय स्थिति, संभावित लाभ से वंचित होने और समय के साथ क्रय शक्ति में कमी, धन की न्यूनतम वृद्धि आदि का जोखिम होता है। इसलिए इन जोखिमों को कम करने के लिए वित्तीय रणनीति का नियमित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।


4.7 लघु शीर्ष –800 में समायोजन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का प्रकटीकरण नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

कुल 43 राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख शीर्षों के तहत दर्ज ₹6,099.05 करोड़ (2023–24 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों ₹1,03,508.20 करोड़ का 5.89 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।


इसी प्रकार, 26 राजस्व और पूंजीगत व्यय प्रमुख शीर्षों के तहत दर्ज ₹768.52 करोड़ (2023–24 के दौरान राज्य के कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय ₹1,30,159.89 करोड़ का 0.59 प्रतिशत) का व्यय, लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था। 2019–24 के दौरान कुल प्राप्तियों और व्यय के प्रतिशत के रूप में प्राप्तियों और व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा चार्ट 4.1 और 4.2 में दी गई है।

चार्ट 4.1: वर्ष 2019–24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 4.2: वर्ष 2019-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

प्राप्तियों के मामले में 2022-23 में 8.22 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान कुल प्राप्तियों में 5.89 प्रतिशत की कमी आई है। व्यय पक्ष में, यह 2022-23 में 0.55 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2023-24 के दौरान कुल व्यय का 0.59 प्रतिशत हो गया।

4.7.1 लघु शीर्ष – 800 – अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की बुकिंग

(i) लघु शीर्ष 800 के तहत रॉयल्टी और किराया रसीद की बुकिंग

संघ और राज्यों के प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, खानों से प्राप्त रॉयल्टी को प्रमुख शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग-लघु शीर्ष 102/107- खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मुख्य और लघु शीर्ष 0853-800 के संबंध में चालान की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्ष 0853-800 के तहत ₹1,986.74 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के विरुद्ध, रॉयल्टी और किराए की प्राप्तियां ₹1.62 करोड़ को लघु शीर्ष 102/107-खनिज रियायत शुल्क के बजाय लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किया गया था। प्रमुख और लघु खनिजों के लिए किराया और रॉयल्टी, जैसा कि प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों की सूची में निर्धारित है।

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) के साथ पठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) में कहा गया है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत पंचायत और

ग्रामीण विकास विभाग को वितरित किया जाएगा और कुल रॉयल्टी राजस्व का शेष 67 प्रतिशत संबंधित व्यक्तिगत पंचायत और जनपद पंचायत को वितरित किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य शीर्ष 0853 (अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग) के तहत लघु शीर्ष 102/107 (प्रमुख/लघु खनिज रियायत शुल्क किराया और रॉयल्टी) के गलत वर्गीकरण के कारण 800 (अन्य प्राप्तियां) के कारण, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत को राजस्व हानि से इंकार नहीं किया जा सकता है।

4.8 विभागीय आंकड़ों का बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा मिलान नहीं किया जाना

म.प्र. बजट नियमावली भाग-1 (छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाए गए अनुसार) के नियम 6.7.1 में कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) के लेखाओं में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं के साथ मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य सीओ को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने और अपने बजटीय आवंटन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनके खातों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है।

जबकि 2023-24 के दौरान 99.38 प्रतिशत प्राप्तियां और 97.31 प्रतिशत संवितरण का समाधान किया गया था, ये आंकड़े प्राप्तियों के लिए 86.14 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 के लिए संवितरण के संबंध में 86.70 प्रतिशत थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीओ की संख्या और समाधान की सीमा से संबंधित विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रक अधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	(₹ करोड़ में)
							मिलान प्रतिशत
प्राप्तियाँ							
2021-22	40	03	31	06	94,843.22	59,684.84	62.93%
2022-23	54	52	00	02	104,638.72	90,146.07	86.14%
2023-24	54	50	00	04	1,57,588.54	1,56,605.72	99.38%
व्यय							
2021-22	94	42	48	04	94,683.34	80,859.21	85.40%
2022-23	94	87	00	07	108,291.91	93,899.30	86.70%
2023-24	95	88	00	07	1,54,584.81	1,50,428.97	97.31%

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकड़े

आंकड़ों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पिछले वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समाधान और सत्यापन में काफी सुधार हुआ है।

4.9 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2024 तक, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखाओं के अनुसार, राज्य शासन के रोकड़ शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए रोकड़ शेष के बीच ₹29.63 करोड़ (शुद्ध जमा) का अंतर था।

इस अंतर का मिलान किया गया और यह अंतर आरबीआई द्वारा अप्रैल 2023 में मार्च 2023 से संबंधित ₹29.61 करोड़ के ई-कुबेर लेनदेन को शामिल करने और मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर को ₹0.02 करोड़ की गलत सूचना के कारण था, जो राज्य शासन के नकदी शेष को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जुलाई 2024 के समापन के बाद उपरोक्त अंतर दूर हो गया है।

4.10 भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्थापित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी) जवाबदेही तंत्र को सुधारने के लिए सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2024 के अंत तक, चार भारतीय सरकारी लेखा मानक अधिसूचित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों में तीन मानकों का विवरण और इनके संबंध में अनुपालन की सीमा तालिका 4.5 में दी गई है, क्योंकि राज्य शासन द्वारा पूर्व अवधि समायोजन के तहत किसी भी लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया है।

तालिका 4.5: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. स.	भारत सरकार के लेखांकन मानक (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों का सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
1	भा.स.ले.मा-1 सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभुति (गारंटी)-प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक के अनुसार सरकार को वर्ष के अंत में अपने वित्तीय विवरणों में परिवर्धन, विलोपन, लागू, निर्वहन और बकाया के साथ वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की अधिकतम राशि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।	जिन 25 संस्थानों के लिए सरकार ने गारंटी दी थी, उनमें से 11 संस्थानों ने आईजीएस-1 के निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी।	भा.स.ले.मा-1 का अनुपालन न करने के कारण, संस्थानों के लिए मार्च 2024 तक वर्ष के दौरान दी गई गारंटी की राशि के साथ-साथ वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन, निर्वहन, लागू और बकाया राशि का पता नहीं लगाया जा सका।
2	भा.स.ले.मा-2 सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के बिना ख्याल किये वर्गीकृत किया जाये।	राज्य सरकार ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1,446.59 करोड़ की स.अनु. राशि वितरित की है और राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में हिसाब लगाया है।	भा.स.ले.मा-2 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को पूंजी के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया और राजस्व घाटे को ₹1,446.59 करोड़ से कम बताया गया।
3	भा.स.ले.मा-3 सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकीकृत लेखांकन प्रथा सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	48 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने भा.स.ले.मा-3 के निर्धारित प्रारूप में सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है।	भा.स.ले.मा-3 का अनुपालन न करने से लेखांकन प्रथाओं में अपारदर्शिता आती है।

4.11 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य शासन ने कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं, जिनमें से 29 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपी गई है और एक स्वायत्त निकाय (छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) के लेखा परीक्षा का दायित्व अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मार्च 2024 तक स्वायत्त निकायों के लंबित खातों की स्थिति **परिशिष्ट 4.2** में विस्तृत है।

4.12 हानि तथा गबन आदि के मामले

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड-1 के नियम 22 और 23 में प्रावधान है कि सार्वजनिक निधि की हानि, दुरुपयोग और गबन के प्रत्येक मामले की सूचना महालेखाकार को देनी होगी। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण इमारतों, सड़कों और पुलों जैसी अचल संपत्ति की किसी भी गंभीर क्षति की सूचना महालेखाकार को दी जानी चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और ऐसे नुकसान के कारणों और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों/कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रतिवेदन दिया जाता है।

31 मार्च 2024 तक, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ₹125.24 करोड़ की राशि के कुल 2,181 मामले लंबित थे, जो निर्णायक जांच और निपटान की प्रतीक्षा कर रहे थे। लंबित मामलों का विभागवार एवं श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है। मामलों का वर्षवार विश्लेषण **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है। लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या। चोरी और हानि को **तालिका 4.6** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.6: हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की आयु रूपरेखा			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	216	2.42	चोरी सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि गबन लंबित प्रकरणों का योग	119	0.53
6 – 10	242	39.23			
11 – 15	497	64.04			
16 – 20	322	8.56			
21 – 25	214	4.61			
25 से अधिक	690	6.38			
योग	2,181	125.24	2,181	125.24	

स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण

2,181 मामलों में से, वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के क्रमशः 562 और 38 मामले थे जो 25 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। 2,181 मामलों में से 330 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4.13 ऑफ बजट उधार

राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम/निगम/अन्य निकाय सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य संस्थाओं के ऋण/देनदारियों का भी अधिग्रहण कर सकती है। ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान अपने बजटीय संसाधनों से राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। इस तरह के उधार से राज्य शासन के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेंगे। बजट में खुलासा किए बिना ऐसी देनदारियां बनाना पारदर्शिता और अंतर-पीढ़ीगत समानता दोनों पर सवाल उठाता है। इस तरह के ऑफ-बजट उधार को बजट दस्तावेजों में प्रकटीकरण विवरण में नहीं लिया जाता है, न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑफ-बजट उधार के ऐसे उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

- क) 2017-18 और 2018-19 में, छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी अधिकारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केनरा बैंक से और 728 फ्लैट खरीदने के लिए इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक के साथ विलय) से लिए क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹195.00 करोड़ का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को गारंटी जारी की। कुल गारंटी राशि के मुकाबले, सीएचबी ने 31 मार्च 2024 तक क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹195 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹228.54 करोड़ का मूलधन और ₹382.37 करोड़ का ब्याज चुकाया है।
- ख) इसी प्रकार, शासन ने जून/जुलाई 2017 में पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवासीय घरों के निर्माण के लिए दो वित्तीय संस्थानों यानी इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक के साथ विलय) (₹400 करोड़) और केनरा बैंक (₹400 करोड़) से ₹800 करोड़ का ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीएचसीएल) को गारंटी भी जारी की (2027 तक वैध)। सीपीएचसीएल ने अधिकतम गारंटी राशि ₹800 करोड़ के मुकाबले मार्च 2024 तक कुल ₹644.54 करोड़ का ऋण लिया है। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹69.37 करोड़ का मूलधन और ₹286.04 करोड़ का ब्याज चुकाया है।
- ग) इसके अलावा, शासन ने फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) में राज्य के हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ का ऋण लेने के लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) को गारंटी जारी की (दिसंबर 2024 तक वैध)। जिसमें से एसयूडीए ने 31 मार्च 2024 तक ₹1,618 करोड़ का ऋण लिया। राज्य शासन ने बजट से उपरोक्त ऋण पर ₹130.32 करोड़ का मूलधन और ₹349.65 करोड़ का ब्याज चुकाया है।
- घ) छत्तीसगढ़ शासन ने दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीआरआईडीसीएल) को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ₹5,225 करोड़ का ऋण लेने के लिए गारंटी जारी की (12 सड़कों के निर्माण के लिए ₹1,225 करोड़ और 741 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़)। जिसमें से, सीजीआरआईडीसीएल ने 2023-24 तक ₹2,377.05 करोड़ का ऋण लिया है। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर मूलधन ₹55 करोड़ और ब्याज ₹233.67 करोड़ बजट के माध्यम से चुका दिया है।
- ङ) छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लागू करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (2017-18 से

2019–20) को ₹3,427.28 करोड़ (2034–35 तक वैध) की गारंटी जारी की। उपरोक्त गारंटी के विरुद्ध निगम ने कुल ₹1,792.44 करोड़ का ऋण लिया है (केनरा बैंक से ₹1,000 करोड़ और नाबार्ड से ₹792.44 करोड़)। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक ₹593.50 करोड़ का मूलधन और ₹249.22 करोड़ का ब्याज चुकाया है।


- च) छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पावर जेनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) (₹1,000 करोड़) और छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी (सीएसपीटीसीएल) की देनदारियों (उस पर ब्याज सहित मूलधन) चुकाने का आश्वासन दिया है। (₹500 करोड़) वार्षिक बजट में प्रावधान करके आगामी वर्षों में 31 मार्च 2022 तक। तदनुसार, राज्य शासन ने बजट के माध्यम से 31 मार्च 2024 तक सीएसपीजीसीएल का मूलधन ₹479.65 करोड़ और ब्याज ₹265.06 करोड़ और सीएसपीटीसीएल का ₹77.70 करोड़ मूलधन और ₹38.85 करोड़ का ब्याज चुका दिया है।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य शासन के व्यय के वित्तपोषण के लिए बजट के बाहर अन्य संस्थाओं के माध्यम से उधार ली गई धनराशि के उपयोग से न केवल राजस्व/पूंजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम दिखाया गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित हुआ कि उधार राज्य सरकार के खातों में ऋण की गणना से बाहर रहे। वर्तमान व्यय का बोझ आगामी वर्षों में बजट/बजटीय समर्थन के माध्यम से ऋण की अदायगी की सीमा तक भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित हो जाएगा। राज्य शासन पर 31 मार्च 2024 तक बकाया ₹1,34,179.36 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अलावा ₹7,292.94 करोड़ (कुल बजटीय देनदारियों का 5.43 प्रतिशत) की शुद्ध बजट देनदारी है। इस प्रकार, राज्य की कुल देनदारी ₹1,41,472.30 करोड़ थी। हालाँकि, राज्य शासन ने 2023–24 के बजट दस्तावेजों (एफआरबीएम प्रकटीकरण) में मार्च 2023 तक ₹4,121.33 करोड़ की ऑफ-बजट देनदारियों का खुलासा किया। हालाँकि, इन्होंने वर्ष 2024–25 के लिए अपने बजट दस्तावेज में मार्च 2024 तक अपनी ऑफ बजट देनदारियों का खुलासा नहीं किया है।

4.14 सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ₹12,411.41 करोड़ की राशि सीधे छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई थी। 2019–20 से 2023–24 तक ऐसी राशियों के हस्तांतरण का प्रवृत्ति चार्ट 4.3 में दिखाया गया है।

चार्ट 4.3: 2019-20 से 2023-24 तक सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान के हस्तांतरण के प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छ.ग. द्वारा संकलित आंकड़े

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि के सीधे हस्तांतरण में ₹2,225.02 करोड़ (15.20 प्रतिशत) की कमी आई है।

4.15 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09 से राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जा रही है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अभी तक इन प्रतिवेदनों को चर्चा (दिसंबर 2024) के लिए नहीं लिया है।

4.16 निष्कर्ष

दिसंबर 2024 तक, ₹3.44 करोड़ के 220 विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने के लिए लंबित थे। विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निकाली गई धनराशि के लिए विभागों द्वारा विस्तृत आकस्मिक देयक जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा खाते जमा न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है और बर्बादी/दुर्विनियोजन/दुर्व्यवहार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।

31 मार्च 2024 तक, 130 व्यक्तिगत जमा खाते ₹1,352.90 करोड़ के अंतिम शेष के साथ अस्तित्व में थे। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुरुपयोग का जोखिम होता है।

मार्च 2024 तक बकाया ₹1,34,179.36 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अलावा राज्य शासन पर ₹7,292.94 करोड़ की शुद्ध ऑफ-बजट देनदारियाँ हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने अपने बजट में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों के संबंध में अपनी संपूर्ण देनदारियों का खुलासा नहीं किया है, जिसके लिए राज्य शासन ने मूलधन और ब्याज पुर्नभुगतान की गारंटी दी थी।

4.17 अनुशंसाएं


- i. वित्त विभाग को पुराने लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के निपटान के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, यह ध्यान में रखते हुए कि 2020-21 से विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना अभी भी लंबित है। साथ ही, डीडीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विस्तृत आकस्मिक देयक निर्धारित समय के भीतर जमा किए जाएं, ताकि असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के संचय से बचा जा सके।
- ii. वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा मदों से डेबिट करके पीडी खातों में हस्तांतरित लेकिन अनावश्यक रूप से इन पीडी खातों में पड़ी राशि को मौजूदा नियमों के अनुसार तुरंत समेकित निधि में भेज दिया जाए।
- iii. राज्य शासन को अपना बजट पेश करते समय ऑफ-बजट उधार सहित अपनी सभी देनदारियों का पारदर्शी तरीके से खुलासा करना चाहिए, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति का उचित मूल्यांकन हो सके।

रायपुर
दिनांक: 11 अप्रैल 2025


(मो. फैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 16 अप्रैल 2025


(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कडिका 1.1)
राज्य की रूपरेखा
अ-सामान्य आंकड़े

क्र. स.	विवरण	आंकड़े (छत्तीसगढ़)	
1	क्षेत्रफल (वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार)	1,35,192 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011-2036 के अनुसार)	3.05 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (अखिल भारतीय घनत्व = 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	225.78 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	39.93 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	38 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2016-2020 में अखिल भारतीय औसत = 70.00)	65.10	
8	जनसंख्या वृद्धि (2014-2024)	संपूर्ण भारत	11.26
		छत्तीसगढ़	14.06
9	वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2023-24	₹5,05,887 करोड़	

(नोट: सामान्य डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन पर आधारित है)

ब-वित्तीय आंकड़े

विवरण		वर्ष 2014-15 से 2022-23		वर्ष 2022-23 से 2023-24	
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
सी.ए.जी.आर		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	10.67	11.97	8.19	10.26
ख	कर राजस्व का	11.34	13.33	13.50	18.00
ग	करेत्तर राजस्व का	8.46	15.16	14.64	(-)0.66
घ	कुल व्यय का	10.49	9.95	10.56	32.20
ङ	पूँजीगत व्यय का	9.99	9.29	26.16	15.76
च	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का	9.07	8.46	5.53	12.39
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय का	12.34	13.78	10.34	7.33
ज	मजदूरी एवं वेतन का	9.32	12.94	7.52	9.89
झ	पेंशन का	12.13	11.32	6.27	18.94

(नोट: वित्तीय आंकड़े राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित है और सामान्य श्रेणी के राज्यों का वित्तीय डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन से प्राप्त किया गया है।)

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भ: कंडिका 1.5.2)
घाटा और आधिक्य

जब सरकार राजस्व के रूप में एकत्र की गई राशि से अधिक खर्च करती है, तो उसे घाटा होता है। सरकारी घाटे को मापने के लिए कई उपाय हैं।

<p>राजस्व घाटा / आधिक्य</p> <p>(राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p><i>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● जब सरकार राजस्व घाटा उठाती है, तो इसका मतलब है कि सरकार बचत नहीं कर रही है और अपने उपभोग व्यय के एक हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है। ● राजस्व घाटे का होना चिंता का विषय है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों का एक हिस्सा राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया, जिससे पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजी संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई। ● इस स्थिति का मतलब है कि सरकार को न केवल अपने निवेश के वित्तपोषण के लिए बल्कि अपनी उपभोग आवश्यकताओं के लिए भी उधार लेना होगा। इससे ऋण और ब्याज देनदारियों का भार बढ़ता है और अंततः सरकार को व्यय में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ● यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियाँ, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका मतलब होगा कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
<p>राजकोषीय घाटा / आधिक्य</p> <p>(कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियाँ))</p>	<p><i>यह राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों (एनडीसीआर) तथा कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ● गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को जन्म नहीं देती हैं। उदाहरण हैं ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय। ● राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई संपत्तियाँ आय का स्रोत बनकर खुद का भुगतान कर सकें। इस प्रकार, पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई धनराशि का पूर्ण उपयोग करना और मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना वांछनीय है।</p>

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग क-प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	63,869(76)	63,176(74)	79,652(84)	93,877(90)	1,03,508(66)
(i) स्वयं के कर राजस्व	22,118(35)	22,889(36)	27,083(34)	33,122(35)	38,786(37)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3,931(18)	4,236(19)	5,341(20)	6,450(19)	6,514(17)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,952(22)	4,636(20)	5,107(19)	6,783(21)	8,430(22)
वाहन कर	1,275(06)	1,148(05)	1,373(05)	1,757(05)	2,048(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,635(07)	1,585(07)	1,945(07)	2,229(07)	2,494(6)
भू-राजस्व	552(02)	938(04)	950(04)	869(03)	848(2)
माल एवं यात्री कर	41(0)	80(0)	48(0)	60(0)	73(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	7,895(36)	7,925(35)	9,483(35)	11,298(34)	13,793(36)
अन्य कर	1,838(09)	2,341(10)	2,836(10)	3,677(11)	4,586(12)
(ii) करेतर राजस्व	7,934(12)	7,137(11)	13,851(17)	15,248(16)	15,148(15)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	20,206(32)	20,338(32)	28,571(36)	32,358(35)	38,482(37)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	13,611(21)	12,812(20)	10,146(13)	13,148(14)	11,092(11)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	04	05	05	06	05
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	257	105	88	118	25
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.13	-0.67	-0.04	-0.28	0.65
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	64,130	63,286	79,745	94,001	1,03,539
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	19,588(23)	21,581(25)	15,098(16)	10,639(10)	54,050(34)
आंतरिक ऋण ¹ (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	19,308	17,961	9,322	6,939	50,259
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	279	3,620	5,776	3,700	3,791
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	83,718	84,867	94,843	1,04,640	1,57,589
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	05	00	00	00	63
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	89,910	81,446	87,016	98,368	1,25,393
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,73,633	1,66,313	1,81,859	2,03,008	2,83,045
भाग ख: व्यय/भुगतान					
10. राजस्व व्यय	73,477(89)	70,033(89)	75,010(88)	85,285(86)	1,14,741(88)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	19,095(26)	19,586(28)	21,375(28)	22,825(27)	26,240(23)
समाजिक सेवायें	26,653(36)	25,066(35)	27,964(37)	31,818(37)	39,412(34)
आर्थिक सेवायें	26,609(36)	24,255(35)	24,558(33)	29,499(35)	47,791(42)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,120(02)	1,125(02)	1,113(01)	1,143(01)	1,298(01)

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
11. पूँजीगत व्यय	8,566(10)	9,024(11)	10,504(12)	13,320(14)	15,419(12)
सामान्य सेवायें	194(02)	508(06)	351(03)	754(06)	884(06)
समाजिक सेवायें	1,912(22)	2,935(33)	3,234(31)	4,989(37)	7,074(46)
आर्थिक सेवायें	6,460(76)	5,581(62)	6,919(66)	7,577(57)	7,461(48)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	56	51	324	86	312
12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.05	0.01	(-)0.25	(-)0.10	0.46
13. योग (10+11+12+12(अ))	82,100	79,108	85,838	98,691	1,30,472
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8,696	8,020	8,845	9,600	24,113
आंतरिक ऋण	8,480(98)	7,805(97)	8,626(98)	9,370(98)	23,873(99)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	216(02)	215(03)	220(02)	230(02)	240(01)
15. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14)	90,796	87,128	94,683	1,08,292	1,54,585
16. आकस्मिकता निधि से भुगतान	00	00	00	00	77
17. लोक लेखे से भुगतान	83,719	81,120	86,716	96,599	1,22,634
18. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (15+16+17)	1,74,515	1,68,248	1,81,399	2,04,891	2,77,296
भाग ग: घाटे					
19. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(-)9,609	(-)6,857	(+)4,642	(+)8,592	(-)11,233
20. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-)17,970	(-)15,822	(-)6,093	(-)4,691	(-)26,933
21. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)12,999	(-)10,189	(+)51	(+)1,691	(-)20,135
भाग घ: अन्य आंकड़े					
22. ब्याज भुगतान	4,971	5,633	6,144	6,382	6,798
23. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	36	30	38	15	99
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	36	30	38	15	99
ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	00	00	00	00	00
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट पर ब्याज	00	00	01	00	22
25. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,44,672	3,52,328	4,10,525	4,64,399	5,05,887
26. वर्षान्त पर देयतायें²	78,712	92,666	99,173	1,01,696	1,34,179
27. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटियां)	18,459	19,836	19,500	22,099	21,891
28. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि	27,995	26,695	29,948	30,023	31,663

² वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के लिए बकाया देयता में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (2020-21 में प्राप्त ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में प्राप्त ₹4,965.15 करोड़) शामिल है, जो राज्य सरकार को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में प्रदान किया गया है, जिसकी राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कांडिका-3.3.2)

वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0761-कन्या शिक्षा परिसर	27.28	0.00	27.28	24.97
2	1206- ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी	1.50	0.00	1.50	1.27
3	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	40.76	0.00	40.76	28.31
4	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	1.20
5	3777-रेशम उत्पादन उद्योग का विकास कार्य	1.37	0.00	1.37	1.36
6	3778-मलबरी रेशम उत्पादन योजना का कार्यान्वयन	53.70	0.00	53.70	37.35
7	4663-स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.17	0.00	0.17	0.17
8	4691-कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	5.80	0.00	5.80	4.59
9	4858-इंदिरा नगर योजना	95.76	43.98	139.74	127.44
10	5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	24.72	0.00	24.72	16.70
11	5534-स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.50	0.00	1.50	1.50
12	5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	73.44	0.00	73.44	66.77
13	5560-राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र	3.11	0.00	3.11	1.75
14	5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	1.93	0.00	1.93	1.66
15	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	38.00	0.00	38.00	36.37
16	6388-नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	20.30	0.00	20.30	13.15
17	6640-महिला हेल्पलाइन 181	0.55	0.35	0.90	0.75
18	6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी)	14.63	5.12	19.75	8.82
19	6647-शक्ति सदन	3.39	0.00	3.39	1.65
20	6648-महिला सशक्तिकरण केंद्र	10.62	0.00	10.62	4.44
21	6649-सखी निवास	1.37	0.00	1.37	0.41
22	6650-नारी अदालत	0.15	0.00	0.15	0.00
23	6691-कौशल्या समृद्धि (महिला स्वरोजगार) योजना	25.00	0.00	25.00	0.00
24	7330-मितानिन कल्याण निधि	111.00	240.00	351.00	351.00
25	7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	78.98	0.00	78.98	76.97
26	7361-सबला योजना	85.11	0.00	85.11	59.85
27	7435-पोषण	55.70	0.00	55.70	59.20
28	7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	494.50	211.95	706.45	611.52
29	7588-मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता	0.05	0.00	0.05	0.00
30	7875-सुचिता योजना	12.00	0.00	12.00	10.91
31	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना	61.23	32.63	93.86	48.77
32	7921-मुख्य मंत्री पेंशन योजना	250.30	40.00	290.30	373.18
33	8977-असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	16.90	0.00	16.90	3.05
34	8989-ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	27.40	0.00	27.40	20.65
35	9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	3.00	0.00	3.00	0.00
36	9369-महिला जागृति शिविर	9.33	0.00	9.33	19.20
37	7048-महतारी वंदन योजना	0.00	1,200	1,200	1,319.20
योग		1,652.55	1,774.03	3,426.58	3,334.15

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ-कंडिका-3.3.3)

वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0436-विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.05
2	0717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	288.62	1.84	290.46	241.55
3	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	2.00	0.00	2.00	2.46
4	1190-ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता	2.80	0.00	2.80	2.65
5	1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.61
6	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	40.76	0.00	40.76	28.31
7	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	1.20
8	4699-अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति	1.20	0.00	1.20	1.06
9	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	3.75	0.00	3.75	2.78
10	5260-नस्ल सुधार के लिए बैल का वितरण	0.75	0.00	0.75	0.73
11	5428-राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	1.00	0.00	1.00	1.00
12	5429-युवा कल्याण गतिविधि	6.19	0.00	6.19	1.77
13	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	38.00	0.00	38.00	36.37
14	5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना	0.55	0.00	0.55	0.55
15	5672-बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना	6.25	0.00	6.25	2.58
16	6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.00
17	6386-मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	954.28	45.20	999.48	724.64
18	6388- नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	20.30	0.00	20.30	13.15
19	6408-राज्य युवा मितान क्लब	100.00	20.00	120.00	80.02
20	6409-मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	2.72	0.00	2.72	0.00
21	6425-मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	2.01	0.00	2.01	0.00
22	6435-विशेष उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री सहायता	0.01	0.00	0.01	0.00
23	6436-मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना	0.75	0.00	0.75	0.00
24	6696-मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	1.00	0.00	1.00	0.07
25	7296-खेल अकादमी	6.13	0.00	6.13	1.65
26	7361-सबाला योजना	85.11	0.00	85.11	59.85
27	7363-युवा कैरियर विकास योजना	12.85	0.00	12.85	8.56
28	7366-सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.23	0.00	0.23	0.03
29	7430-शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा	0.60	0.00	0.60	0.60
30	7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	55.70	0.00	55.70	59.20
31	7490- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	494.50	211.95	706.45	611.52
32	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	9.80	0.00	9.80	5.07
33	7632-युवा क्षमता विकास योजना	0.80	0.00	0.80	0.10
34	7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	25.00	0.00	25.00	24.60
35	7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.29	0.00	7.29	6.39
36	7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	4.14	0.00	4.14	0.00
37	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	61.23	32.63	93.86	48.77
38	8076-राज्य के बाहर औद्योगिक और तकनीकी संस्थान	0.07	0.00	0.07	0.02
39	8638-राज्य प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना	3.00	0.00	3.00	3.00
40	8643-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	5.00	0.00	5.00	2.70
41	8899-पशु धन मित्र योजना	3.30	0.00	3.30	3.27

42	8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	7.00	0.00	7.00	6.98
43	8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	0.00	3.01	2.30
44	8935- लाइवलीहुड कॉलेज परियोजना	13.90	0.00	13.90	7.30
45	8977-छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	16.90	0.00	16.90	3.05
46	8979-एकीकृत अम्बेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	125.00	0.00	125.00	121.94
47	8989-छत्तीसगढ़ टेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	27.40	0.00	27.40	20.65
48	9369-महिला जागृति शिविर	9.33	0.00	9.33	19.20
49	9381-बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.04
50	9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	1.00	0.00	1.00	0.98
योग		2,454.83	311.62	2,766.45	2,159.31

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कडिका-3.3.7)

नई उप-शीर्षो/योजनाओं का विवरण (प्रत्येक प्रकरणों में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6657- विस्तृत हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (एसएचडीसी)	1.78	0.00	1.78	0.00
2	6658- डाईंग यूनिट (धागा रंगाई) की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
3	6659- प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	1.00	0.00	1.00	0.00
4	6660- राज्य अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
5	6674- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	5.00	0.00	5.00	0.00
6	6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	16.00	16.00	0.00
7	6684- विश्व बैंक परियोजना चाक	400.00	0.00	400.00	0.00
8	6690- राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	1.00	0.00	1.00	0.00
9	6691- कौशल्या समृद्धि (महिला स्वरोजगार) योजना	25.00	0.00	25.00	0.00
10	6694- दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में सचल चिकित्सा इकाई की स्थापना	5.00	0.00	5.00	0.00
11	6695- नगरीय निकायों में वर्षा जल संचयन	25.00	0.00	25.00	0.00
12	7021- छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक जुड़ाव	1.00	0.00	1.00	0.00
13	7022- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान	1.00	0.00	1.00	0.00
14	7024- स्मार्ट पी.डी.एस.	0.00	1.97	1.97	0.00
15	7041- मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना	0.00	5.00	5.00	0.00
16	7047- स्मार्ट एग्री बिजनेस सेंटर	0.00	2.00	2.00	0.00
17	7063- अटल निगरानी पोर्टल (सी.एम. डैशबोर्ड)	0.00	5.00	5.00	0.00
18	7064- प्रधानमंत्री जन मन सड़कों का निर्माण	0.00	200.00	200.00	0.00
19	7103- नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह वाचन क्षेत्र का निर्माण	0.00	20.00	20.00	0.00
योग		467.78	249.97	717.75	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.5.3)

प्रकरणों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (एक करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
03	पुलिस	6,152.11	172.95	5,384.31	-767.80
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	330.78	15.66	285.67	-45.11
10	वन	2,670.90	33.12	2,243.40	-427.50
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	439.91	70.60	293.50	-146.41
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	129.03	1.00	107.62	-21.41
19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3,103.19	596.63	2,924.12	-179.07
20	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	340.91	6.00	223.41	-117.50
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	236.76	3.96	199.66	-37.10
23	जल संसाधन विभाग	663.93	3.00	511.47	-152.46
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	105.01	1.52	75.58	-29.43
27	स्कूल शिक्षा	6,759.51	7.14	5,938.98	-820.53
28	राज्य विधानमंडल	78.78	1.63	59.05	-19.74
34	समाज कल्याण	107.07	8.00	93.14	-13.93
36	परिवहन	112.84	3.60	73.45	-39.39
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	3,024.55	93.33	2,655.86	-368.69
43	खेल और युवा कल्याण	110.91	11.17	77.54	-33.37
44	उच्च शिक्षा	915.19	17.27	806.32	-108.87
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति योजना विभाग	498.60	176.24	397.96	-100.64
67	लोक निर्माण - भवन	752.75	34.00	643.59	-109.17
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	1,143.25	431.12	1,102.26	-40.98
71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी	131.83	5.04	56.47	-75.36
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,239.39	1.00	905.83	-333.56
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2,057.59	162.61	1,873.95	-183.64
82	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	208.18	3.00	182.09	-26.09
योग-राजस्व दत्तमत		31,312.97	1,859.60	27,115.24	-4,197.73
राजस्व (भारित)					
CH2	व्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,684.36	78.07	6,471.18	-213.18
पूँजीगत (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन	130.37	27.73	125.80	-4.57
03	पुलिस	249.58	1.20	163.51	-86.07
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	9.10	1.90	3.31	-5.79
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	154.82	19.00	63.62	-91.20
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	7.71	1.00	1.65	-6.06

19	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	104.52	33.98	95.59	-8.94
23	जल संसाधन विभाग	590.10	5.00	412.65	-177.44
24	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	2,153.85	60.00	1,673.26	-480.59
27	स्कूल शिक्षा	579.47	166.00	334.65	-244.82
30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	348.97	17.13	278.67	-70.30
41	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,788.68	1,271.05	3,250.83	-537.85
42	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना सड़कों और पुलों से संबंधित सार्वजनिक कार्य	1,247.70	33.00	858.39	-389.31
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	68.68	1.09	56.07	-12.60
54	कृषि अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित व्यय	79.59	10.00	51.95	-27.64
56	ग्रामोद्योग	10.09	20.00	4.32	-5.77
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	55.62	201.40	0.00	-55.62
71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	15.00	4.78	0.00	-15.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	335.09	32.79	275.55	-59.54
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,053.68	250.00	918.82	-134.86
योग-पूँजीगत दत्तमत		10,982.61	2,157.05	8,568.64	-2,413.97
पूँजीगत (भारित)					
24	लोक निर्माण- सड़कें और पुल	10.10	1.00	4.66	-5.44
कुल योग		48,990.04	4,095.72	42,159.72	-6,830.32

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ-कंडिका-3.5.3)

योजना प्रमुखों का विवरण जहां संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक) अप्रयुक्त रह गए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	07- 2040- 1-7042- बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट	0.00	1.00	1.00	0.00
2	13- 2401- 109- 101- 7047- स्मार्ट एग्री बिजनेस सेंटर	0.00	2.00	2.00	0.00
3	19- 2210- 1-196- 101- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	4.00	4.00	0.00
4	19- 2210- 3-197-101- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	4.00	4.00	0.00
5	19- 2210- 3-198- 101- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	3.00	3.00	0.00
6	24- 5054- 80-800- 101- 1833- डिजिटल राशि का भुगतान	0.10	1.00	1.10	0.00
7	39- 2408- 1-102- 701- 6401- राइस फोर्टिफिकेशन	37.50	37.84	75.34	0.00
8	41- 2210- 1- 796- 196- 102- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	2.00	2.00	0.00
9	41- 2210- 3- 796- 197- 102- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	2.00	2.00	0.00
10	41- 2210- 3- 796- 198- 102- 6677- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना	0.00	1.00	1.00	0.00
11	41- 2217- 80- 796- 191- 702- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	17.73	17.73	0.00
12	41- 2217- 80- 796- 191- 705- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	15.07	15.07	0.00
13	41- 2217- 80- 796- 192- 702- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	5.60	5.60	0.00

14	41- 2217- 80- 796- 192- 705- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	4.76	4.76	0.00
15	41- 2217- 80- 796- 193- 702- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	23.32	23.32	0.00
16	41- 2217- 80- 796- 193- 705- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	19.83	19.83	0.00
17	41- 2408- 1- 796- 102- 702- 6401- राइस फोर्टिफिकेशन	28.50	28.76	57.26	0.00
18	41- 4217- 60- 796- 51- 102- 7103 - नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह पठन क्षेत्र का निर्माण	0.00	10.00	10.00	0.00
19	41- 4217- 60- 796- 51- 702- 7706- अमृत मिशन	6.59	42.41	49.00	0.00
20	41- 4217- 60- 796- 51- 705- 7706- अमृत मिशन	8.60	14.77	23.37	0.00
21	41- 4851-796- 101- 102- 5385- नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	0.50	5.00	5.50	0.00
22	41- 5054- 4- 796- 337- 702- 7064- पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	0.00	120.00	120.00	0.00
23	41- 5054- 4- 796- 337- 705- 7064- पीएम जन मन सड़कों का निर्माण	0.00	80.00	80.00	0.00
24	41- 5275-796- 101- 102- 7861- संचार क्रांति योजना	0.00	3.63	3.63	0.00
25	44-2202-3-103-101-7041-मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना	0.00	5.00	5.00	0.00
26	55- 4235- 2-102- 1301- 6429 - 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुदान प्राप्त हुआ	0.00	39.00	39.00	0.00
27	64- 2217- 80- 789- 191- 703- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	4.94	4.94	0.00
28	64- 2217- 80- 789- 191- 706- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	4.20	4.20	0.00
29	64- 2217- 80- 789- 192- 703- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	1.56	1.56	0.00
30	64- 2217- 80- 789- 192- 706- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	1.33	1.33	0.00
31	64- 2217- 80- 789- 193- 703- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	6.50	6.50	0.00
32	64- 2217- 80- 789- 193- 706- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	5.53	5.53	0.00
33	64- 2408- 1- 789- 102- 703- 6401- राइस फोर्टिफिकेशन	9.00	9.08	18.08	0.00
34	64- 4217- 60- 789- 51- 103- 7103 - नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह वाचन क्षेत्र का निर्माण	0.00	3.00	3.00	0.00
35	64- 4217- 60- 789- 51- 703- 7706- अमृत मिशन	3.95	25.44	29.39	0.00
36	64- 4217- 60- 789- 51- 706- 7706- अमृत मिशन	5.16	8.86	14.02	0.00
37	64- 5275-789- 101- 103- 7861- संचार क्रांति योजना	0.00	1.15	1.15	0.00
38	69- 2217- 80-191- 701- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	6.39	6.39	0.00
39	69- 2217- 80-191- 704- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	5.43	5.43	0.00
40	69- 2217- 80-192- 701- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	2.02	2.02	0.00
41	69- 2217- 80-192- 704- 6654 - स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	1.72	1.72	0.00

42	69- 2217- 80-193- 701- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	8.41	8.41	0.00
43	69- 2217- 80-193- 704- 6654- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	7.15	7.15	0.00
44	69- 4217- 60-51- 101- 7103 नगरीय निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह वाचन क्षेत्र का निर्माण	0.00	7.00	7.00	0.00
45	69- 4217- 60-51- 701- 7706- अमृत मिशन	22.39	144.19	166.58	0.00
46	69- 4217- 60-51- 704- 7706- अमृत मिशन	29.23	50.22	79.45	0.00
47	71- 3275- 800- 101- 7063- अटल मॉनिटरिंग पोर्टल (सीएम डैशबोर्ड)	0.00	5.00	5.00	0.00
48	71- 5275- 101- 101- 7861- संचार क्रांति योजना	0.00	4.78	4.78	0.00
योग		151.52	806.61	958.13	0.00

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कांडिका-3.5.6)

वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदानों की सूची जहां शुद्ध बचत हुई (बचत ₹10 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (-)	समर्पण	शुद्ध बचत
राजस्व (दत्तमत)								
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	351.40	0.00	351.40	227.06	-124.34	104.11	-20.23
03	पुलिस	6,152.11	172.95	6,325.06	5,384.31	-940.75	892.82	-47.92
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,526.73	0.60	1,527.33	1,327.04	-200.30	130.59	-69.71
27	स्कूल शिक्षा	6,759.51	7.14	6,766.64	5,938.98	-827.66	805.54	-22.12
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	498.60	176.24	674.84	397.96	-276.88	108.45	-168.43
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6,492.70	3,269.08	9,761.78	8,470.68	-1,291.10	1,277.56	-13.54
67	लोक निर्माण-भवन	752.75	34.00	786.75	643.59	-143.17	54.83	-88.33
योग		22,533.80	3,660.01	26,193.81	22,389.61	-3,804.20	3,373.91	-430.29
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	3,788.68	1,271.05	5,059.73	3,250.83	-1,808.90	1,796.66	-12.23
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	797.18	0.00	797.18	507.02	-290.16	267.57	-22.59
योग		4,585.86	1,271.05	5,856.91	3,757.85	-2,099.06	2,064.23	-34.82
कुल योग		27,119.66	4,931.06	32,050.72	26,147.46	-5,903.25	5,438.14	-465.12

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

क्र. सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए	स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए
1	01-सामान्य प्रशासन	51	16	7	9
2	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	16	6	3	3
3	03-पुलिस	52	24	15	9
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	27	8	3	5
5	05-जेल	5	4	3	1
6	06-वित्त विभाग	57	21	4	17
7	07-वाणिज्य कर विभाग	33	10	4	6
8	08-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	48	17	10	7
9	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	7	4	4	0
10	10-वन	91	35	18	17
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	35	16	1	15
12	12-ऊर्जा	50	7	6	1
13	13-कृषि	116	64	61	3
14	14-पशुपालन विभाग	54	20	1	19
15	15-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	25	5	2	3
16	16-मत्स्य पालन	19	4	2	2
17	17-सहकारिता	19	7	7	0
18	18-श्रम	20	10	7	3
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	87	47	0	47
20	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	63	25	21	4
21	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग	28	18	16	2
22	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	4	2	2	0
23	23-जल संसाधन विभाग	134	49	44	5
24	24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	53	36	23	13
25	25-खनिज संसाधन विभाग	16	8	7	1
26	26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्चे	34	8	4	4
27	27-स्कूल शिक्षा	88	45	39	6
28	28-राज्य विधायिका	9	6	3	3
29	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	36	18	8	10
30	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	59	26	18	8
31	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	9	6	6	0
32	32-जनसंपर्क विभाग	16	4	4	0
33	33-आदिम जाति कल्याण	18	14	10	4
34	34-सामाजिक कल्याण	50	7	7	0

35	35-पुर्नवास	3	2	1	1
36	36-यातायात	19	13	5	8
37	37-पर्यटन	14	10	10	0
38	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	39	16	13	3
39	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	673	252	168	84
40	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	26	15	11	4
41	43-खेल एवं युवा कल्याण	24	10	9	1
42	44-उच्च शिक्षा	40	18	12	6
43	45-लघु सिंचाई कार्य	18	7	5	2
44	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	8	5	5	0
45	47-तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	44	22	11	11
46	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2	1	0	1
47	50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1	1	1	0
48	51-धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	11	5	4	1
49	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों के वित्तीय सहायता	26	3	3	0
50	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	16	8	6	2
51	55-महिला एवं बाल कल्याण	89	44	22	22
52	56-ग्रामीण उद्योग	44	7	3	4
53	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	12	4	4	0
54	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	64	29	26	3
55	60-जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	2	2	0	2
56	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	529	158	118	40
57	65-विमानन विभाग	3	3	3	0
58	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	31	11	6	5
59	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	199	45	23	22
60	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	33	8	8	0
61	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	74	44	44	0
62	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	36	17	16	1
63	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	21	19	18	1
64	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	9	9	8	1
65	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग	55	25	8	17
66	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	57	17	15	2
67	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	107	23	23	0
68	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	29	7	5	2

69	83-अनुसूचित जनजातियो उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	35	3	2	1
70	CH1 – लोक ऋण	22	6	0	6
71	CH2 – ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	91	24	10	14
	योग	3,935	1,490	996	494

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कंडिका-3.5.8)

वर्ष 2000-01 से 2022-23 तक के लिए नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अतिरिक्त व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000-01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	
2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	1,20,23,29,36 और लोक ऋण	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	0.92

	3 विनियोग	06,55 एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	11.46
2017-18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	0.37
2018-19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	0.48
2019-20	3 अनुदान	06,33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण एवं ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6,036.62
2020-21	2 अनुदान	06 और 83	252.24
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	3,179.87
2021-22	2 अनुदान	06 और 51	590.41
	3 विनियोग	06, 55 और लोक ऋण	3,469.35
2022-23	1 अनुदान	06	41.77
	2 विनियोग	55 और लोक ऋण	3,588.83
योग			21,066.99

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कडिका-3.5.8)

वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य व्यय हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय
1	04	2013	मंत्रिपरिषद	4.08	6.57	2.49
2	06	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,406.81	9,111.08	1,704.26
3	06	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.20	1.58	1.38
4	13	2402	मृदा और जल संरक्षण	131.67	199.86	68.19
5	15	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	39.46	40.22	0.76
6	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2.30	2.77	0.47
7	21	6217	शहरी विकास के लिए लोन	134.50	195.90	61.40
8	29	2014	न्याय प्रशासन	542.23	549.74	7.51
9	41	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	22.37	26.25	3.88
10	64	2402	मृदा और जल संरक्षण	17.76	37.13	19.37
11	67	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	17.01	18.10	1.09
12	67	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.56	5.73	0.17
13	CH1	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	7,318.63	23,873.11	16,554.48
14	CH1	6004	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	223.29	239.85	16.56
योग				15,865.87	34,307.89	18,442.01

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कंडिका 4.3)

31 मार्च 2024 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2235	राजस्व	2020-21	04	0.04
		2021-22	18	0.20
		2022-23	54	0.31
		2023-24	142	0.79
2235	सामान्य प्रशासन	2021-22	01	0.10
2203	मानव शक्ति नियोजन	2022-23	01	2.00
योग			220	3.44

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.11)

मार्च 2024 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	जब से खाता लंबित है	वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लंबित खातों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग	2023-24	1
2.	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	2023-24	1
3.	छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग	2001-02 से 2023-24	23
4.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर	2020-21, 2021-22,	4
5.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम	2022-23, 2023-24	2
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर	2019-20 से 2021-22	4
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग	2020-21 से 2023-24	3
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव	2021-22 से 2023-24	5
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा	2023-24	1
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर	2013-14 से 2017-18, 2019-20 से 2020-21, 2021-22 से 2023-24	10
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	निरंक	0
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी	2023-24	1
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2019-20 से 2023-24	5
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा (अंबिकापुर)	2020-21 से 2023-24	4
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर	2019-20 से 2023-24	5
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा	2018-19 से 2023-24	6
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया (बैकुंठपुर)	2018-19 से 2023-24	6
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर	2023-24	1
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्तर (जगदलपुर)	2022-23 से 2023-24	2
20.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली	2023-24	1
21.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदा बाजार	2017-18 से 2023-24	7
22.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौंडागांव	2018-19 से 2023-24	6
23.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा	2021-22 से 2023-24	3
24.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़	2021-22 से 2023-24	3

25.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद	2023-24	1
26.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा	2023-24	1
27.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद	2021-22 से 2023-24	3
28.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	2021-22 से 2023-24	3
29.	छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रायपुर	2023-24	1

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.12)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हुई हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(रु.लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	उच्च शिक्षा	11	10.42	3	0.62	2	2.51	16	13.55
2.	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
3.	जिला प्रशासन	1	0.67	4	0.79	0	0.00	5	1.46
4.	ग्रामीण विकास	4	1.08	2	0.05	14	16.70	20	17.83
5.	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
6.	विद्यालय शिक्षा	20	12.81	19	156.26	18	47.52	57	216.60
7.	पुलिस	29	8.21	5	19.45	262	48.65	296	76.31
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	0.15	1	0.10	8	1.00	11	1.26
9.	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	8	1.37	2	0.18	12	2.05
10.	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.80	1	0.10	213	21.33	222	23.23
11.	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
12.	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0.00	2	0.32	3	3.82
13.	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0.00	2	0.22
14.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.38	1	0.38
15.	विधि एवं विधायी विभाग	4	0.21	1	7.79	0	0.00	5	7.99
16.	श्रम एवं रोजगार	13	3.91	0	0.00	10	51.71	23	55.61
17.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	2	39.59	3	0.15	5	39.65
18.	फसल-कृषि कर्म	0	0.00	0	0.00	3	0.49	3	0.49
19.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	5	20.61	7	1.10	15	22.85
20.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	4	0.77	9	34.84	5	10.29	18	45.90
21.	वन	3	5.76	0	0.00	949	949.03	952	954.74

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

22.	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	470	10045.10	472	10045.34
23.	जल संसाधन विभाग	5	1.19	0	0.00	18	688.49	23	689.68
24.	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
25.	कलेक्टर	0	0.00	1	0.08	1	0.30	2	0.38
26.	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	0	0.00	0	0.00	2	0.18	2	0.18
27.	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
28.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
29.	राज्य उत्पाद शुल्क	1	0.03	0	0.00	0	0.00	1	0.03
30.	राजकोष एवं लेखा प्रशासन	3	0.20	0	0.00	3	11.81	6	12.01
योग		119	53.60	64	567.74	1,998	11,902.65	2,181	12,523.99

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: कंडिका 4.12)

शासन को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण
(31 मार्च 2024 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						योग
		05 वर्षों तक	06 से 10 वर्ष	11 से 15 वर्ष	16 से 20 वर्ष	21 से 25 वर्ष	25 वर्ष से ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	-	5 (1.80)	2 (6.47)	4 (4.43)	2 (0.24)	3 (0.61)	16 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	-	1 (0.00)	-	-	-	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	-	-	-	2(0.40)	1(0.67)	2(0.39)	5 (1.46)
4	ग्रामीण विकास	-	2 (0.21)	1 (0.50)	1 (0.25)	4 (1.66)	12 (15.21)	20 (17.83)
5	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	-	1 (1.00)	-	1 (0.00)	-	-	2 (1.00)
6	विद्यालय शिक्षा	-	7 (121.47)	2 (44.31)	7 (13.49)	3 (17.76)	38 (19.56)	57 (216.60)
7	पुलिस	129 (28.63)	85 (5.71)	52 (12.79)	16 (1.04)	7 (11.21)	7 (16.93)	296 (76.31)
8	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	11 (1.26)	11 (1.26)
9	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	-	-	-	3 (0.98)	-	9 (1.07)	12 (2.05)
10	पशु चिकित्सा सेवा	51 (3.25)	45 (8.50)	63 (5.95)	56 (3.01)	2 (1.84)	5 (0.69)	222 (23.23)
11	सहकारिता	-	-	-	-	-	1 (96.26)	1 (96.26)
12	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	-	-	3 (3.82)	3 (3.82)
13	डेयरी विकास	-	-	-	-	1 (0.20)	1 (0.02)	2 (0.22)

14	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	—	1 (0.37)	—	—	—	—	1 (0.37)
15	विधि एवं विधायी विभाग	—	1 (0.10)	2 (0.00)	1 (0.11)	1 (7.79)	—	5 (7.99)
16	श्रम एवं रोजगार	2 (1.02)	1 (0.15)	6 (47.70)	8 (6.06)	1 (0.27)	5 (0.42)	23 (55.61)
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1 (39.42)	—	—	2 (0.12)	—	2 (0.11)	5 (39.65)
18	फसल-कृषि कर्म	—	—	2 (0.16)	1 (0.33)	—	—	3 (0.49)
19	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	—	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	12 (3.10)	15 (22.85)
20	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	1 (0.38)	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.06)	5 (32.38)	9 (3.23)	18 (45.90)
21	वन	24 (22.16)	41 (91.44)	28 (34.77)	110 (147.76)	187 (386.56)	562 (272.05)	952 (954.74)
22	लोक निर्माण विभाग	2 (5.22)	39 (3331.39)	330 (6177.52)	101 (531.22)	—	—	472 (10,045.34)
23	जल संसाधन विभाग	4 (142.14)	9 (357.35)	5 (63.20)	5 (127.00)	—	—	23 (689.68)
24	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	—	1(0.05)	—	—	—	1(0.05)
25	कलेक्टर	—	—	—	—	—	2 (0.38)	2 (0.38)
26	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	1 (0.18)	1 (0.00)	—	—	—	—	2(0.18)
27	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
28	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	—	1 (4.00)	1 (0.41)	—	—	—	2 (4.41)
29	राज्य उत्पाद शुल्क	1 (0.03)	—	—	—	—	—	1 (0.03)
30	राजकोष एवं लेखा प्रशासन	—	—	—	2 (0.08)	—	4 (11.93)	6 (12.01)
योग		216 (242.42)	242 (3,923.65)	497 (6,403.67)	322 (855.92)	214 (460.57)	690 (637.76)	2,181 (12,523.99)

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/hi>

